भारत

के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

1985-86 वर्ष के लिए

प्रतिवेदन

(राजस्व प्राप्तियां)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

		सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ
प्रस्तावना			(vii)
अध्याय 1 सामान्य			
राजस्व प्राप्तियों की गतिविधि	..	1·1	1
राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण	..	1·2	1
बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर	..	1·3	4
संग्रह की लागत	..	1·4	6
कर-निर्धारण में बकाये	..	1·5	7
असंग्रहीत राजस्व	..	1·6	10
आंतरिक लेखापरीक्षा संगठन	..	1·7	16
अनिस्तारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन	..	1·8	16
अध्याय 2 बिक्री-कर			
लेखापरीक्षा के परिणाम	..	2·1	19
नियत प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में विफलता	..	2·2	20
छूटों और रियायतों की अनियमित स्वीकृति	..	2·3	22
कर की गलत दरों का लगाना	..	2·4	27
माल के गलत वर्गीकरण के कारण कम करारोपण	..	2·5	29
III-बी फार्म के घोषणा-पत्र का दुरुपयोग	..	2·6	31
कर, ब्याज और अर्थदण्ड का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	..	2·7	32
केन्द्रीय बिक्री-कर का अवनिर्धारण	..	2·8	43
व्यापार का कर-निर्धारण से छूट जाना	..	2·9	44
मान्यता प्रमाण-पत्र के निरस्त न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	..	2·10	45
सरकारी धन का दुर्विनियोग	..	2·11	46

	सन्दर्भ प्रस्तर	पृष्ठ
अध्याय 3 राज्य आबकारी		
लेखापरीक्षा के परिणाम ..	3.1	47
निम्नतर अधिष्ठापित क्षमता अपनाये जाने के कारण लाइसेंस फीस का कम वसूल किया जाना ..	3.2	48
मार्ग-गत हानियों के सम्बन्ध में आबकारी शुल्क का वसूल न किया जाना ..	3.3	48
भारत में बनी विदेशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाये जाने के कारण शुल्क का अवनिर्धारण ..	3.4	49
भारत में बनी विदेशी मदिरा पर निर्यात शुल्क का कम लगाया जाना ..	3.5	50
निर्धारित फीस (असेस्ड फीस) का वसूल न किया जाना ..	3.6	51
भारत में बनी विदेशी मदिरा के फर्जी निर्यात के कारण शुल्क की हानि ..	3.7	53
देशी स्पिरिट के निर्गम पर शुल्क का कम प्रभार ..	3.8	54
राजकीय प्रबन्ध में दुकानें चलाये जाने में अनियमिततायें ..	3.9	54
किस्तों के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का वसूल न किया जाना ..	3.10	55
अध्याय 4 वाहनों, माल और यात्रियों पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम ..	4.1	57
यात्री-कर के भुगतान से अनियमित छूट दिया जाना ..	4.2	57
अनुबंधित वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर का कम वसूल किया जाना ..	4.3	59
प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर का कम वसूल किया जाना ..	4.4	60
विभागीय चूकों के कारण यात्री-कर का कम वसूल होना ..	4.5	65

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
नियुत न्यूनतम किराया न अपनाये जाने के कारण यात्री-कर की हानि ..	4.6	68
किराये में पथ-कर (टॉल) शामिल न करने के कारण यात्री-कर की हानि ..	4.7	69
तालमेल के अभाव में यात्री-कर का अवनिर्धारण ..	4.8	70
यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक दर पर यात्री-कर वसूल किये जाने पर अर्थदण्ड का न लगाया जाना ..	4.9	71
मार्ग-कर का अवनिर्धारण ..	4.10	72
सरकारी कम्पनियों के स्वामित्व वाले वाहनों पर करों का निर्धारण न किया जाना ..	4.11	75
माल-कर का निर्धारण न किया जाना अथवा कम निर्धारण किया जाना ..	4.12	76
अग्रसारण (फारवर्डिंग) एजेन्सियों से लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूत का वसूल न किया जाना ..	4.13	77
पथ-कर का कम आरोपण ..	4.14	78
कर के विलम्बित भुगतान हेतु अर्थदण्ड का न लगाया जाना ..	4.15	79
प्रशमन शुल्क का कम वसूल किया जाना अथवा वसूल न किया जाना ..	4.16	80
अध्याय 5 स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस		
लेखापरीक्षा के परिणाम ..	5.1	82
कृषि-इतर भूमि के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण ..	5.2	82
भवनों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम लगाया जाना ..	5.3	84
विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम लगाया जाना ..	5.4	86

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
अध्याय 6 गन्ने के क्रय पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम ..	6·1	89
कर का भुगतान किये बिना चीनी की निकासी ..	6·2	89
कर के अंतिम दर का त्रुटिपूर्ण/विलम्बित निर्धारण ..	6·3	91
नियमों के अननुपालन के फलस्वरूप कर का कम आरोपण ..	6·4	92
गन्ने की खरीद पर कर के बकाया देय ..	6·5	93
अध्याय 7 अन्य कर प्राप्तियां		
क—भू-राजस्व		
लेखापरीक्षा के परिणाम ..	7·1	98
भूमि के लगान का निर्धारण न किया जाना अथवा कम निर्धारण किया जाना ..	7·2	98
संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना ..	7·3	99
पट्टे की धनराशि का वसूल न किया जाना ..	7·4	100
मत्स्य आखेट के पट्टों का निष्पादन तथा/अथवा पंजीकरण न किया जाना ..	7·5	101
ख—विद्युत शुल्क		
लेखापरीक्षा के परिणाम ..	7·6	101
विद्युत शुल्क का न लगाया जाना ..	7·7	102
औद्योगिक प्रयोजनों अथवा प्रेरक शक्ति (मोटिव पावर) हेतु उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत शुल्क का कम आरोपण ..	7·8	103
औद्योगिक अथवा प्रेरक शक्ति (मोटिव पावर) से भिन्न प्रयोजनों के लिये उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत शुल्क का कम आरोपण ..	7·9	104

		सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ
अध्याय 8 वन प्राप्तियां			
सामान्य	..	8·1	105
वन प्राप्तियों की गतिविधि	..	8·2	106
लेखापरीक्षा के परिणाम	..	8·3	106
बांसों का समुयोजन (एक्सप्लायटेशन)	..	8·4	107
उत्पादन के गलत आकलन के कारण राजस्व की हानि	..	8·5	114
रायल्टी का कम वसूल किया जाना	..	8·6	115
साल-बीजों का संग्रह न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	..	8·7	115
स्थायी आदेशों के अननुपालन के कारण राजस्व की हानि	..	8·8	117
वृक्षों का अवैध रुप से काट गिराया जाना	..	8·9	118
एक ठेकेदार से कम वसूली किया जाना	..	8·10	119
वन उपज की निकासी के नियमों का अनुपालन न किया जाना	..	8·11	120
अध्याय 9 अन्य विभागीय प्राप्तियां			
क—सिंचाई विभाग			
लेखापरीक्षा के परिणाम	..	9·1	121
संविदाओं पर स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना	..	9·2	121
जल प्रभारों की दरों का अपुनरीक्षण/जल प्रभारों की वसूली न करना	..	9·3	122
गूलों के निर्माण हेतु मांगें न निकालने के कारण हानि	..	9·4	123
राज्य नलकूपों की कार्य प्रणाली	..	9·5	124

	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
ख—सार्वजनिक निर्माण विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम ..	9·6	128
किराये की बकाया मांगें ..	9·7	128
पथ-कर संग्रह हेतु उच्चतम बोली का स्वीकार न किया जाना ..	9·8	129
पथ-कर का वसूल न किया जाना ..	9·9	130
ग—खाद्य और रसद विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम ..	9·10	131
सहकारी समितियों से चीनी लाइसेंस फीस का वसूल न किया जाना ..	9·11	131
लाइसेंसों का नवीनीकरण न किया जाना ..	9·12	132
लेवी चीनी के बढ़े हुए मूल्य की वसूली न किया जाना ..	9·13	132
घ—कृषि विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम ..	9·14	133
पूर्व—पुनरीक्षण के पूर्व की दरों पर उर्वरकों की बिक्री के कारण राजस्व की हानि ..	9·15	134
फार्म—उपज में कमी ..	9·16	134
ङ—पंचायतीराज विभाग		
राजस्व की हानि ..	9·17	135
च—सहकारिता विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम ..	9·18	135
माध्यस्थ शुल्क वसूल न किये जाने के कारण राजस्व की हानि ..	9·19	136
निष्पादन शुल्क का वसूल न किया जाना ..	9·20	137

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर वर्ष 1985-86 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इस पृथक् पुस्तक में प्रस्तुत है। प्रतिवेदन में सामग्री निम्नलिखित क्रम में रखी गयी है :

(i) अध्याय 1 में राजस्व प्राप्तियों की गतिविधियों को, कर राजस्व एवं कर-इतर राजस्व के अन्तर्गत वर्गीकृत करते हुए, दर्शाया गया है। इस अध्याय में राजस्व के प्रमुख शीर्षों से सम्बन्धित बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में अन्तर, राजस्व के बकायों की स्थिति, आदि की भी विवेचना की गई है।

(ii) 2 से 9 अध्यायों में कुछ ऐसे मामलों तथा रोचक बातों का समावेश किया गया है जो बिक्री-कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल और यात्रियों पर कर, स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस, गन्ने के क्रय पर कर, भू-राजस्व, विद्युत शुल्क तथा कर-इतर प्राप्तियों की लेखा-परीक्षा के दौरान देखने में आयें।

अध्याय 1

सामान्य

1.1. राजस्व प्राप्तियों की गतिविधि

उत्तर प्रदेश सरकार की वर्ष 1985-86 हेतु 3429.29 करोड़ रुपयों की प्रत्याशित प्राप्तियों के समक्ष कुल राजस्व प्राप्तियां 3876.86 करोड़ रुपये थीं। इसी वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों में 1983-84 की कुल प्राप्तियों (2655.42 करोड़ रुपये) की अपेक्षा 45 प्रतिशत तथा 1984-85 की कुल प्राप्तियों (3144.94 करोड़ रुपये) की अपेक्षा 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 3876.86 करोड़ रुपयों की कुल प्राप्तियों में से राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व 1815.31 करोड़ रुपये था, जिसमें से 1291.41 करोड़ रुपये कर राजस्व तथा शेष 523.90 करोड़ रुपये कर-भिन्न राजस्व निरूपित करते थे। भारत सरकार से 2061.55 करोड़ रुपयों की प्राप्तियां हुईं।

1.2. राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण

(क) सामान्य विश्लेषण

वर्ष 1985-86 के दौरान हुई राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण इससे पूर्व के दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों सहित नीचे दिया गया है :

	1983-84	1984-85	1985-86
		(करोड़ रुपयों में)	
I. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व—			
(क) कर राजस्व	992.10	1140.17	1291.41
(ख) कर-भिन्न राजस्व	404.75	384.39	523.90
योग	1396.85	1524.56	1815.31
II. भारत सरकार से प्राप्तियां—			
(क) विभाज्य संघीय करों में राज्य का भाग	682.12	961.66	1234.59
(ख) सहायक अनुदान	576.45	658.72	826.96*
योग	1258.57	1620.38	2061.55

*ब्योरों के लिये कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे 1985-86 में "विवरण संख्या 11—लघु शीर्षवार राजस्व का ब्योरेवार लेखा" देखें।

III.	राज्य की कुल प्राप्तियां (I+II)	2655·42	3144·94	3876·86
IV.	I की III से प्रतिशतता	53	48	47

(ख) राज्य द्वारा वसूल किया गया कर राजस्व

गत वर्ष के 75 प्रतिशत के तदनुरूपी आंकड़ों की तुलना में वर्ष 1985-86 के दौरान कर राजस्व से प्राप्तियां, राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्तियों का 71 प्रतिशत थीं । गत वर्ष की प्राप्तियों में कुल मिलाकर 13 प्रतिशत की वृद्धि रही । वर्ष 1985-86 तथा उससे पूर्व के दो वर्षों के कर राजस्व का विश्लेषण नीचे दिया गया है :

		1983-84	1984-85	1985-86	1984-85 के सन्दर्भ में 1985-86 में वृद्धि (+) या कमी (−)
			(करोड़ रुपयों में)		
1.	भू-राजस्व	34·86	24·11	27·92	(+) 3·81
2.	स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस	109·70	118·72	149·98	(+) 31·26
3.	राज्य आबकारी	130·19	180·80	173·67	(−) 7·13
4.	बिक्री-कर	460·13	527·23	628·23	(+) 101·00
5.	गन्ने के क्रय पर कर	27·73	30·45	23·78	(−) 6·67
6.	मोटर स्पिरिट और स्नेहनों की बिक्री पर कर	63·28	73·23	82·26	(+) 9·03
7.	वाहनों पर कर	33·23	40·08	42·45	(+) 2·37
8.	माल और यात्रियों पर कर	67·85	76·43	84·27	(+) 7·84
9.	विद्युत् पर कर और शुल्क	15·03	17·85	30·79	(+) 12·94
10.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	50·10	51·27	48·06	(−) 3·21
	योग	992·10	1140·17	1291·41	(+) 151·24

गत वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में "गन्ने के क्रय पर कर" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों में 22 प्रतिशत की कमी रही; कमी के कारण विभाग से प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987)।

(ग) राज्य का कर-भिन्न राजस्व

ब्याज प्राप्तियां, विविध सामान्य सेवायें, शिक्षा, लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास, वन तथा सिंचाई, नौपरिवहन, जल निकास एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं राज्य के कर-भिन्न राजस्व के प्रमुख स्रोत थे।

कर-भिन्न राजस्व से प्राप्तियां वर्ष 1985-86 के दौरान राज्य द्वारा वसूल किये गये राजस्व का 29 प्रतिशत थीं। पूर्व वर्ष की प्राप्तियों से इनमें 36 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1985-86 तथा उससे पूर्व के दो वर्षों के कर-भिन्न राजस्व का विश्लेषण नीचे दिया गया है :

		1983-84	1984-85	1985-86	1984-85 के संदर्भ में 1985-86 में वृद्धि (+) या कमी (—)
			(करोड़ रुपयों में)		
1.	ब्याज प्राप्तियां	151·19	160·77	180·00	(+) 19·23
2.	विविध सामान्य सेवायें	25·11	33·06	57·00	(+) 23·94
3.	शिक्षा	12·70	13·46	11·01	(—) 2·45
4.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	26·79	0·88	1·88	(+) 1·00
5.	लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास	12·53	14·05	23·25	(+) 9·20
6.	वन	55·22	60·85	55·95	(—) 4·90
7.	सिंचाई, नौपरिवहन, जलनिकास एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	39·41	27·39	107·01	(+) 79·62
8.	अन्य	81·80	73·93	87·80	(+) 13·87
	योग	404·75	384·39	523·90	(+) 139·51

"सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियां, 1983-84 में 26·79 करोड़ रुपयों से घट कर 1984-85 में 0·88 करोड़ रुपये तथा 1985-86 में 1·88 करोड़ रुपये रह गई; शिक्षा विभाग की प्राप्तियों में भी काफी कमी (18 प्रतिशत) रही । दूसरी ओर, "सिंचाई, नौपरिवहन, जल-निकास एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें" से प्राप्तियों में असाधारण वृद्धि (300 प्रतिशत से अधिक) हुई । अन्तरों के कारणों की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

1·3. बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान कर-राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व के बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच अन्तर नीचे दिये गये हैं :

	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर वृद्धि (+)/ कमी (−)	अन्तर की प्रतिशतता
	(करोड़ रुपयों में)			
क. कर राजस्व	1163·40	1291·41	(+) 128·01	10
ख. कर-भिन्न राजस्व	438·34	523·90	(+) 85·56	19

(ख) राजस्व के प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत अन्तरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर वृद्धि (+)/ कमी (−)	अन्तर की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(करोड़ रुपयों में)			
क—कर राजस्व				
1. भू-राजस्व	35·24	27·92	(−) 7·32	21
2. स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस	120·39	149·98	(+) 29·59	25
3. राज्य आबकारी	180·00	173·67	(−) 6·33	3
4. बिक्री-कर	535·41	628·23	(+) 92·82	17

(1)		(2)	(3)		(4)	(5)
5.	गन्ने के क्रय पर कर	21·17	23·78	(+)	2·61	10
6.	मोटर स्पिरिट तथा स्नेहनों की बिक्री पर कर	70·04	82·26	(+)	12·22	17
7.	वाहनों पर कर	40·36	42·45	(+)	2·09	5
8.	माल और यात्रियों पर कर	77·24	84·27	(+)	7·03	9
9.	विद्युत् पर कर और शुल्क	28·08	30·79	(+)	2·71	10
10.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	55·41	48·06	(−)	7·35	13
ख—कर-भिन्न राजस्व						
11.	ब्याज प्राप्तियां	145·92	180·00	(+)	34·08	23
12.	विविध सामान्य सेवायें	40·94	57·00	(+)	16·06	39
13.	शिक्षा	17·49	11·01	(−)	6·48	37
14.	लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास	16·94	23·25	(+)	6·31	37
15.	वन	62·42	55·95	(−)	6·47	10
16.	सिंचाई, नौपरिवहन, जल निकास एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	60·02	107·01	(+)	46·99	78

'भू-राजस्व', 'वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क' तथा 'शिक्षा' के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों से 10 प्रतिशत से अधिक कम रहीं । 'स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस', 'बिक्री-कर', 'मोटर स्पिरिट और स्नेहनों की बिक्री पर कर', 'ब्याज', 'विविध सामान्य सेवाएं', 'लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और क्षेत्र विकास' तथा 'सिंचाई, नौपरिवहन, जल निकास और बाढ़-नियंत्रण परियोजनाएं' शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमानों की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ गईं । इन विशाल अन्तरों के कारण संबंधित विभागों से प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

1.4. संग्रह की लागत

1983-84 से 1985-86 के तीन वर्षों के दौरान प्रमुख राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्तियों के संग्रह में किया गया व्यय नीचे दिया गया है :

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह पर व्यय की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(करोड़ रुपयों में)		
1. भू-राजस्व	1983-84	34.86	22.11	63
	1984-85	24.11	22.67	94
	1985-86	27.92	26.93	96
2. बिक्री-कर	1983-84	460.13	9.95	2
	1984-85	527.23	11.50	2
	1985-86	628.23	14.12	2
3. वाहनों पर कर	1983-84	33.23	0.94	3
	1984-85	40.08	1.17	3
	1985-86	42.45	1.17	3
4. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क—				
(क) मनोरंजन कर	1983-84	50.10	0.60	1
	1984-85	51.27	0.82	2
	1985-86	48.06	1.17	2
(ख) विद्युत् शुल्क	1983-84	15.03	0.52	3
	1984-85	17.85	0.63	4
	1985-86	30.79	0.67	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ग) माल और यात्रियों पर कर	1983-84	67·85	0·89	1
	1984-85	76·43	0·66	1
	1985-86	84·27	0·21	नगण्य

1·5· कर-निर्धारण में बकाये

(क) कर-निर्धारण वर्षों 1984-85 और 1985-86 के दौरान बिक्री-कर विभाग द्वारा निपटाये गये और मार्च के अन्त में निपटाये जाने हेतु अनिर्णीत कर-निर्धारण के मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित की गयी है, नीचे इंगित है :

(i) कर-निर्धारण के मामले जिन्हें निपटाया जाना था :

	1984-85	1985-86
लम्बित मामले	4,41,359	5,82,733×
चालू मामले	2,53,983	2,66,169
रिमांड के मामले	7,861	8,865
योग	7,03,203	8,57,767

(ii) निपटाये गये कर-निर्धारण के मामले :

	1984-85	1985-86
लम्बित मामले	1,49,845	2,05,078
चालू मामले	19,612	11,972
रिमांड के मामले	5,054	5,447
योग	1,74,511	2,22,497

(iii) निपटाये जाने हेतु बच रहे कर-निर्धारण के मामले :

	1984-85	1985-86
लम्बित मामले	2,91,514	3,77,655
चालू मामले	2,34,371	2,54,197
रिमांड के मामले	2,807	3,418
योग	5,28,692×	6,35,270

×1984-85 के अन्त शेष की तुलना में 1985-86 के आदि शेष में 54,041 मामलों की वृद्धि विभाग द्वारा, अभिलेखों की छानबीन के फलस्वरूप मामलों के शामिल किये जाने और उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 21 के अन्तर्गत खोले गये मामलों के कारण हुई, बतायी गयी ।

(ख) 1984-85 और 1985-86 दोनों वर्षों में अधिकांश मामले उन वर्षों के अन्त में निपटाये गये थे, जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है :

	1984-85		1985-86	
	निपटाये गये कर-निर्धारण वादों की संख्या	सृजित मांग (करोड़ रुपयों में)	निपटाये गये कर-निर्धारण वादों की संख्या	सृजित मांग (करोड़ रुपयों में)
अप्रैल से दिसम्बर	71,707	48·26	1,16,317	67·94
जनवरी से मार्च	1,02,804	105·36	1,06,180	175·84
योग	1,74,511	153·62	2,22,497	243·78

31 मार्च 1986 को अनिस्तारित कर-निर्धारण वादों का वर्षवार विभाजन निम्नवत् था :

कर-निर्धारण वर्ष	वादों की संख्या
1980-81 तक	200
1981-82	13,636
1982-83	1,51,510
1983-84	2,12,309
1984-85	2,54,197
पुनः कर-निर्धारण हेतु न्यायालयों द्वारा प्रतिप्रेषित वाद	3,418
योग	6,35,270

कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान अपील और पुनरीक्षण के मामलों के निस्तारण की प्रगति, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित की गयी है, निम्नवत् थी :

(i) निर्णीत किये जाने वाले मामलों की संख्या :

	अपील के मामले		पुनरीक्षण के मामले	
	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86
बकाया मामले	74,254	43,457	45,408	52,595
चालू मामले	39,881	45,632	21,398	23,615
योग	1,14,135	89,089	66,806	76,210

(ii) निर्णीत मामलों की संख्या :

	अपील के मामले		पुनरीक्षण के मामले	
	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86
बकाया मामले	56,634	34,357	10,011	9,918
चालू मामले	13,859	17,533	4,200	6,440
योग	70,493	51,890	14,211	16,358

(iii) अनिर्णीत मामलों की संख्या :

	अपील के मामले		पुनरीक्षण के मामले	
	1984-85	1985-86	1984-85	1985-86
बकाया मामले	17,435	8,965×	35,397	42,677
चालू मामले	26,022	28,099	17,198	17,175
योग	43,457	37,064	52,595	59,852

×अनिर्णीत अपील मामलों की संख्या 9,100 आती थी । 135 मामलों का अन्तर छानबीन के परिणामस्वरूप हुआ बताया गया ।

31 मार्च 1986 को बकाया अपील और पुनरीक्षण के मामलों का वर्षवार विभाजन निम्नवत् था :

वर्ष	31 मार्च 1986 को बकाया	
	अपील के मामले	पुनरीक्षण के मामले
1977-78	40	..
1978-79	35	1,451
1979-80	55	1,274
1980-81	90	3,790
1981-82	299	7,234
1982-83	2,066	8,762
1983-84	4,812	12,916
1984-85	17,970	18,601
1985-86	11,697	5,824
योग	37,064	59,852

1.6. असंग्रहीत राजस्व

कुछ प्राप्ति शीर्षों के संबंध में वर्ष 1985-86 के अन्त में संग्रहण हेतु बकाया राजस्व के विवरण (जैसा विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये) नीचे दिये गये हैं :

(i) **बिक्री-कर**—31 मार्च 1986 को 499.08 करोड़ रुपये (अनन्तिम) असंग्रहीत रहे, जिसके वर्षवार विवरण नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	बकायों की धनराशि (करोड़ रुपयों में)	टिप्पणियां
1980-81 तक	78.52	इसमें दस वर्षों से अधिक समय से अप्राप्त अर्थात् 1975-76 तक की अवधि के 18.09 करोड़ रुपये शामिल हैं ।

1981-82	26.37
1982-83	42.06
1983-84	46.35
1984-85	85.14
1985-86	220.64
योग	499.08

1980-81 तक की अवधि के 31 मार्च 1986 को संग्रहण हेतु बकाया 78.52 करोड़ रुपयों में से 20.17 करोड़ रुपयों और 0.58 करोड़ रुपयों की वसूलियां क्रमशः न्यायालयों और सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई थीं जबकि 11.28 करोड़ रुपये वसूल न होने योग्य बताये गये। शेष 46.49 करोड़ रुपयों के बकायों में 7.09 करोड़ रुपये (1970-71 तक के) शामिल हैं जिनकी वसूली की सम्भावनायें क्षीण बतलाई जाती हैं क्योंकि वितथी (डीफाल्टर्स) अन्य राज्यों में जा बसे हैं।

राज्य के 11 जिलों में बिक्री-कर की वसूली विभागीय वसूली योजना के अन्तर्गत की जाती है, जबकि 45 अन्य जिलों में यह जिलाधिकारी के अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों द्वारा की जाती है। विभाग के अनुसार, राजस्व अधिकारी अन्य बकायों की वसूली की भांति बिक्री-कर बकायों की वसूली करते हैं जो इतनी प्रभावी सिद्ध नहीं होती जैसा कि 11 जिलों के मामले में विभागीय वसूली योजना के अन्तर्गत होती है। कुछ अन्य जिलों में भी विभागीय वसूली योजना लागू किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है तथा ऐसा हो जाने पर वसूली की सम्भावनाओं में सुधार होने की आशा की जाती है।

499.08 करोड़ रुपयों के बकाये कार्यवाही की निम्नलिखित स्थितियों में थे :

कार्यवाही की स्थिति	बकायों की धनराशि (करोड़ रुपयों में)
(क) वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत्त मांगें	115.17
(ख) स्थगित की गई वसूली	
(i) न्यायालयों द्वारा तथा	62.88
(ii) सरकार द्वारा	12.69

कार्यवाही की स्थिति	बकायों की धनराशि (करोड़ रुपयों में)
(ग) अवरुद्ध वसूली	
(i) प्रार्थना-पत्रों में संशोधन/उनकी समीक्षा के कारण और	9.23
(ii) व्यापारियों के दिवालिया हो जाने के कारण	1.39
(घ) बट्टे खाते डाली जाने वाली सम्भावित धनराशि	28.91
(ङ) अन्य कारण	268.81
(i) सरकारी विभागों के विरुद्ध: 24.18 करोड़ रुपये;	
(ii) परिवहनकर्ताओं पर (जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं परन्तु जांच चौकियों पर लिखे उनके नाम व पते अपूर्ण होते हैं) : 58.95 करोड़ रुपये;	
(iii) अन्य राज्यों को भेजे गये वसूली प्रमाण-पत्र: 16.47 करोड़ रुपये;	
(iv) विभिन्न प्रशासनिक कारणों से अंतिम रूप से निश्चित न की गई मांगें: 169.15 करोड़ रुपये तथा	
(v) किस्तों में देय बकाया : 0.06 करोड़ रुपये	
योग	499.08

निम्न सारणी में उन निर्धारितियों की संख्या दर्शाई गई है जिन पर 31 मार्च 1986 को 5 लाख रुपयों से अधिक के बकाये हो गए थे :

बकाया मांगें	निर्धारितियों की संख्या	कर के कुल बकाये (करोड़ रुपयों में)
(क) 5 लाख रुपयों से अधिक परन्तु 10 लाख रुपयों से कम	186	12.54
(ख) 10 लाख रुपये और उससे अधिक परन्तु एक करोड़ रुपयों से कम	157	38.78
(ग) एक करोड़ रुपये एवं उससे अधिक	14	41.11
योग	357	92.43

(ii) **राज्य आबकारी शुल्क**—साधारणतया राज्य आबकारी शुल्क, विक्रय फीस आदि से सम्बन्धित कोई बकाये नहीं होने चाहिये क्योंकि ये आसवनियों/ब्रूअरी तथा/या बाँधित गोदामों से उत्पादनों को निकालने से पूर्व अग्रिम देय हो जाते हैं। देशी शराब और विदेशी शराब की दुकानों के नीलाम के मामले में भी, बोली की धनराशि का एक भाग पेशगी तथा शेष उपयुक्त किस्तों में लाइसेन्स/ठेके की वैधता की अवधि के अन्दर ही वसूल किया जाता है। फिर भी, विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, 31 मार्च 1986 को बकायों की धनराशि 64.35 करोड़ रुपये थी जिसमें से 42.01 करोड़ रुपयों और 0.34 करोड़ रुपयों की वसूलियां क्रमशः न्यायालयों और सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई थीं तथा 0.15 करोड़ रुपयों के बकाये अप्राप्त होने से बट्टे खाते डाले जाना प्रस्तावित था। शेष 21.85 करोड़ रुपयों के बकायों की वसूली होनी अवशेष है।

(iii) **विद्युत् शुल्क**—31 मार्च 1986 को बकायों की धनराशि 35.73 करोड़ रुपये थी जिसमें से 2.34 करोड़ रुपयों की धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् से मिलनी थी; 33.13 करोड़ रुपयों की वसूलियां (रेणू सागर पावर कम्पनी से 32.81 करोड़ रुपये और 0.32 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश की 9 चीनी मिलों से) उच्चतम और उच्च न्यायालयों द्वारा स्थगित कर दी गई थीं; 0.06 करोड़ रुपयों की मांगें केन्द्रीय सरकार के नियुक्त प्राधिकारियों से और 0.20 करोड़ रुपयों की शेष मांगें अन्य व्यक्तियों से वसूली के लिए अनुसरित की जा रही हैं।

(iv) **गन्ने के क्रय पर कर**—31 मार्च 1986 को संग्रहण हेतु 10.86 करोड़ रुपयों के बकायों में से 7.08 करोड़ रुपयों के बकाये 1981-82 से पूर्व की अवधि से, 1.42 करोड़ रुपये 1981-82 से 1983-84 वर्षों से और 2.36 करोड़ रुपये 1984-85 तथा 1985-86 वर्षों से संबंधित थे।

(v) **भू-राजस्व**—31 मार्च 1986 को संग्रह हेतु 26.39 करोड़ रुपयों के बकायों में से 14.91 करोड़ रुपयों की वसूली सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई थी।

इसी प्रकार, 31 मार्च 1986 को संग्रह हेतु भूमि विकास कर के 2.52 करोड़ रुपयों के बकायों में से 1.10 करोड़ रुपयों की वसूली सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई थी।

(vi) **वन**—मांगकर्ताओं को टिम्बर तथा अन्य वन उपजों की आपूर्ति हेतु माल भेजने से पूर्व उनसे संबंधित सम्पूर्ण भुगतानों की वसूली करनी होती है और इसलिये सामान्यतया टिम्बर तथा अन्य वन उपजों की आपूर्ति से संबंधित बकाये नहीं होने चाहिये। फिर भी विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के

अनुसार 31 मार्च 1986 को वन प्राप्तियों के बकायों की धनराशि 5.54 करोड़ रुपये थी जिसमें से 1.85 करोड़ रुपयों के बकाये 1981-82 से पूर्व की अवधि से, 1.61 करोड़ रुपये 1981-82 से 1983-84 वर्षों से तथा शेष 2.08 करोड़ रुपये 1984-85 और 1985-86 वर्षों से संबंधित थे ।

5.54 करोड़ रुपयों के बकाये कार्यवाही की निम्नलिखित स्थितियों में थे :

कार्यवाही की स्थिति	बकायों की धनराशि (करोड़ रुपयों में)
(क) ठेकेदारों की प्रतिभूतियों तथा विभाग की अभिरक्षा में पड़े हुए माल के समक्ष समायोजित होने वाली मांगें	3.53
(ख) वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत्त मांगें	1.19
(ग) न्यायालयों द्वारा स्थगित वसूली	0.49
(घ) बट्टे खाते डाली जाने वाली सम्भावित धनराशि	0.11
(ङ) अन्य स्थितियां	0.22
योग	5.54

(vii) पुलिस, उद्योग तथा चिकित्सा विभागों में भी असंग्रहीत राजस्व के कुछ उदाहरण वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा में देखने में आये थे जो नीचे इंगित किये गये हैं :

विभाग	बकायों की धनराशि (लाख रुपयों में)	बकायों की अवधि	सरकार को प्रतिवेदित (तिथि); उनका उत्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1–पुलिस				
(क) केन्द्रीय सरकार के विभागों के समक्ष बकाये	6.18	अप्रैल 1976 से दिसम्बर 1985	जुलाई 1986; उत्तर प्रतीक्षित	जैसा कि सात जिलों (इटावा, हरदोई, झांसी, खीरी, कानपुर, प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर) में देखा गया, बकाये समय के अन्दर प्रभारों

1	2	3	4	5
(ख) राज्य सरकार के बिभागों के समक्ष बकाये	19.90			के लिये बिल न भेजे जाने के कारण एकत्रित हुए थे।
(ग) बैंकों के समक्ष बकाये	8.60			
(घ) स्वायत्त निकायों के समक्ष बकाये	0.24			
योग	34.92			
2–उद्योग				
उत्तर प्रदेश लघु खनिज (रियायत) नियमावली 1963 के अन्तर्गत खनन पट्टों पर रायल्टी की बकाया वसूलियां	20.57	1974–75 से 1984–85	जुलाई 1986; उत्तर प्रतीक्षित	8 कलेक्टरेट (अलीगढ़, बिजनौर, फतेहगढ़, गोपेश्वर, हरदोई, कानपुर, मिर्जापुर तथा वाराणसी) में रायल्टी का भुगतान किये बिना लघु खनिजों के खनन कार्यों का समारंभ किया जाना पाया गया।
3–चिकित्सा				
राज्य स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा स्वायत्त निकायों, फैक्टरियों आदि से प्राप्त जल बहिःस्राव के नमूनों की गई जांच विश्लेषण हेतु बकाया फीस	0.74 (सरकार का भाग : 0.52 लाख रुपये)	अप्रैल 1976 से सितम्बर 1985	सरकार ने, जिसे मामला जुलाई 1986 में सूचित किया गया था, बताया (जनवरी 1987) कि बकायों की वसूली हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।	इनमें से 0.34 लाख रुपये पांच वर्षों से अधिक समय के हैं।

1.7. आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन

31 मार्च 1986 को आन्तरिक लेखापरीक्षा संगठन की स्थिति, जैसा कि कुछ विभागों ने सूचित किया है, नीचे दी गई है :

(क) **बिक्री-कर**—इस कार्य के लिये 13 लेखापरीक्षा अधिकारी, 103 वरिष्ठ लेखापरीक्षक और 60 लेखापरीक्षक चाहिये थे, जिसके समक्ष केवल 10 वरिष्ठ लेखापरीक्षक और 52 लेखापरीक्षकों ने 1985-86 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग को चलाया । आन्तरिक लेखापरीक्षण में 3.80 करोड़ रुपयों की हानि के 2,710 मामले इंगित किये गये । इनमें से 363 मामलों में 12.53 लाख रुपयों का कर लगाया गया जब कि 256 मामलों में 10.52 लाख रुपयों का कर लगाये जाने योग्य नहीं समझा गया । शेष मामलों में अनुगामी कार्यवाही की जा रही थी ।

(ख) **विद्युत शुल्क**—आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग प्रारम्भ करने का एक प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन था ।

1.8. अनिस्तारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा में देखे गये अव-निर्धारण, वित्तीय अनियमिततायें और मूल लेखे के रख-रखाव में त्रुटियां, जो मौके पर निस्तारित नहीं हो पातीं, कार्यालयों के अध्यक्षों एवं अगले उच्चतर विभागीय प्राधिकारियों को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचित की जाती हैं । अधिक महत्वपूर्ण अनियमिततायें विभागाध्यक्षों तथा सरकार को भी प्रतिवेदित की जाती हैं । छः माह से अधिक अनिस्तारित रहने वाली लेखापरीक्षा आपत्तियों के अर्धवार्षिक प्रतिवेदन भी विभागाध्यक्षों और सरकार को शीघ्र निस्तारण हेतु भेजे जाते हैं । लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर उनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर भेजे जाने अपेक्षित हैं ।

मार्च 1986 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या जो कि विभागों में निस्तारण हेतु 30 सितम्बर 1986 तक पड़े रहे, विगत दो वर्षों के तदनुरूपी आंकड़ों सहित नीचे दी गयी हैं :

	माह सितम्बर के अन्त की स्थिति		
	1984	1985	1986
1. अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	1,959	2,014	1,992
2. अनिस्तारित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	5,118	5,063	5,066
3. प्राप्तियों की निहित धनराशि (करोड़ रुपयों में)	32.03	47.21	53.90

निम्न सारणी में मार्च 1986 तक जारी किये गये परन्तु 30 सितम्बर 1986 को अनिस्तारित पड़े रहे निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्राप्तिवार विवरण दर्शाये गये हैं :

	प्राप्ति का स्वरूप	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रस्तरों की संख्या तथा निहित राजस्व			वर्ष जिससे सबसे पुराना प्रतिवेदन संबंधित है
		निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपयों में)	
1.	भू-राजस्व	145	325	1.74	1976-77
2.	स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस	546	1,000	1.84	1976-77
3.	राज्य आबकारी	142	379	2.36	1978-79
4.	बिक्री-कर	299	970	2.63	1980-81
5.	गन्ने के क्रय पर कर	130	176	1.07	1975-76
6.	वाहनों, माल और यात्रियों पर कर	145	522	1.52	1979-80
7.	विद्युत् शुल्क	47	76	1.15	1977-78
8.	मनोरंजन और पणन कर	5	6	0.01	1982-83
9.	सार्वजनिक निर्माण कार्य	21	72	0.27	1982-83
10.	सहकारिता	14	25	0.05	1981-82
11.	कृषि	23	58	0.12	1982-83
12.	खाद्य और रसद	27	76	0.13	1981-82
13.	वन	342	1,003	35.88	1975-76
14.	सिंचाई	106	378	5.13	1980-81
	योग	1,992	5,066	53.90	

निम्नलिखित प्राप्ति शीर्षों से संबंधित 516 लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के मामलों में विभागों से प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे :

		अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या			
		तीन वर्ष एवं उससे अधिक समय से अनिस्तारित (मार्च 1983 तक जारी)	दो वर्षों से अधिक परन्तु तीन वर्षों से कम समय से अनिस्तारित (1983-84 के दौरान जारी)	दो वर्षों से कम समय से अनिस्तारित (1984-85 एवं 1985-86 के दौरान जारी)	योग
1.	भू-राजस्व	..	..	37	37
2.	स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन फीस	..	..	13	13
3.	राज्य आबकारी	..	..	15	15
4.	बिक्री-कर	..	1	95	96
5.	गन्ने के क्रय पर कर	..	..	21	21
6.	वाहनों, माल और यात्रियों पर कर	..	2	28	30
7.	विद्युत् शुल्क	..	..	11	11
8.	सार्वजनिक निर्माण कार्य	4	4	34	42
9.	सहकारिता	..	..	7	7
10.	कृषि	..	7	26	33
11.	खाद्य और रसद	3	3	22	28
12.	वन	17	16	51	84
13.	सिंचाई	17	26	56	99
	योग	41	59	416	516

अध्याय 2

वित्त विभाग

बिक्री-कर

2.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1985-86 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये बिक्री-कर कार्यालयों के अभिलेखों के जांच परीक्षण से 896 मामलों में 97.95 लाख रुपयों के कर के अवनिर्धारण तथा ब्याज और अर्थदण्ड के न लगाये जाने अथवा कम लगाये जाने का पता चला, जो स्थूल रूप से निम्नांकित वर्गों के अन्तर्गत आते हैं :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	छूटों की अनियमित स्वीकृति	145	23.39
2.	कर की गलत दरों का लगाया जाना	159	8.64
3.	ब्याज/अर्थदण्ड का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना	132	16.65
4.	माल का गलत वर्गीकरण	36	6.24
5.	व्यापार (टर्नओवर) का कर-निर्धारण से छूट जाना और व्यापार का गलत निर्धारण	118	9.97
6.	अतिरिक्त कर का न लगाया जाना/कम लगाया जाना	101	4.80
7.	गणितीय गलतियां	57	5.26
8.	अन्य मामले	148	23.00
	योग	896	97.95

कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख उत्तरवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

2·2· नियत प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में विफलता

प्रत्येक व्यापारी को, जो किसी भी प्रकार का माल बेचता हो और जिसके व्यापार पर उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कर लगता है उसे इस अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अपेक्षित है। पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा विभागीय मैनुअल में कुछ शर्तें तथा प्रक्रियायें निर्धारित की गयी हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रावधान है कि व्यापारी निर्धारित प्रपत्र में बिक्री-कर अधिकारी को अपेक्षित विवरणों सहित एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा जो उसकी प्राप्ति पर, व्यापारी के परिचय, वर्तमान व्यापार के प्रारम्भ होने से पूर्व उसकी जीविका के स्रोत, व्यापारी की आर्थिक स्थिति, अर्थात् व्यापार में निवेशित पूंजी और इसका स्रोत, अचल तथा चल परिसम्पत्तियों के स्थान एवं उनका मूल्य, क्या व्यापारी का बैंक में खाता है और क्या फर्म के बन्द हो जाने की स्थिति में कर की शेष धनराशि की वसूली सम्भव हो सकेगी, व्यापारी का या उसके साझेदारों के स्थानीय तथा स्थायी पते तथा क्या ये पते पूर्ण और सही हैं, इन बातों का सत्यापन करेगा। स्थानीय जांचों द्वारा स्वयं सन्तुष्ट हो लेने के बाद, बिक्री-कर अधिकारी आवेदनपत्र की तिथि से 30 दिनों के अन्दर पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियमावली, 1948 के अनुसार एक पंजीकृत व्यापारी, जो किसी ऐसे माल को जो उपभोक्ता को की गयी बिक्री के बिन्दु पर कर योग्य है कर का भुगतान किये बिना ही क्रय करना चाहता है तो उससे अपेक्षित है कि वह फार्म III-ए में एक प्रमाणपत्र विधिवत भर कर एवं हस्ताक्षरित कर के विक्रेता व्यापारी को प्रस्तुत करे। इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि व्यापारी को नये फार्म तब तक जारी नहीं किये जायेंगे जब तक कि उसने पूर्व में जारी किये गये सभी फार्मों का हिसाब न दे दिया हो।

(i) बिक्री-कर मंडल, बरेली में एक व्यापारी को, उससे 2,000 रुपये की प्रतिभूति प्राप्त करने के बाद किन्तु उसके स्थानीय और स्थायी पते और आर्थिक स्थिति के बारे में मौके पर सर्वेक्षण अथवा जांच किये बिना ही पहली अप्रैल 1978 से प्रभावी पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया गया था। 2 मई 1978 से 20 सितम्बर 1978 की अवधि के दौरान व्यापारी को 550 फार्म (फार्म III-ए) सात किस्तों में यह सुनिश्चित किये बिना ही जारी कर दिये गये कि उसे पूर्व के अवसरों पर जारी किये गये फार्मों का उचित रीति से उपयोग किया गया अथवा नहीं। व्यापारी ने इन फार्मों के माध्यम से भारी मात्रा में लोहे और इस्पात की कर-मुक्त खरीदें कीं। क्योंकि उसने नवम्बर 1978 के बाद से मासिक परिलेखों का प्रस्तुत करना बन्द कर दिया था, फरवरी 1979 में 1978 के नवम्बर और दिसम्बर महीनों हेतु अनन्तिम

कर-निर्धारण किया गया । बाद में व्यापारी फर्जी पाया गया । 7 अप्रैल 1979 से व्यापारी का पंजीयन प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया गया किन्तु उसे जारी किये गये III-ए फार्मों के अनवरत दुरुपयोग को रोकने के लिये प्रमाण-पत्र निरस्त किये जाने का तथ्य गजट में अथवा प्रेस के माध्यम से अधिसूचित नहीं किया गया । अन्य बिक्री-कर खण्डों से प्राप्त सूचना के आधार पर जनवरी 1983 में वर्ष 1978-79 हेतु अन्तिम कर-निर्धारण एकपक्षीय आधार पर पूरा कर दिया गया । 394 फार्म III-ए के उपयोग को ध्यान में रखते हुये, व्यापारी का लोहा और इस्पात का विक्रय व्यापार 15 करोड़ रुपयों का आकलित किया गया और 60 लाख रुपये (4 प्रतिशत की दर पर) का कर आरोपित किया गया । किन्तु, चूंकि व्यापारी लापता था, कर वसूल नहीं किया जा सका । यह मालूम नहीं हो सका कि शेष 156 III-ए फार्मों के माध्यम से किसी प्रकार की खरीदें की गयी थीं अथवा नहीं । पंजीयन प्रमाण-पत्र के प्रदान किये जाने तथा फार्मों के निर्गम से सम्बन्धित नियत प्रक्रिया के अननुपालन के फलस्वरूप सरकार को कम से कम 60 लाख रुपये की हानि हुयी ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1983) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 1985) कि चूक करने वाले अधिकारियों को चेतावनी दे दी गयी है अथवा उनकी चरित्र-पंजिकाओं में प्रविष्टियां कर दी गयी हैं ।

सरकार को मामला नवम्बर 1983 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

(ii) इसी प्रकार, बिक्री-कर मण्डल, मुजफ्फरनगर में एक व्यापारी को निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन किये बिना 11 जनवरी 1977 से पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया गया था । जनवरी 1977 से 25 मार्च 1977 की अवधि के दौरान व्यापारी को 295 फार्म III-ए जारी किये गये । यह सुनिश्चित किये बिना कि उसे पहले जारी किये गये फार्म किस प्रकार उपयोग में लाये गये थे, पहली अप्रैल 1977 से 8 नवम्बर 1977 के दौरान 1,051 फार्म उसे और जारी कर दिये गये । व्यापारी फार्म III-ए में की गयी घोषणा के आधार पर बिना कर का भुगतान किये भारी मात्रा में लोहा और इस्पात की खरीदें करता रहा । क्योंकि व्यापारी द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जा रहा था, कर-निर्धारण अधिकारी ने 10 दिसम्बर 1977 को व्यापार के घोषित स्थान का निरीक्षण किया; वहां किसी फर्म का अस्तित्व नहीं पाया गया । इसके बावजूद 27 दिसम्बर 1977 को व्यापारी को 100 फार्म और जारी कर दिये गये ।

वर्ष 1976-77 और 1977-78 हेतु कर-निर्धारण 31 मार्च 1981 तथा 25 मार्च 1982 को एकपक्षीय रूप से किया गया और 45,00,000

रुपयों तथा 7,00,00,000 रुपयों के आकलित व्यापार पर क्रमशः 1,80,000 रुपये तथा 28,00,000 रुपये का कर (4 प्रतिशत की दर पर) आरोपित किया गया । किन्तु यह धनराशि व्यापारी से वसूल नहीं की जा सकी क्योंकि वह लापता था । इसके फलस्वरूप सरकार को 29.80 लाख रुपयों की हानि उठानी पड़ी ।

विभाग और सरकार को मामला अक्टूबर 1983 में प्रतिवेदित किया गया था । विभाग ने बताया (अक्टूबर 1985) कि राज्य के अन्य नगरों में भी घोटाला चल रहा है और, इसीलिये, सरकार को लोहा और इस्पात पर करारोपण का बिन्दु परिवर्तित करना पड़ा है । विभाग का उत्तर सरकार द्वारा भी समर्थित कर दिया गया है (मई 1986) । किन्तु, उत्तर इस बात पर मूक है कि गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही संकल्पित की गयी है ।

2.3. छूटों और रियायतों की अनियमित स्वीकृति

(i) ट्रांसमिशन टावरों की बिक्रियां दिनांक 26 सितम्बर 1963 की सरकारी अधिसूचना द्वारा बिक्री-कर के आरोपण से मुक्त कर दी गयी थीं । किन्तु 28 फरवरी 1979 को जारी की गयी एक अन्य अधिसूचना द्वारा यह अधिसूचना विखण्डित कर दी गयी थी । तत्पश्चात् पहली मार्च 1979 से निर्माताओं या आयातकर्ताओं द्वारा ट्रांसमिशन टावरों की बिक्रियों पर उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अवर्गीकृत मदों पर लागू 8 प्रतिशत की दर (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) से कर आरोपणीय हुआ ।

लखनऊ में एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1979-80 और 1980-81 में क्रमशः 15,21,375 रुपये एवं 25,95,717 रुपये मूल्य के ट्रान्समिशन टावरों की बिक्रियों पर विभाग द्वारा बिक्री-कर की अनियमित रूप से छूट प्रदान कर दी गयी । छूट की अनियमित स्वीकृति के फलस्वरूप 1,21,710 रुपयों और 2,07,657 रुपयों (1979-80 और 1980-81 वर्षों हेतु) का कर वसूल नहीं हुआ ।

विभाग और सरकार को मामला नवम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-डी के अन्तर्गत सरकार ने दिसम्बर 1976 में जारी की गयी एक अधिसूचना में कतिपय शर्तों की पूर्ति किये जाने पर कुछ अधिसूचित माल के निर्माण में

प्रयोग हेतु निर्माताओं द्वारा कच्चे माल की कर-मुक्त खरीदों का प्रावधान किया है । उपर्युक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध न किये गये माल के निर्माण हेतु कच्चे माल की खरीदें 4 प्रतिशत की रियायती दर पर की जा सकती हैं ।

(क) बिक्री-कर मण्डल, काशीपुर (जिला नैनीताल) में कार्ड-बोर्ड और स्ट्राबोर्ड के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने क्रमशः 1981-82 तथा 1982-83 वर्षों के दौरान निर्धारित घोषणापत्रों (फार्म III-बी में) के बल पर बिना कर का भुगतान किये 79,425 रुपये और 5,01,947 रुपये की खोई (कच्चा माल) खरीदी । क्योंकि कार्ड-बोर्ड और स्ट्राबोर्ड उक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध माल नहीं थे, कच्चे माल की कर-मुक्त खरीद अनुमन्य नहीं थी । अनियमित छूट के फलस्वरूप 23,255 रुपये का कर आरोपित नहीं हुआ ।

विभाग और सरकार को मामला अप्रैल 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

(ख) बिक्री-कर मण्डल, अलीगढ़ में हार्डवेयर और मशीनों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने फार्म III-बी में की गई घोषणाओं के बल पर बिना कर का भुगतान किये वर्ष 1982-83 के दौरान 4.08 लाख रुपये का लोहा और इस्पात क्रय किया और इसका प्रयोग उपर्युक्त माल के निर्माण में किया । क्योंकि व्यापारी द्वारा निर्मित माल दिनांक 31 दिसम्बर 1976 के अनुलग्नक I अथवा III में समाविष्ट नहीं थे, वह कच्चे माल की कर-मुक्त खरीद का अधिकारी नहीं था । छूट की अनियमित स्वीकृति के कारण 16,339 रुपये का कर आरोपित नहीं हुआ ।

विभाग और सरकार को मामला दिसम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

(iii) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जारी की गयी दिनांक 31 जनवरी 1978 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार पहली फरवरी 1978 से 6 सितम्बर 1981 की अवधि के दौरान खाल और चमड़ों के तैयार करने की प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली बबल की छाल प्रथम-क्रय के बिन्दु पर 7 प्रतिशत (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की दर से कर-योग्य थी । मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी द्वारा कतिपय अधिसूचित माल के निर्माण में प्रयोग हेतु कच्चे माल की खरीदों (प्रथम क्रय के बिन्दु पर करयोग्य) पर 4 प्रतिशत के रियायती दर से कर आरोपणीय है । इसके अतिरिक्त दिनांक 27 अक्टूबर 1979 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार कच्ची खाल को सुसज्जित खाल के रूप में तैयार करने में प्रयोग किया जाने वाला कोई भी

रसायन, सुसज्जित खालों के निर्माण हेतु कच्चा माल नहीं है । रसायन 8 प्रतिशत (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की दर पर करयोग्य है ।

(क) बिक्री-कर मण्डल, कानपुर में सुसज्जित खाल एवं जूतों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1980-81 के दौरान 10,29,757 रुपयों के रसायन तथा 2,82,555 रुपयों की बबूल की छाल की खरीद की और 4 प्रतिशत की रियायती दर पर कर का भुगतान किया । चूंकि रसायन एवं बबूल की छाल सुसज्जित खालों और जूतों के निर्माण हेतु कच्चे माल नहीं हैं, व्यापारी 4 प्रतिशत की रियायती दर पर कर का भुगतान करके उन्हें खरीदने का अधिकारी नहीं था; रसायन और बबूल की छाल के व्यापार (टर्न-ओवर) पर क्रमश: 8 और 7 प्रतिशत (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की सामान्य दरों पर कर आरोपणीय था । इस गलती के फलस्वरूप 49,666 रुपये का कर कम आरोपित हुआ ।

यह गलती जनवरी 1986 में लेखापरीक्षा में इंगित की गयी; विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

(ख) इसी प्रकार दो अन्य मामलों में जिनमें मान्यता प्रमाण-पत्र धारक कानपुर के व्यापारियों ने वर्ष 1978-79 के दौरान 14,61,580 रुपये तथा 5,42,729 रुपये की क्रमश: बबूल की छाल तथा रसायनों की खरीद की थी; कर 7 और 8 प्रतिशत (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की दर के बजाय 4 प्रतिशत की रियायती दर पर आरोपित किया गया । इस त्रुटि के फलस्वरूप बबूल की छाल और रसायनों के व्यापार पर क्रमश: 43,847 रुपये और 21,709 रुपये का कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा (जून 1983) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अगस्त 1984) कि इस बीच कर-निर्धारण पुनरीक्षित कर दिये गये थे और व्यापारियों पर 65,556 रुपयों की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है । अप्रैल 1986 में विभाग ने बताया कि एक व्यापारी के मामले में उसे वापस की जाने वाली रकम (रिफन्ड) के समक्ष 17,959 रुपये समायोजित कर लिये गये हैं और यह कि दूसरा व्यापारी अपील में चला गया है । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

(ग) बिक्री-कर मण्डल, आगरा में सुसज्जित खालों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने 1980-81 तथा 1981-82 (6 सितम्बर 1981 तक) वर्षों के दौरान क्रमश: 16,14,067 रुपये और 27,00,940 रुपये के रसायन खरीदे और कर 8 प्रतिशत (एक प्रतिशत अति-रिक्त कर सहित) की सामान्य दर के बजाय 4 प्रतिशत की रियायती दर पर

आरोपित किया गया । इस त्रुटि के कारण वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 हेतु क्रमशः 64,562 रुपये और 1,08,037 रुपये का कर कम आरोपित हुआ ।

यह त्रुटि मार्च 1986 में लेखापरीक्षा में इंगित की गयी; विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

(घ) एक और मामले में भी सुसज्जित खालों और चमड़ों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक आगरा के एक व्यापारी ने 1978-79, 1979-80 और 1980-81 वर्षों के दौरान क्रमशः 6,12,962 रुपये, 1,62,662 रुपये और 3,59,552 रुपये के रसायन खरीदे और कर 8 प्रतिशत (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की सामान्य दर के बजाय 4 प्रतिशत की रियायती दर पर आरोपित किया गया । रियायत की अनियमित स्वीकृति के फलस्वरूप 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 वर्षों हेतु क्रमशः 24,518 रुपये, 6,506 रुपये और 14,382 रुपये का कर कम आरोपित हुआ ।

यह त्रुटि मार्च 1986 में लेखापरीक्षा में इंगित की गयी; विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

(ङ) बिक्री-कर मण्डल, कानपुर में, सुसज्जित खाल के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1980-81 के दौरान 4 प्रतिशत की रियायती दर पर 4,04,501 रुपये की बबूल की छाल क्रय की । चूंकि बबूल की छाल सुसज्जित खालों के निर्माण हेतु कच्चा माल नहीं है, कर 7 प्रतिशत (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की सामान्य दर से आरोपणीय था । इस त्रुटि के फलस्वरूप 12,135 रुपये का कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1985) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जनवरी 1986) कि कर-निर्धारण पुनरीक्षित कर दिया गया है और व्यापारी पर 12,135 रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी गयी है । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

उपर्युक्त मामले सरकार को जून 1983 और मार्च 1986 के बीच प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

(iv) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी व्यापारी को, जिसे किसी अधिसूचित माल के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु किसी प्रकार के माल की आवश्यकता होती है और ऐसे अधिसूचित माल उसके द्वारा राज्य में अथवा अन्त-

राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा भारत के बाहर निर्यात के दौरान बेचे जाने के लिये अभिप्रेत होते हैं तो वह ऐसे मालों के निर्माण के संबंध में, ऐसी शर्तों के अधीन जैसी कि कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती हैं, मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जा सकता है। मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी, अपने बिक्री-कर अधिकारी से फार्म III-बी प्राप्त कर के, उसमें एक प्रमाण-पत्र विक्रेता व्यापारी को देकर रियायती दर पर कच्चा माल खरीद सकता है।

(क) बिक्री-कर मण्डल, आगरा में एक व्यापारी को तेल के निर्माण हेतु 14 नवम्बर 1975 से प्रभावी एक मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। प्रमाण-पत्र वर्ष 1975-76 की समाप्ति तक वैध था। फिर भी व्यापारी ने उसके बाद निर्धारित फीस का भुगतान करके उसका नवीनीकरण नहीं कराया। यद्यपि मान्यता प्रमाण-पत्र 31 मार्च 1976 के बाद वैध नहीं रह गया था, विभाग व्यापारी को फार्म III-बी निरन्तर जारी करता रहा जिसने इन फार्मों की सहायता से 2 प्रतिशत की रियायती दर पर 1976-77, 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 वर्षों के दौरान क्रमशः 8,42,843 रुपये, 86,000 रुपये, 2,84,685 रुपये और 93,179 रुपये के तिलहनों की खरीद की। किन्तु वैध मान्यता प्रमाण-पत्र के अभाव में कर 4 प्रतिशत की सामान्य दर पर आरोपणीय था। व्यापारी को अनियमित रूप से फार्म III-बी जारी किये जाने के फलस्वरूप 1976-77 से 1979-80 वर्षों हेतु कुल 26,132 रुपये का कर कम वसूल हुआ।

यह त्रुटि लेखापरीक्षा में सितम्बर 1985 में इंगित की गयी; विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

(ख) बिक्री-कर मण्डल, गाजियाबाद में एक निर्माता के निवेदन पर तार और कीलों के निर्माण हेतु पहली अप्रैल 1979 से प्रभावी एक मान्यता प्रमाण-पत्र पहली अप्रैल 1979 को प्रदान किया गया। व्यापारी ने इस प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्धारित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करके बिना कर का भुगतान किये वर्ष 1980-81 के दौरान 5,70,446 रुपये मूल्य का लोहा खरीदा। व्यापारी द्वारा इस माल में से 3,34,390 रुपये मूल्य का (लगभग) लोहा कीलों के निर्माण हेतु प्रयोग में लाया गया। मान्यता प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना ही अपने आप में गलत था क्योंकि "कीलें" "लोहा और इस्पात" के मद में नहीं आती है और इसलिये अधिसूचित माल नहीं है। कीलों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र के गलत जारी किये जाने के फलस्वरूप 0.13 लाख रुपये के कर (व्यापारी द्वारा 4 प्रतिशत की दर पर देय कर की धनराशि) की अनियमित छूट हुयी।

लेखापरीक्षा (मार्च 1986) में इस चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया (मार्च 1987) कि व्यापारी पर 0.13 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगा दिया गया है।

सरकार को उपर्युक्त दोनों मामले सितम्बर 1985 और मार्च 1986 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

(v) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जारी की गयी दिनांक 31 दिसम्बर 1976 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार कागज के निर्माण में लगी हुई इकाइयां, फार्म III-बी में घोषणा-पत्रों के आधार पर कर-मुक्त अथवा रियायती दर पर कच्चे माल की खरीद करने की अधिकारी नहीं हैं।

बिक्री-कर मण्डल, गाजियाबाद में एक व्यापारी को कागज के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र जून 1979 में स्वीकृत किया गया। उसने निर्धारित घोषणा-पत्रों (फार्म III-बी) के बल पर वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान क्रमशः 3,48,014 रुपये और 7,06,184 रुपये का कच्चा माल, कर का भुगतान किये बिना, खरीदा। मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रदान किया जाना अनियमित था क्योंकि व्यापारी कागज के निर्माण में लगा हुआ था। मान्यता प्रमाण-पत्र के अनियमित रूप से प्रदान किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 1979-80 और 1980-81 हेतु क्रमशः 24,360 रुपये और 49,433 रुपये का कर (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित 7 प्रतिशत की दर पर) वसूल नहीं हुआ।

लेखा-परीक्षा (सितम्बर 1985) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने वर्ष 1980-81 हेतु कर-निर्धारण पुनरीक्षित कर दिया और 7,19,020 रुपये मूल्य के कच्चे माल की खरीदों (उपभोग्य सामग्रियों तथा पैकिंग सामग्रियों की खरीदों सहित) पर 50,443 रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी। 50,443 रुपयों की वसूली और वर्ष 1979-80 हेतु कर-निर्धारण पुनरीक्षित करने के लिये कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

सरकार को मामला फरवरी 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

2.4. कर की गलत दरों का लगाना

(i) केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(2) (क) के अन्तर्गत निर्धारित घोषणा-पत्रों (फार्म सी अथवा डी) से असमर्थित घोषित माल की अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर राज्य के अन्दर ऐसे माल के विक्रय अथवा क्रय पर लागू दर के दुगुने पर कर आरोपणीय है। 7 दिसम्बर 1979 और 6 सितम्बर 1981 के बीच उत्तर प्रदेश में सूती धागे (घोषित माल) की बिक्री पर कर की दर 2.5 प्रतिशत थी।

(क) बिक्री-कर मण्डल कानपुर में वर्ष 1980-81 के दौरान दो व्यापारियों ने क्रमशः 28,18,463 रुपये और 89,58,975 रुपये की सूती धागे (घोषित माल) की अन्तर्राज्यीय बिक्रियां की। यद्यपि ये बिक्रियां निर्धारित घोषणा-पत्रों (फार्म सी अथवा डी में) से समर्थित नहीं थीं, कर दुगुनी दर अर्थात् 5 प्रतिशत के बजाय, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आरोपणीय 2.5 प्रतिशत की दर पर आरोपित किया गया। गलत दर के लगाये जाने के फलस्वरूप क्रमशः 70,461 रुपये और 2,23,974 रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

यह त्रुटि जनवरी 1986 में लेखापरीक्षा में इंगित की गयी; विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

(ख) बिक्री-कर मण्डल, हाथरस (जिला अलीगढ़) में एक व्यापारी ने वर्ष 1980-81 में अन्तर्राज्यीय व्यापार के दौरान 21,10,490 रुपये का सूती धागा बेचा। बिक्री फार्म सी अथवा डी के घोषणा-पत्रों द्वारा समर्थित नहीं
5 प्रतिशत के बजाय थी, किन्तु विभाग ने 2.5 प्रतिशत की दर पर कर आरोपित किया। कर की गलत दर लगाये जाने के फलस्वरूप 52,762 रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

यह त्रुटि अक्टूबर 1985 में लेखापरीक्षा में इंगित की गयी; विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

सरकार को उपर्युक्त मामले क्रमशः जनवरी 1986 और अक्टूबर 1985 में प्रतिवेदित किये गये; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत शस्त्रास्त्र और गोला बारूद तथा उनके अंग-भूत पुर्जे एवं उपकरणों (एक्सेसरीज) की बिक्रियों पर निर्माता या आयातकर्ता द्वारा बिक्री के बिन्दु पर 6 सितम्बर 1981 तक 13 प्रतिशत (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) और 7 सितम्बर 1981 से 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था।

(क) देहरादून में एक व्यापारी ने पहली अप्रैल 1980 से 6 सितम्बर 1981 और 7 सितम्बर 1981 से 31 मार्च 1982 की अवधियों के दौरान क्रमशः 4,63,840 रुपये और 3,73,960 रुपये मूल्य के सुरक्षा-फ्यूज (सेफ्टी-फ्यूज) की बिक्री की। इन सभी बिक्रियों पर कर 8 प्रतिशत की दर पर आरोपित किया गया, यद्यपि यह क्रमशः 13 और 14 प्रतिशत की दरों पर आरोपणीय था। इस त्रुटि के फलस्वरूप 45,629 रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

लेखापरीक्षा (जून 1984) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर विभाग ने इन कर-निर्धारणों को पुनरीक्षित कर दिया और व्यापारी पर 45,629 रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी (अप्रैल 1985) । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

(ख) इसी प्रकार वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान देहरादून मण्डल के एक अन्य व्यापारी द्वारा क्रमशः 6,79,744 रुपये और 8,07,720 रुपये के बारूद, सुरक्षा-फ्यूज और प्रस्फोटकों (डेटोनेटर्स) की बिक्रियों पर 13 प्रतिशत की सही दर के बजाय 8 प्रतिशत की दर पर कर आरोपित किया गया । इस गलती के फलस्वरूप 74,373 रुपये का कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा (जून 1984) में गलती के इंगित किये जाने पर विभाग ने इन कर-निर्धारणों को पुनरीक्षित कर दिया और व्यापारी के विरुद्ध 74,373 रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी (अप्रैल 1985) । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार ने, जिसे ये मामले जून 1984 में प्रतिवेदित किये गये थे, विभाग द्वारा कृत कार्यवाही का समर्थन कर दिया (मई 1986) ।

2.5. माल के गलत वर्गीकरण के कारण कम करारोपण

(i) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कपास की रद्दी की बिक्री पर अप्रैल 1976 से 4 प्रतिशत की दर पर कर आरोपणीय था । साथ ही बिक्री-कर आयुक्त द्वारा जारी किये गये दिनांक 27 सितम्बर 1981 के विभागीय परिपत्र के अनुसार कपास की रद्दी तथा सूती धागे की रद्दी एक ही वस्तु के विभिन्न नाम हैं ।

(क) बिक्री-कर मण्डल, बुलन्दशहर में एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1983-84 के दौरान की गयी 5,22,030 रुपये की सूती धागे की रद्दी की बिक्रियों पर कपास की रद्दी पर लागू 4 प्रतिशत की सही दर के बजाय उसे सूती धागा मानते हुये 2 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया । इस त्रुटि के कारण 10,440 रुपये का कर कम आरोपित हुआ ।

विभाग और सरकार को मामला जनवरी 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

(ख) इसी प्रकार, बिक्री-कर मण्डल, हाथरस में एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान की गयी क्रमशः 20,24,960 रुपये और 16,28,256 रुपये की सूती धागे की रद्दी की बिक्रियों पर 4 प्रतिशत

की सह। दर के बजाय सूती धागे की रद्दी को सूती धागा मानते हुये 6 दिसम्बर 1979 तक 2 प्रतिशत की दर से और 7 दिसम्बर 1979 से 31 मार्च 1981 तक 2.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। इसके परिणाम-स्वरुप 97,953 रुपये (एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर सहित) का कर कम आरोपित हुआ।

विभाग और सरकार को मामला अक्टूबर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987)।

(ii) जैसा कि बिक्री-कर आयुक्त द्वारा अपने पत्र दिनांक 12 जुलाई 1985 में स्पष्टीकरण दिया गया है, लहरिया कागज के ताव (कोरयूगेटेड पेपर शीट्स) "कागज" मद के अंतर्गत नहीं आते हैं और इसलिये उनकी बिक्री अवर्गीकृत मदों की भांति उन पर लागू 8 प्रतिशत (6 सितम्बर 1981 तक एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की दर से करयोग्य हैं।

बिक्री-कर मण्डल, मुरादाबाद में एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1981-82 तथा 1983-84 के दौरान की गयी क्रमशः 2,38,936 रुपये और 3,60,507 रुपये की लहरिया कागज के तावों की बिक्रियों पर लहरिया कागज के तावों को कागज मानते हुये 6 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया यद्यपि वर्ष 1982-83 हेतु उस वस्तु को अवर्गीकृत मद मानते हुये 8 प्रतिशत की सही दर से कर आरोपित किया गया था। गलत वर्गीकरण के कारण 1981-82 तथा 1983-84 वर्षों हेतु 11,988 रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

विभाग और सरकार को यह मामला अक्टूबर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987)।

(iii) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत संग-मरमर के टुकड़ों (मार्बल चिप्स) की बिक्रियों पर 6 सितम्बर 1981 तक उप-भोक्ता को विक्रय के बिन्दु पर 7 प्रतिशत (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की दर से और तत्पश्चात् 6 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था।

बिक्री-कर मण्डल, लखनऊ में एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान की गयी क्रमशः 5,35,283 रुपये और 4,95,336 रुपये मूल्य की मार्बल चिप्स की बिक्रियों पर 7 प्रतिशत की सही दर के बजाय 3 प्रतिशत (जो दर खनिज पदार्थों के विक्रय पर लागू थी) की दर से कर आरोपित किया गया। गलत वर्गीकरण के फलस्वरूप क्रमशः 21,411 रुपये और 19,813 रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

विभाग और सरकार को मामला नवम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987)।

2.6. III-बी फार्म के घोषणा-पत्र का दुरुपयोग

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-बी में कुछ निर्माताओं को कतिपय शर्तों की पूर्ति पर कुछ अधिसूचित मालों के निर्माण हेतु अपेक्षित कच्चे माल की खरीद पर कर में विशिष्ट छूट हेतु एक योजना का प्रावधान किया गया है। किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अथवा मिथ्या घोषणा-पत्र जारी किये जाने की दशा में जिसके कारण विक्रय अथवा क्रय पर कर का आरोपण किया जाना समाप्त कर दिया गया हो, व्यापारी द्वारा ऐसे कच्चे मालों की खरीद पर कर में प्राप्त की गई छूट की धनराशि के समतुल्य धनराशि का भुगतान करने का दायी हो जाता है।

(i) बिक्री-कर मण्डल, हल्द्वानी में ह्यूम पाइप, स्पन पाइप और जल संचय टंकी आदि के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान फार्म III-बी में घोषणाओं के आधार पर क्रमशः 5,74,851 रुपये और 5,50,943 रुपये के लोहे के तारों की खरीद बिना कर का भुगतान किये की। चूंकि निर्माता केवल 4 प्रतिशत की रियायती दर पर ही कच्चे मालों की खरीद के लिये अधिकारी था न कि कर-मुक्त खरीद के लिये, इन दो वर्षों में 45,031 रुपये का कर कम आरोपित हुआ।

अप्रैल 1986 में लेखापरीक्षा में यह त्रुटि इंगित की गयी; विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

(ii) बिक्री-कर मण्डल, हाथरस में कांच के बर्तन तथा कांच की बोतलों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने 1980-81 और 1981-82 वर्षों के दौरान फार्म III-बी में घोषणाओं के आधार पर बिना कर का भुगतान किये क्रमशः 1,37,813 रुपये और 35,108 रुपये के प्लास्टिक पम्प, रबर पट्टियां (रबर बेल्ट्स) पुली और अग्निसह ईंटों (फायरब्रिक्स) की कच्चे माल के रूप में खरीद की। क्योंकि कांच के बर्तन और कांच की बोतलों के निर्माण हेतु प्लास्टिक पम्प, रबर पट्टियां, पुली और फायर ब्रिक्स कच्चे माल नहीं थे, व्यापारी फार्म III-बी में घोषणा-पत्रों के आधार पर इन मालों की कर-मुक्त खरीदों का अधिकारी नहीं था। अतः वह 1980-81 और 1981-82 वर्षों के दौरान उसके द्वारा प्राप्त रियायत की धनराशि के समतुल्य क्रमशः 11,024 रुपये और 2,808 रुपये (8 प्रतिशत की दर पर) के कर के भुगतान का दायी है।

सितम्बर 1985 में लेखापरीक्षा में त्रुटि इंगित की गयी; विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

(iii) बिक्री-कर मण्डल, कानपुर में रासायनिक खादों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान फार्म III-बी में दिये गये घोषणा-पत्रों के आधार पर 4 प्रतिशत की रियायती दर से क्रमशः 3,87,816 रुपये और 3,76,338 रुपये के वाल्व स्पेयर्स तथा पम्प आदि खरीदे। क्योंकि रासायनिक खादों के निर्माण हेतु वाल्व स्पेयर्स और पम्प कच्चे माल नहीं हैं, व्यापारी 4 प्रतिशत की रियायती दर के बजाय 8 प्रतिशत की दर पर कर के भुगतान का दायी था। इसके फलस्वरूप वर्ष 1979-80 और 1980-81 हेतु क्रमशः 15,512 रुपये और 15,053 रुपये (4 प्रतिशत की दर पर) का कर कम आरोपित हुआ।

जनवरी 1986 में लेखापरीक्षा में यह त्रुटि इंगित की गयी; विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

सरकार को उपर्युक्त मामले क्रमशः अप्रैल 1986, सितम्बर 1985 और जनवरी 1986 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

2·7· कर, ब्याज और अर्थदण्ड का न लगाया जाना अथवा कम लगाया जाना

2·7·1· अतिरिक्त कर

(i) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-ई के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी जो अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का दायी है और जिसके व्यापार का सम्पूर्ण योग किसी भी कर-निर्धारण वर्ष में दस लाख रुपयों से अधिक हो जाता है, वह अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत देय कर के अतिरिक्त, उस कर-निर्धारण वर्ष हेतु उसके द्वारा देय कर के 5 प्रतिशत की दर पर परिगणित अतिरिक्त कर के भुगतान का दायी होगा। किन्तु अतिरिक्त कर केवल पहली अक्टूबर 1983 से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिये देय है।

बिक्री-कर मण्डल, लखनऊ में वर्ष 1983-84 (अक्टूबर 1983 से मार्च 1984) तथा 1984-85 हेतु एक व्यापारी का ताड़ी की बिक्री का व्यापार क्रमशः 14 लाख रुपये और 16 लाख रुपये निर्धारित किया गया और 8 प्रतिशत की दर से क्रमशः 1,12,000 रुपये तथा 1,28,000 रुपये का कर आरोपित किया गया किन्तु वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 हेतु 12,000 रुपये का अतिरिक्त कर विभाग द्वारा आरोपित किये जाने से छूट गया।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1985) में इस भूल के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जून 1986) कि 1983-84 और 1984-85 वर्षों हेतु 12,000 रुपये की अतिरिक्त मांग नवम्बर 1985 में सृजित कर दी गयी है। वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

सरकार ने, जिसे मामला दिसम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया था, विभाग के उत्तर की पुष्टि कर दी है (अक्टूबर 1986)।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-एफ के अनुसार अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का दायी प्रत्येक व्यापारी उक्त कर के अतिरिक्त कर-निर्धारण वर्ष हेतु करयोग्य विक्रय और क्रय के अपने व्यापार के एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर का भुगतान करेगा।

बिक्री-कर मण्डल, लैन्सडाउन (पौड़ी) में उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने क्रमश: 1979-80 और 1980-81 वर्षों के दौरान एक निगम (राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित) को 15,28,605 रुपये की लीसा और 6,20,067 रुपये की इमारती लकड़ी (टिम्बर) विक्रय की थी। बिक्रियां फार्म 3-डी में निर्धारित घोषणा-पत्र द्वारा समर्थित थीं और उन पर 4 प्रतिशत की रियायती दर से कर आरोपित किया गया। किन्तु एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर आरोपित होने से छूट गया। क्रमश: 1979-80 और 1980-81 वर्षों में की गयी बिक्रियों के सम्बन्ध में आरोपित न किया गया अतिरिक्त कर 15,286 रुपये और 6,200 रुपये हुआ।

लेखापरीक्षा (अप्रैल 1985) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 1986) कि क्रमश: 1979-80 और 1980-81 वर्षों हेतु 15,286 रुपये और 6,200 रुपये की अतिरिक्त मांगें अप्रैल 1985 और सितम्बर 1985 में सृजित कर दी गयी हैं। वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

सरकार को मामला जून 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

2.7.2. **क्रय-कर**

(i) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों/उपक्रमों को अपनी स्वयं की आवश्यकताओं हेतु फार्म 3-डी में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करके कर की रियायती दर पर माल खरीदने का हक है बशर्ते कि माल पुन: बेचे नहीं जाते अथवा किसी भी प्रकार के मालों के निर्माण अथवा उनकी पैकिंग में प्रयुक्त नहीं किये जाते। इन शर्तों के उल्लंघन की दशा में सरकारी विभाग/उपक्रम ऐसे मालों की बिक्री पर लागू कर की सामान्य दर तथा उनके द्वारा जिस दर पर कर का भुगतान किया गया है दोनों के बीच के अन्तर की समतुल्य धनराशि क्रय-कर के रूप में भुगतान करने के दायी होते हैं।

(क) बिक्री-कर मण्डल, कानपुर में एक सरकारी फैक्टरी ने वर्ष 1977-78 से 1979-80 के दौरान 6,35,761 रुपये की सूती रस्सियां (काटन रोप्स) और वर्ष 1979-80 के दौरान 4,73,096 रुपये की बांस की बल्लियां (बैम्बू पोल्स) फार्म 3-डी में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करके 4 प्रतिशत की रियायती दर से क्रय की और इन मालों को अपने द्वारा बेचे गये तम्बुओं के साथ पुनः बेच दिया । फैक्टरी, कर की लागू सामान्य दर और प्रदत्त कर की रियायती दर के बीच के अन्तरस्वरूप, सूती रस्सियों पर 3 प्रतिशत (8 प्रतिशत ऋण 5 प्रतिशत) की दर से 19,072 रुपये और बांस की बल्लियों पर 8 प्रतिशत (13 प्रतिशत ऋण 5 प्रतिशत) की दर से 37,847 रुपये के क्रय-कर के भुगतान की दायी थी ।

विभाग और सरकार को मामला नवम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

(ख) बिक्री-कर मण्डल, हापुड़ में एक व्यापारी ने कानपुर तथा अलीगढ़ स्थित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की दो इकाइयों को, निर्धारित घोषणा-प्रपत्रों (डिक्लरेशन फार्म्स) के प्रस्तुत किये जाने पर, 1978-79 और 1979-80 वर्षों के दौरान 5 प्रतिशत (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की रियायती दर से क्रमशः 9,57,782 रुपये और 10,62,526 रुपये के रबर के पट्टे (रबर बेल्टिंग्स) बेचे । क्योंकि परिषद् द्वारा रबर के पट्टों का प्रयोग विद्युत के उत्पादन के संबंध में किया गया था यह रियायत स्वीकार्य नहीं थी । घोषणा-प्रपत्रों के दुरुपयोग के फलस्वरूप 1978-79 और 1979-80 वर्षों हेतु क्रमशः 28,733 रुपये और 31,876 रुपये का कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा (मार्च 1983) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (नवम्बर 1985 और फरवरी 1986) कि विद्युत परिषद् की उपर्युक्त दोनों इकाइयों के विरुद्ध 26,441 रुपये तथा 54,031 रुपये की अतिरिक्त मांगें सृजित कर दी गयी हैं । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला मार्च 1983 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

(ii) 3 अप्रैल 1975 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार "सोना-चांदी और गलाने के प्रयोजनार्थ पुराने जेवरातों सहित अन्य चीजें" (बुलियन एण्ड स्पीसी इनक्लूडिंग ओल्ड आर्नामेंट्स मेन्ट फार मेलटिंग) पर राज्य में प्रथम क्रय के बिन्दु पर 2 प्रतिशत (6 सितम्बर 1987 तक एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की दर से कर आरोपणीय है ।

(क) बिक्री-कर मण्डल, मथुरा में एक व्यापारी ने ब्रेजिंग वायर के निर्माण हेतु वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 (पहली अप्रैल 1981 से 6 सितम्बर 1981) के दौरान क्रमशः 5,95,326 रुपये, 7,51,881 रुपये और 33,330 रुपये के पुराने गलाये हुये चांदी के जेवरात अपंजीकृत व्यापारियों से क्रय किये किन्तु इन खरीदों पर, जो राज्य में प्रथम क्रय के बिन्दु थे, प्रारम्भिक कर-निर्धारण के समय कर निर्धारित नहीं किया गया। चूक के फलस्वरूप वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 में क्रमशः 11,906 रुपये, 15,037 रुपये और 665 रुपये का कर वसूल नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1983) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जनवरी 1986) कि कर-निर्धारण पुनरीक्षित कर दिये गये हैं और व्यापारी से आवश्यक वसूलियां कर ली गयी हैं।

(ख) मथुरा मण्डल में एक अन्य मामले में एक व्यापारी ने ब्रेजिंग वायर के निर्माण हेतु वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 (पहली अप्रैल 1981 से 6 सितम्बर 1981) के दौरान अपंजीकृत व्यापारियों से क्रमशः 8,60,363 रुपये और 1,62,391 रुपये के पुराने चांदी के जेवरात क्रय किये थे। किन्तु उन पर प्रारम्भिक कर-निर्धारणों के समय कर आरोपित किये जाने से छूट गया। वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 हेतु क्रमशः 17,260 रुपये और 3,247 रुपये का कर आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1983) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जनवरी 1986) कि कर-निर्धारण पुनरीक्षित कर दिये गये हैं और व्यापारी से आवश्यक वसूलियां कर ली गयी हैं।

उपरोक्त (क) तथा (ख) के मामले सरकार को सितम्बर 1983 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

(ग) बिक्री-कर मण्डल, वाराणसी में तीन व्यापारियों द्वारा वर्ष 1981-82 (7 सितम्बर 1981 से 31 मार्च 1982) और 1982-83 के दौरान 1,54,05,330 रुपयों के पुराने चांदी के जेवरातों की खरीदों पर कर आरोपित किये जाने से छूट गया। चूक के फलस्वरूप 1,54,053 रुपये का कर आरोपित नहीं हुआ। व्यापारी देय कर जमा करने की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करने के भी दायी थे।

लेखापरीक्षा (जून 1984) में चूक के इंगित किये जाने पर कर-निर्धारण अधिकारी ने कर-निर्धारण पुनरीक्षित कर दिये (फरवरी 1985) और एक व्यापारी के मामले में अक्टूबर 1981

से फरवरी 1985 की अवधि हेतु तथा अन्य दो व्यापारियों के मामलों में अक्टूबर 1982 से फरवरी 1985 की अवधि हेतु 1,00,865 रुपये के ब्याज के अलावा 1,54,053 रुपये की अतिरिक्त मांगें सृजित कर दीं । एक व्यापारी ने कर (59,665 रुपये) प्रतिवाद के साथ जमा कर दिया । अन्य दो व्यापारियों से वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला सितम्बर 1984 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

2·7·3· ब्याज

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक व्यापारी से अपेक्षित है कि वह निर्धारित कालान्तरों में अपने व्यापार के परिलेख प्रस्तुत करे और निर्धारित समय के भीतर देय कर की धनराशि जमा कर दे । किसी व्यापारी द्वारा देय स्वीकृत कर, यदि यह नियत तिथि तक जमा न किया गया हो तो, जमा न की गयी धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रति मास की दर से ब्याज लग जाता है । स्वीकृत रूप से देय कर का अभिप्राय उस कर से है जो व्यापारी द्वारा रखे गये लेखे में घोषित अथवा किसी परिलेख या अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाहियों में उसके द्वारा स्वीकार किये गये व्यापार पर, जो भी अधिक हो, अधिनियम के अन्तर्गत देय है ।

(i) बिक्री-कर मण्डल, इलाहाबाद में एक व्यापारी ने वर्ष 1979-80 के व्यापार के संबंध में 7,75,323 रुपये की अपनी स्वीकृत कर देयता के समक्ष निर्धारित समय के भीतर 5,61,822 रुपये का कर जमा किया था । विभाग ने 23 जुलाई 1984 को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया जिसमें व्यापारी से यह अपेक्षा की गयी थी कि वह 24 अप्रैल 1984 (कर-निर्धारण तिथि की अनुगामी तिथि) से देय ब्याज के साथ 2,13,501 रुपये की कर की शेष धनराशि जमा कर दे और व्यापारी ने 27 जुलाई 1984 को सम्पूर्ण रूप से इसका भुगतान कर दिया (2,13,501 रुपये कर के रूप में और 10,423 रुपये ब्याज के रूप में) । किन्तु व्यापारी अपने स्वीकृत कर की अदत्त धनराशि पर पहली मई 1980 (तिथि जब कर सर्वप्रथम देय हुआ) से ब्याज के भुगतान का दायी था ।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1984) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने 17 जनवरी 1985 को ब्याज के निमित्त 2,07,348 रुपये की मांग और सृजित कर दी जिसका भुगतान व्यापारी ने 23 जनवरी 1985 को कर दिया ।

(ii) बिक्री-कर मण्डल, अलीगढ़ में एक व्यापारी ने वर्ष 1980-81 हेतु 8 प्रतिशत की दर से करयोग्य 25,28,839 रुपये का अपना व्यापार स्वीकार किया। इस पर 2,02,307 रुपये का कर निर्धारित किया गया (25 फरवरी 1983) और उसके द्वारा पहले ही भुगतान किये गये 95,327 रुपये का कर समायोजित करने के बाद 1,06,980 रुपये की निवल मांग सृजित की गयी। चूंकि मांग अदा नहीं की गयी थी, 1,06,980 रुपये के साथ-साथ 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से प्रभार्य ब्याज हेतु वसूली प्रमाण-पत्र 16 अप्रैल 1983 को जारी किया गया। व्यापारी ने कर की धनराशि का भुगतान कर दिया (मई 1983 में 30,000 रुपये और जुलाई 1983 में 76,980 रुपये) किन्तु 68,464 रुपये के देय ब्याज का न तो व्यापारी द्वारा भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा उसकी मांग की गयी।

लेखापरीक्षा (मई 1984) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने 68,464 रुपये के ब्याज के भुगतान हेतु दूसरा वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया (मई 1984) जिसकी भुगतान व्यापारी ने जून 1984 और दिसम्बर 1984 के बीच की विभिन्न तिथियों पर किया।

सरकार को (i) तथा (ii) पर उल्लिखित मामले अगस्त 1986 में प्रतिवेदित किये गये; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

(iii) बिक्री-कर मण्डल, गाजियाबाद में एक व्यापारी ने वर्ष 1978-79 हेतु मासिक परिलेखों के साथ 64,62,334 रुपये के देय स्वीकृत कर के समक्ष केवल 61,49,902 रुपये का कर जमा किया। शेष 3,12,432 रुपये उसके द्वारा 5 मार्च 1983 को जमा किये गये थे। अतः व्यापारी पहली जून 1978 और 5 मार्च 1983 के बीच विभिन्न अवधियों के दौरान कम भुगतान की गयी धनराशियों पर ब्याज के भुगतान का दायी था।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1983) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 1984) कि इस मामले में 3,51,630 रुपये के देय ब्याज में से 1,17,210 रुपये की धनराशि का भुगतान व्यापारी द्वारा जुलाई 1984 में कर दिया गया था और शेष धनराशि के लिये व्यापारी ने अपीलीय प्राधिकारी से 16 जुलाई 1984 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। किन्तु यह अपील 29 जून 1985 को रद्द कर दी गयी। शेष धनराशि (2,34,420 रुपये) की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

सरकार ने, जिसे मामला जनवरी 1984 में प्रतिवेदित किया गया था, तथ्यों की पुष्टि कर दी है (अप्रैल 1986)।

(iv) विक्री-कर मण्डल, गोरखपुर में एक व्यापारी (सरकारी विभाग) ने 44,604 रुपये का कर (मार्च 1978 को समाप्त होने वाली तिमाही हेतु) मई 1981 में जमा किया था यद्यपि कि इसका भुगतान 30 अप्रैल 1978 को किया जाना था । विलम्बित भुगतान हेतु 33,007 रुपये का ब्याज (मई 1978 से मई 1981 की अवधि हेतु 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से) प्रभार्य था किन्तु प्रभारित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (अप्रैल 1984) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जनवरी 1985) कि व्यापारी द्वारा 33,007 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि सितम्बर 1984 में जमा कर दी गयी है ।

सरकार को मामला दिसम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

2·7·4· अर्थदण्ड

(i) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-बी में कुछ अधिसूचित माल के निर्माण में प्रयोग हेतु निर्माताओं द्वारा कच्चे माल की खरीदों पर (फार्म III-बी में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर) कर में विशिष्ट सहायता का प्रावधान इस शर्त के साथ किया गया है कि निर्मित माल उनके द्वारा राज्य में अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अथवा भारत के बाहर निर्यात के दौरान बेचे जाते हैं । इनमें से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में एक ऐसी धनराशि के अदा करने का भागी होता है जो उस कर से कम न हो जो अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में ऐसे अधिसूचित माल के विक्रय पर देय होता हो, और ऐसे कर की धनराशि के तीन गुने से अधिक न हो । इसी प्रकार जहां मान्यता प्रमाण-पत्र धारक कोई व्यापारी, कर की रियायती दर पर अथवा बिना कर का भुगतान किये माल (कच्चे माल) खरीदने के बाद, ऐसे माल का प्रयोग घोषित प्रयोजन से अन्यथा करता है अथवा किसी अन्य ढंग से उसको निकाल देता है तो वह ऐसे अर्थदण्ड का भागी होगा जो निर्धारित दर से देय कर तथा रियायती दर से भुगतान किये गये कर के अन्तर से अथवा ऐसे माल के विक्रय अथवा क्रय पर कर की जो धनराशि आरोपित की गयी होती उससे कम न हो और ऐसे अन्तर से अथवा कर से जैसा भी मामला हो, तीन गुने से अधिक न हो ।

(क) बिक्री-कर मण्डल, गाजियाबाद में एक व्यापारी ने पहली नवम्बर 1978 से 31 मार्च 1979 और पहली अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 की अवधि के दौरान क्रमशः 15,56,800 रुपये तथा 59,97,102 रुपये मूल्य का लोहा और इस्पात राज्य के बाहर अपनी ब्रांच को कन्साइनमेन्ट के आधार पर

स्थानान्तरित किया था । स्थानान्तरित माल व्यापारी द्वारा फार्म III-बी में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके कर-मुक्त खरीदे गये कच्चे माल से निर्मित किये गये थे । विशिष्ट सहायता की उपर्युक्त योजना के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण विभाग ने व्यापारी पर 1978-79 तथा 1979-80 वर्षों के लिये क्रमशः 57,805 रुपये तथा 2,26,000 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर दिया । किन्तु, वस्तुतः आरोपणीय न्यूनतम अर्थदण्ड क्रमशः 62,272 रुपये और 2,39,884 रुपये परिगणित होता था जो कर की वह धनराशि है जो राज्य में लोहा और इस्पात के विक्रय मूल्य पर आरोपणीय होती । वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 हेतु कम लगाया गया अर्थदण्ड क्रमशः 4,467 रुपये तथा 13,884 रुपये होता था ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1984) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 1986) कि वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 हेतु क्रमशः 12,151 रुपये तथा 13,884 रुपये का अर्थदण्ड और अधिरोपित कर दिया गया है । वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

(ख) गाजियाबाद मण्डल के एक अन्य मामले में एक व्यापारी ने कर-मुक्त खरीदे गये धान से मिल द्वारा बनाया गया 7,52,388 रुपये का चावल वर्ष 1981-82 के दौरान कन्साइनमेन्ट के आधार (विक्रय रीति से अन्यथा रीति) पर राज्य के बाहर स्थानान्तरित कर दिया । विशिष्ट सहायता की योजना की शर्तों का उल्लंघन करने के लिये व्यापारी न्यूनतम अर्थदण्ड के रूप में 30,095 रुपये की उस धनराशि के भुगतान का दायी था जो राज्य में चावल के विक्रय पर कर के रूप में देय होती । किन्तु, न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपित किये जाने से रह गया ।

लेखापरीक्षा (मई 1985) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 1986) कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम की धारा 4-बी (6) के अन्तर्गत 19,152 रुपये (प्रयुक्त धान के मूल्य पर कर की धनराशि के समतुल्य) का अर्थदण्ड अधिरोपित कर दिया गया है । विभाग को यह पुनः अवगत कराया गया (अप्रैल 1986) कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-बी(6) के अन्तर्गत आरोपणीय न्यूनतम अर्थदण्ड 30,095 रुपये बनता था (अर्थात्, अधिसूचित माल को विक्रय पर आरोपणीय कर की धनराशि के समतुल्य) न कि 19,152 रुपये जो प्रयुक्त कच्चे माल (धान) के मूल्य पर कर की धनराशि के समतुल्य है । आगे की कृत कार्यवाही की रिपोर्ट विभाग से प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

(ग) बिक्री-कर मण्डल, आगरा में सी0 आई0 कास्टिंग्स के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने वर्ष 1981-82 के दौरान फार्म

III-बी में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके 8,05,599 रुपये का कच्चा माल (लोहा और इस्पात) कर-मुक्त खरीदा । इसमें से 4,00,000 रुपये (लगभग) मूल्य का कच्चा माल बांटों और मापों के निर्माण हेतु प्रयोग किया गया था । चूंकि व्यापारी ने घोषित प्रयोजन हेतु माल का प्रयोग नहीं किया था, वह 16,000 रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था । किन्तु विभाग द्वारा कोई अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया गया ।

मामला लेखापरीक्षा में सितम्बर 1985 में इंगित किया गया; विभाग के उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

सरकार को (क), (ख) तथा (ग) के मामले क्रमशः अगस्त 1984, मई 1985 तथा सितम्बर 1985 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

(घ) बिक्री-कर मण्डल, लखनऊ में एक व्यापारी (तेल के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक) ने वर्ष 1977-78 के दौरान 2 प्रतिशत की रियायती दर से 85.18 लाख रुपये का तिलहन खरीदा । निर्मित तेल में से व्यापारी ने 4.64 लाख रुपये मूल्य का तेल राज्य के बाहर कन्साइनमेन्ट के आधार पर स्थानान्तरित किया । अतः व्यापारी 23,203 रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था किन्तु यह अधिरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1985) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (मई 1986) कि व्यापारी पर 23,203 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर दिया गया है । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार ने, जिसे मामला नवम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया था, विभाग द्वारा कृत कार्यवाही का समर्थन किया है (जून 1986) ।

(ङ) बिक्री-कर मण्डल, ऋषिकेश में पेंट्स, वार्निश, थिनर तथा उसके संघटकों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने निर्धारित घोषणा-पत्रों (फार्म III-बी में) के आधार पर 1980-81 वर्ष के दौरान 10,86,470 रुपये का लीसा कर का भुगतान किये बिना खरीदा । निर्मित माल में से, व्यापारी ने कन्साइनमेन्ट के आधार पर 2,35,358 रुपये मूल्य का माल (गन्धराल) उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये राज्य के बाहर स्थानान्तरित कर दिया जिसके लिये वह 21,182 रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था, किन्तु यह अधिरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (मई 1986) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया (फरवरी 1987) कि व्यापारी पर 23,535 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर दिया गया है ।

सरकार को मामला मई 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

(च) बिक्री-कर मण्डल, हाथरस (जिला अलीगढ़) में कास्ट आयरन मालों के निर्माण हेतु मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक व्यापारी ने फार्म III-बी में घोषणा-पत्रों के आधार पर वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान क्रमश: 2,97,977 रुपये और 1,32,106 रुपये का लोहा और इस्पात, कर का भुगतान किये बिना खरीदा और कास्ट आयरन मालों के बजाय मशीनरी तथा उसके अवयवों (पार्ट्स) के निर्माण में उनका उपयोग किया । अतएव, व्यापारी वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 हेतु 17,203 रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के भुगतान का दायी था किन्तु कोई अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया गया ।

लेखापरीक्षा (अक्टूबर 1985) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया (फरवरी 1987) कि व्यापारी पर 34,000 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित कर दिया गया है ।

सरकार को मामला अक्टूबर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

(ii) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के अन्तर्गत ऐसे प्रत्येक व्यापारी से, जिसका व्यापार किसी भी कर-निर्धारण वर्ष में दो लाख रुपयों से अधिक होता है, यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिक्री-कर अधिकारी को अपने व्यापार का मासिक परिलेख अगले अनुवर्ती माह की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत करे और ऐसे परिलेखों को प्रस्तुत करते समय अथवा उससे पूर्व अधिनियम के अन्तर्गत देय कर को जमा कर दे । व्यापारी के परिलेख प्रस्तुत करने या इसे निर्धारित समय के अन्दर प्रस्तुत करने अथवा अधिनियम के अन्तर्गत कर जमा करने में असफल रहने की दशा में कर-निर्धारण अधिकारी, उचित जांच के बाद उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त उस पर अर्थदण्ड की ऐसी धनराशि अधिरोपित कर सकता है जो यदि देय कर दस हजार रुपये तक है तो देय कर के 10 प्रतिशत से कम किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक न हो और यदि देय कर दस हजार रुपये से अधिक हो तो देय कर का 50 प्रतिशत होगी ।

बिक्री-कर मण्डल, प्रतापगढ़ में एक व्यापारी ने नवम्बर 1979, जनवरी 1980 और फरवरी 1980 महीनों (1979-80 वर्ष से संबंधित) और मई 1980, नवम्बर 1980 और जनवरी 1981 महीनों (1980-81 वर्ष से संबंधित) हेतु न तो अपने व्यापार के परिलेख प्रस्तुत किये और न ही इन महीनों हेतु अधिनियम के अन्तर्गत देय कर जमा किया । क्योंकि उपर्युक्त महीनों में

से प्रत्येक के लिये देय कर दस हजार रुपये से अधिक था, उस पर कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अर्थदण्ड, जो देय कर के दस प्रतिशत से कम और पचास प्रतिशत से अधिक न हो, अधिरोपित किया जा सकता था किन्तु 1979-80 और 1980-81 वर्षों हेतु क्रमशः जून 1982 और मार्च 1983 में कर-निर्धारण करते समय इस पक्ष को विचारगत नहीं रखा गया ।

लेखापरीक्षा (अक्टूबर 1983) में इसके इंगित किये जाने पर कर-निर्धारण प्राधिकारी ने 1979-80 और 1980-81 वर्षों हेतु क्रमशः अप्रैल 1985 और अगस्त 1985 में 11,000 रुपये और 49,000 रुपये का अर्थ-दण्ड अधिरोपित किया । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला जनवरी 1984 में प्रतिवेदित किया गया; उनका अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

(iii) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी व्यापारी अथवा व्यक्ति ने अपने व्यापार के विवरणों को छिपाया है अथवा जानबूझकर ऐसे परिलेख के गलत विवरण दिये हैं तो कर-निर्धारण प्राधिकारी निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यापारी अथवा व्यक्ति, उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड के रूप में, एक ऐसी धनराशि का भुगतान करेगा जो इस प्रकार से बचाये गये होते कर की धनराशि के 50 प्रतिशत से कम किन्तु डेढ़ गुने से अधिक नहीं होगी ।

बिक्री-कर मण्डल, एटा में एक व्यापारी ने 1981-82 और 1982-83 वर्षों हेतु अपने परिलेखों में क्रमशः 20,06,400 रुपये और 20,51,250 रुपयों के मूल्य की डीजल इंजिनों की राज्य के बाहर से खरीदें घोषित कीं और कर-निर्धारण, तदनुसार पूर्ण किये गये । किन्तु, फार्म XXXI में यथा इंगित, व्यापारी की खरीदों के लेखे की जांच से यह देखने में आया कि 1981-82 और 1982-83 वर्षों में क्रमशः 22,14,693 रुपयों और 23,84,623 रुपयों के डीजल इंजिन खरीदे गये थे । इस प्रकार से, क्रमशः 2,08,293 रुपये और 3,33,373 रुपये तक की खरीदें छिपायी गयी थीं । 3 1/2 प्रतिशत लाभ तत्व (व्यापारी द्वारा यथा घोषित) जोड़ने के बाद, डीजल इंजिनों की छिपायी गयी बिक्रियों की धनराशि, जो कर-निर्धारण से छूट गयी थी, 2,15,583 रुपये और 3,45,041 रुपये परिगणित हुयी जिन पर निहित कर देयता (6 प्रतिशत की दर से) क्रमशः 12,934 रुपये और 20,702 रुपये हुयी । इसके अतिरिक्त, व्यापारी अपने व्यापार के विवरणों को छिपाने के लिये आरोपणीय कर की धनराशि के डेढ़ गुने तक के अर्थदण्ड का भी भागी था ।

विभाग और सरकार को मामला जनवरी 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

2.8. केन्द्रीय बिक्री-कर का अवनिर्धारण

केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, निर्धारित घोषणा-पत्रों से समर्थित न होने पर घोषित मालों को छोड़कर अन्य मालों की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर, कर 10 प्रतिशत की दर से अथवा राज्य में ऐसे माल के विक्रय अथवा क्रय पर लागू दर से, जो भी उच्चतर हो, आरोपणीय है ।

(i) 21 मई 1974 की अधिसूचना के साथ पठित 15 नवम्बर 1971 की राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार उसकी अनुसूची में विद्यमान 'मशीनरी' शब्द को उसमें 'वाटर पम्प' समाविष्ट करने के लिये विस्तारित किया गया था । न्यायिकतः* भी यह माना गया कि वर्ष 1971 से वाटर पम्प और पम्पिंग सेट मशीनरी के रूप में करयोग्य होंगे, 'कृषि यंत्रों' की भांति नहीं । और भी, दिनांक पहली अक्टूबर 1975 की राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार कृषि-यंत्रों की अन्तर्राज्यीय बिक्रियां 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य थीं ।

बिक्री-कर मण्डल, आगरा में, एक व्यापारी द्वारा 1977-78 वर्ष के दौरान की गयी 2,20,000 रुपये की पम्पिंग सेटों की अन्तर्राज्यीय बिक्रियों (निर्धारित घोषणा-पत्रों से असमर्थित) पर, विभाग द्वारा उन्हें कृषि यंत्र मानते हुये 4 प्रतिशत (दिनांक पहली अक्टूबर 1975 की अधिसूचना के अनुसार) की दर से कर आरोपित किया गया । क्योंकि पम्पिंग सेट कृषि यंत्र नहीं हैं, अतः उनकी बिक्री 10 प्रतिशत की दर से करयोग्य थी । त्रुटि के फलस्वरूप 13,200 रुपयों का कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा (जून 1982) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 1983) कि पम्पिंग सेटों की अन्तर्राज्यीय बिक्रियों पर कृषि यंत्रों पर लागू 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था । विभाग का उत्तर, जिसे सरकार द्वारा अप्रैल 1986 में समर्थित किया गया था, उक्त अधिसूचनाओं और न्यायिक मत के अनुरूप नहीं है ।

---

*1982 यू० पी० टी० सी० 1015 के साथ पठित इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय 1975 यू० पी० टी० सी० 88

(ii) बिक्री-कर आयुक्त ने अक्टूबर 1977 में यह निर्णय लिया कि क्रश्ड बोन्स तथा बोन्स एक ही वस्तु हैं और वे 'हार्न्स और हूप्स सहित बोन्स' मद के अन्तर्गत करयोग्य हैं । यह न्यायिकतः* भी निर्णीत हुआ है कि क्रश्ड बोन्स खाद न होकर बोन्स ही हैं ।

बिक्री-कर मण्डल, देवरिया में एक व्यापारी द्वारा 1979-80 तथा 1980-81 वर्षों के दौरान की गयीं क्रमशः 1,07,024 रुपये और 39,050 रुपये की क्रश्ड हूप्स तथा बोन्स की अन्तर्राज्यीय बिक्रियों को खाद मानते हुये उन्हें करारोपण से मुक्त कर दिया गया । फार्म सी अथवा डी में निर्धारित घोषणा-पत्रों से असमर्थित बिक्रियां 10 प्रतिशत की दर से करयोग्य थीं । त्रुटि के फलस्वरूप 14,607 रुपये का कर कम आरोपित हुआ ।

विभाग और सरकार को मामला फरवरी 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

2.9. व्यापार का कर-निर्धारण से छूट जाना

(i) बिक्री-कर मण्डल, बरेली में ट्रांसमिशन टावर्स और स्टील स्ट्रक्चर्स के एक निर्माता ने वर्ष 1979-80 के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ, 46,64,000 रुपयों की अन्तर्राज्यीय बिक्रियां घोषित कीं । इसमें से, 45,42,000 रुपयों की बिक्रियां फार्म सी में घोषणा-पत्रों से समर्थित थीं और शेष 1,22,000 रुपयों की बिक्रियां घोषणा-पत्रों से समर्थित नहीं थीं । कर-निर्धारण तद्नुसार पूरा किया गया ।

व्यापारी द्वारा प्रस्तुत अन्तर्राज्यीय बिक्रियों के विस्तृत विवरण की छानबीन से पता चला कि उसने, उपर्युक्त अन्तर्राज्यीय बिक्रियों के अतिरिक्त, दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम को 5,22,900 रुपये की बिक्रियां की थीं जो न तो व्यापारी के परिलेखों में घोषित की गयी थीं और न ही उन पर कर-निर्धारण किया गया । इसके फलस्वरूप दस प्रतिशत की दर से 52,290 रुपये का कर कम आरोपित हुआ । कर-निर्धारिती कर का भुगतान न करने के लिये ब्याज के भुगतान का भी दायी था ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1984) में इसके इंगित किये जाने पर कर-निर्धारण अधिकारी ने अक्तूबर 1984 में गलती का सुधार कर दिया और 52,290 रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी तथा जमा की तिथि तक

*यासीन बोन मिल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1980 यू0 पी0 एस0 टी0 सी0 450)

2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज की भुगतान करने का आदेश कर दिया । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

विभाग और सरकार को मामला दिसम्बर 1984 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

(ii) बुलन्दशहर में, एक व्यापारी द्वारा वर्ष 1976-77 के दौरान गुड़ का करयोग्य क्रय व्यापार 9,06,947 रुपये के बजाय 7,38,957 रुपये गलत दिखाया गया पाया गया । त्रुटि, जो विभाग द्वारा नहीं पकड़ी गयी, के फलस्वरूप 7 प्रतिशत (एक प्रतिशत अतिरिक्त कर सहित) की दर से 11,759 रुपये का कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा (जून 1983) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने 11,759 रुपये की अतिरिक्त मांग सृजित कर दी (जुलाई 1984) । वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला अगस्त 1983 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

2.10. मान्यता प्रमाण-पत्र निरस्त न किये जाने के कारण राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जारी की गयी दिनांक 20 मई 1976 की अधिसूचना के अनुसार, अधिसूचित माल के निर्माण में उपयोग में लाये जाने वाले कच्चे माल के क्रय हेतु कर में कोई छूट स्वीकार्य नहीं है यदि इकाई द्वारा निर्मित माल उक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी चरण पर करयोग्य नहीं है ।

बिक्री-कर मण्डल, फरुखाबाद में, साबुन के निर्माण हेतु, 28 मई 1974 से प्रभावी, मान्यता प्रमाण-पत्र धारक एक सहकारी समिति ने फार्म III-डी में घोषणा-पत्रों के बल पर, कर का भुगतान किये बिना, 1976-77 से 1979-80 वर्षों के दौरान क्रमशः 6,03,302 रुपये और 39,048 रुपये मूल्य का तेल और कास्टिक सोडा क्रय किया । चूंकि सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद्, लखनऊ द्वारा प्रमाणित एक संस्थान है और इसके द्वारा निर्मित माल की बिक्रियां दिनांक 30 जून 1963 (यथा संशोधित) और 30 जून 1979 की अधिसूचनाओं के अन्तर्गत कर-मुक्त थीं, यह कच्चे माल की कर-मुक्त खरीद की अधिकारी नहीं थी । किन्तु, विभाग ने इसका मान्यता प्रमाण-पत्र निरस्त करने की कोई कार्यवाही समय पर प्रारम्भ नहीं की । इसके फलस्वरूप 1976-77 से 1979-80 वर्षों के दौरान 27,255 रुपयों के राजस्व की हानि हुयी ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1985) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अप्रैल 1986) कि इस स्तर पर सहकारी समिति को स्वीकृत मान्यता प्रमाण-पत्र न तो पूर्वगामी प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है और न ही समिति के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है ।

सरकार को मामला अगस्त 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

2.11. सरकारी धन का दुर्विनियोग

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियमावली, 1948 के अन्तर्गत बिक्री-कर अधिकारी से अपेक्षित है कि वह संबंधित कोषाधिकारी द्वारा सत्यापन हेतु पिछले महीने के दौरान कर की जमा की गयीं धनराशियां दिखाते हुये फार्म XIII में एक विवरण कोषागार अथवा उप-कोषागार के, जैसी स्थिति हो, प्रभारी अधिकारी को, प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में भेजे ।

लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि बिक्री-कर मण्डल, हापुड़ में 17 मई 1984 को तेरह चालानों के माध्यम से उप-कोषागार हापुड़ में "040-बिक्री-कर" शीर्ष के अन्तर्गत जमा की गयी दिखायी गयीं 26,400 रुपये की कुल धनराशियां कोषागार अभिलेखों /बैंक स्काल में नहीं पायी गयीं । प्रत्यक्षतः, धनराशि का दुर्विनियोग किया गया था । उपर्युक्त प्रक्रिया के अननुपालन के कारण दुर्विनियोग सरल हो गया था ।

लेखापरीक्षा (मार्च 1985) में इसके इंगित किये जाने पर कोषाधिकारी गाजियाबाद ने 26,400 रुपये के दुर्विनियोग की पुष्टि की । संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला जनवरी 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

अध्याय 3

आबकारी विभाग

राज्य आबकारी

3.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1985-86 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये राज्य आबकारी कार्यालयों के लेखा अभिलेखों के जांच परीक्षण में 938 मामलों में 51.53 लाख रुपयों के शुल्क और फीस के न लगाये जाने या कम लगाये जाने का पता चला जो मोटे तौर से निम्न वर्गों के अन्तर्गत आते हैं :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	लाइसेन्स फीस का संग्रह न करना या कम संग्रह करना	12	10.55
2.	स्पिरिट की छीजन पर शुल्क का न लगाया जाना या कम लगाया जाना	10	0.59
3.	गलत तीव्रता अपनाये जाने के कारण भारत में बनी विदेशी मदिरा के निर्गम में शुल्क का कम प्रभार	8	18.08
4.	भारत में बनी विदेशी मदिरा पर निर्यात शुल्क का कम लगाया जाना	1	0.49
5.	सत्यापित पासों की अप्राप्ति	7	14.66
6.	प्रशमन शुल्क का वसूल न किया जाना	879	0.44
7.	ब्याज का न लगाया जाना	7	0.95
8.	अन्य मामले	14	5.77
	योग	938	51.53

कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

3.2. निम्नतर अधिष्ठापित क्षमता अपनाये जाने के कारण लाइसेन्स फीस का कम वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, किसी आसवनी को चलाने के लिये आवेदक को लाइसेन्स तभी स्वीकृत किया जाता है जब उसने (क) आबकारी आयुक्त को सन्तुष्ट कर दिया हो कि स्पिरिट के निर्माण के संबंध में प्रयोग में लाये जाने वाला प्रस्तावित भवन, पात्र, संयत्र एवं उपकरण (एपरेटस) उसके द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के अनुरूप है (ख) जमानत की अपेक्षित धनराशि जमा कर दी हो और (ग) आसवनी की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता (जैसा कि महानिदेशक, तकनीकी विकास, भारत सरकार द्वारा सत्यापित किया गया है) के आधार पर निर्धारित दर से उस वर्ष अथवा उसके भाग के लिये, जिसके लिये लाइसेन्स स्वीकृत किया जाता है, लाइसेन्स फीस का अग्रिम भुगतान कर दिया हो। विद्यमान भवन में अथवा भभकों (स्टिल्स) तथा अन्य स्थायी उपकरणों में कोई भी परिवर्तन अथवा परिवर्धन आबकारी आयुक्त की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

गाजियाबाद तथा गोरखपुर स्थित दो आसवनियों के मामले में, महानिदेशक, तकनीकी विकास ने दिनांक 31 मार्च 1979 तथा 11 जून 1979 के अपने प्रपत्रों में 13,636 किलोलीटर एवं 27,000 किलोलीटर की बढ़ायी हुयी अधिष्ठापित क्षमता स्वीकार कर ली और उस आशय के प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिये। किन्तु, बढ़ी दर पर लाइसेन्स फीस, वर्ष 1979-80 के बजाय जिसमें अधिष्ठापित क्षमताएं बढ़ायी गयी थीं, वर्ष 1980-81 से वसूल की गयी। इसके फलस्वरूप उपर्युक्त दो आसवनियों के संबंध में 23,852 रुपयों तथा 28,860 रुपयों की लाइसेन्स फीस कम वसूल हुयी।

लेखापरीक्षा (फरवरी 1982 तथा मई 1985) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया (अगस्त 1984) कि अब तक गाजियाबाद आसवनी के संबंध में 23,852 रुपये की धनराशि सितम्बर 1983 में वसूल की जा चुकी है। दूसरी आसवनी के संबंध में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

सरकार को मामले फरवरी 1982 तथा मई 1985 में प्रतिवेदित किये गये थे। सरकार ने गाजियाबाद आसवनी के संबंध में विभाग के अगस्त 1984 के उत्तर का समर्थन कर दिया है (सितम्बर 1984); दूसरे मामले में उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

3.3. मार्ग-गत हानियों के संबंध में आबकारी शुल्क का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश इशू आफ स्पिरिट फ्राम डिस्टिलरीज नियमावली, 1910 (1978 में यथा संशोधित) के साथ पठित उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम,

1910 के अन्तर्गत बाण्ड के अधीन लकड़ी के पीपों अथवा धातु के पात्रों में ले जाई गयी अथवा निर्यात की गयी स्पिरिट पर 0.5 प्रतिशत तक की वास्तविक मार्गगत हानि (रिसन, वाष्पीकरण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से) स्वीकार्य है। बोतलों में वहन की गयी स्पिरिट पर मार्गगत हानि में किसी छूट का प्रावधान नियमावली में नहीं है। न्यायिकतः* भी यह माना गया है कि ऐसे मामलों में मार्गगत हानि का कोई दावा स्वीकार्य नहीं है।

मई 1984 से मई 1985 की अवधि के दौरान देहरादून स्थित एक आसवनी से बाराबंकी, बहराइच, बिजनौर तथा धामपुर (जिला बिजनौर) को बोतलों में वहन की गयी (132 कन्साइनमेन्ट) मसालेदार देशी स्पिरिट की 1,346.5 अल्कोहलिक लीटरों की मार्गगत हानि पर 38,470 रुपये का आबकारी शुल्क आरोपणीय था किन्तु आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा (फरवरी 1986) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (फरवरी 1987) कि शुल्क के कम आरोपण को आसवक को देय शराब के लागत मूल्य में से घटाकर पूरा कर लिया गया है। धनराशि खजाने में जनवरी 1987 में जमा कर दी गयी है।

सरकार ने, जिसे मामला फरवरी 1986 में प्रतिवेदित किया गया था, विभाग के उत्तर का समर्थन कर दिया है (फरवरी 1987)।

3.4 भारत में बनी विदेशी मदिरा की वास्तविक तीव्रता न अपनाये जाने के कारण शुल्क का अवनिर्धारण

उत्तर प्रदेश बॉटलिंग आफ फारेन लिकर रूल्स, 1969 के साथ पठित उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत व्हिस्की, ब्राण्डी, रम और जिन की विक्रय हेतु निर्धारित तीव्रता स्पिरिट की वह दृष्टिगत तीव्रता है जैसा कि उसमें रंजक व वासक पदार्थों (कलरिंग एण्ड फ्लेवरिंग मैटीरियल्स) के मिश्रण के अनन्तर हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित होती है। इस प्रकार से इंगित की गयी तीव्रता का उल्लेख ढक्कनदार और मोहरबन्द बोतलों पर चिपकाये गये लेबिलों पर होना चाहिये। व्हिस्की, ब्राण्डी तथा रम की निर्गमन हेतु न्यूनतम तीव्रता 25° अण्डर-प्रूफ (अर्थात् आयतन की दृष्टि से 42.8 प्रतिशत) है और जिन के लिये यह 35° अण्डर-प्रूफ (अर्थात् आयतन की दृष्टि से 37.1 प्रतिशत) है। किन्तु, नियमों के अन्तर्गत निर्धारित तीव्रता से एक डिग्री अण्डर-प्रूफ की गुंजाइश

*1973 का दीवानी विविध वाद सं0 2604 मेसर्स मोहन मीकिन्स ब्रूवरीज लिमिटेड, लखनऊ बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य।

(आयतन की दृष्टि से 0.57 प्रतिशत) प्रदान की गई है। भारत में बनी विदेशी मदिरा पर शुल्क ढक्कनदार और मोहरबन्द बोतलों में अन्तर्विष्ट अल्कोहल के प्रति लीटर पर प्रभार्य है।

सितम्बर 1979 और सितम्बर 1985 के मध्य विभिन्न अवधियों के दौरान मेरठ, उन्नाव, सहारनपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, नैनीताल, गोण्डा, गोरखपुर और रामपुर जिलों की चौदह आसवनियों ने 1,51,75,423 अल्कोहलिक लीटर भारत में बनी विदेशी मदिरा का निर्माण एवं निर्गमन किया। बोतलों पर चिपकाये गये लेबिलों पर व्हिस्की और रम की अल्कोहली मात्रा (अल्कोहलिक कन्टेन्ट) आयतन की दृष्टि से 42.8 प्रतिशत (42.8 प्रतिशत वी/वी) और जिन की आयतन की दृष्टि से 37.1 प्रतिशत (37.1 प्रतिशत वी/वी) इंगित की गयी थी और उसी आधार पर आबकारी शुल्क आरोपित किया गया था। किन्तु, मदिरा में रंजक व वासक पदार्थों के मिश्रण के अनन्तर स्पिरिट की वास्तविक प्रत्यक्ष तीव्रता, जैसा कि हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित की गयी थी, व्हिस्की और रम के संबंध में आयतन की दृष्टि से 43.1 प्रतिशत (43.1 प्रतिशत वी/वी) तथा जिन के संबंध में आयतन की दृष्टि से 37.3 प्रतिशत (37.3 प्रतिशत वी/वी) (जैसा कि आसवनियों के अभिलेखों से देखा गया) थी जो कि निर्धारित तीव्रताओं (जैसा कि लेबिलों पर इंगित थे) से आयतन की दृष्टि से 0.3 प्रतिशत तक अधिक थी। हाइड्रोमीटर द्वारा इंगित वास्तविक प्रत्यक्ष तीव्रताओं के बजाय निर्धारित न्यूनतम तीव्रताओं (जैसा कि लेबिलों पर इंगित थे) के आधार पर आबकारी शुल्क के आरोपण के फलस्वरूप 32.79 लाख रुपयों के शुल्क का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1984 और दिसम्बर 1985 के मध्य) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने तर्क दिया (जनवरी 1987) कि तीव्रता में अनुज्ञेय अन्तर उपेक्षणीय है और यह कि आयातित मदिरा की वास्तविक तीव्रता सुनिश्चित करने में दिक्कतों के कारण केवल उत्तर प्रदेश में उत्पादित मदिरा के सम्बन्ध में (अन्य राज्यों से आयातित मदिरा को छोड़ते हुये) वास्तविक तीव्रता का ग्रहण किया जाना भेदमूलक (डिसक्रिमिनेटरी) होगा। किन्तु यह तथ्य अपनी जगह पर है कि वास्तविक तीव्रता के बजाय निर्धारित तीव्रता के आधार पर शुल्क प्रभारित करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

सरकार को मामला जून 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

3.5. भारत में बनी विदेशी मदिरा पर निर्यात शुल्क का कम लगाया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, किसी भी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित दर पर निर्यात शुल्क का

भुगतान करने के उपरान्त भारत में बनी विदेशी मदिरा का निर्यात किया जा सकता है । मई 1983 में निर्गत की गयी एक सरकारी अधिसूचना के द्वारा 9 मई 1983 से भारत में बनी विदेशी मदिरा पर निर्यात शुल्क की दरें, जबकि निर्यात बोतलों में किया गया हो, 1.32 रुपये से बढ़ाकर 1.89 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर कर दी गयी थी ।

नवाबगंज (जिला गोण्डा) स्थित एक आसवनी में 9 मई 1983 से 31 जनवरी 1985 की अवधि के दौरान 6,94,385.4 अल्कोहलिक लीटर भारत में बनी विदेशी मदिरा (सिविल) 1.89 रुपये की सही दर के बजाय 1.82 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर पर निर्यात शुल्क का भुगतान करके उत्तर प्रदेश के बाहर निर्यात की गयी । त्रुटि के फलस्वरूप 48,607 रुपयों का निर्यात शुल्क कम वसूल हुआ ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1985) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जनवरी 1986) कि यह भूल टाइपिंग की गलती के कारण हो गई और कम भुगतान किया गया शुल्क अगस्त 1985 और नवम्बर 1985 के मध्य आसवनी से अब वसूल कर लिया गया है ।

सरकार ने, जिसे मामला अगस्त 1985 में प्रतिवेदित किया गया था, विभाग के उत्तर का समर्थन कर दिया है (फरवरी 1986) ।

3.6. निर्धारित फीस (असेस्ड फीस) का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अनुसार थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को भारत में बनी विदेशी मदिरा के थोक में विक्रय हेतु लाइसेन्स, कलेक्टर द्वारा, आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति लेकर, फार्म एफ0 एल0 2-ए में प्रदान किया जाता है । इस लाइसेन्स के अन्तर्गत भारत में स्थित आसवनियों से प्राप्त भारत में बनी विदेशी मदिरा एफ0 एल0 9-ए लाइसेन्सधारियों (मिलिट्री यूनिट कैन्टीनों) को प्रतिरक्षा कार्मिकों को रियायती शुल्क की रम के फुटकर विक्रय हेतु निर्गत की जा सकती है । नियमों में प्रावधान है कि एफ0 एल0 2-ए लाइसेन्सधारियों द्वारा निर्धारित मानक्रमों (स्केल्स) के अनुसार, जैसा कि नीचे उल्लिखित है, वास्तविक बिक्रियों पर असेस्ड फीस के साथ-साथ 2,500 रुपये की सुनिश्चित फीस देय होगी :

(क) सभी प्रकार की स्पिरिट, वाइन, लिकर, कार्डियल आदि	लाइसेन्सधारी विक्रेताओं को की गयी बिक्री पर 5 रुपये प्रति मान्य क्वार्ट बोतल
(ख) बीयर, स्टाउट एवं अन्य किण्वित (फरमेन्टेड) लिकर	लाइसेन्सधारी विक्रेताओं को की गयी बिक्री पर 60 पैसे प्रति मान्य क्वार्ट बोतल

किन्तु, बंधित गोदाम द्वारा मिलिट्री यूनिट कैन्टीन लाइसेन्सधारियों (एफ0 एल0 9-ए) को आपूर्तित रियायती शुल्क की रम पर ऊपर इंगित की गयी असेस्ड फीस आरोपणीय नहीं है।

कैन्टीन स्टोर्स डिपो, झांसी (एफ0 एल0 2-ए लाइसेन्सधारक) ने कलेक्टर, झांसी द्वारा प्रदान किये गये अनुज्ञा-पत्रों के समक्ष 1978-79 तथा 1979-80 वर्षों के दौरान 1,20,442 क्वार्ट, रियायती शुल्क प्रदत्त रम प्राप्त की। इस प्रकार प्राप्त की गई रम एफ0 एल0 9-ए लाइसेन्सधारक यूनिट कैन्टीनों को बेची गयी। नियमों के अनुसार, वर्ष 1978-79 हेतु 4,75,910 रुपये असेस्ड फीस और वर्ष 1979-80 हेतु 1,26,300 रुपये असेस्ड फीस, कैन्टीन स्टोर्स डिपो झांसी (रक्षा विभाग) द्वारा भुगतान की जानी थी और सरकारी खाते में जमा की जानी थी, किन्तु यह नहीं किया गया। जब विभाग द्वारा यह इंगित किया गया तो कैन्टीन स्टोर्स डिपो झांसी ने 5,18,210 रुपयों की धनराशि यूनिट कैन्टीनों से वसूल कर ली (11 दिसम्बर 1979 तक) किन्तु यह धनराशि सरकारी खजाने में जमा नहीं की गयी और बाद में यूनिट कैन्टीनों के माध्यम से जवानों को वापस कर दी गयी। कैन्टीन स्टोर्स डिपो द्वारा दिये गये (सितम्बर 1980) एक प्रत्यावेदन पर कलेक्टर झांसी ने सरकार से निर्धारित फीस के अभित्याग (वेवर) हेतु इस आधार पर संस्तुति की (नवम्बर 1980) कि यदि रम बंधित गोदामों से ली गयी होती तो कोई असेस्ड फीस वसूली योग्य न होती। अधिनियम में असेस्ड फीस के अभित्याग हेतु कोई प्रावधान नहीं है और मामला सरकारी स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु लम्बित है।

लेखापरीक्षा (फरवरी 1982) में इन तथ्यों के इंगित किये जाने पर विभाग ने 5,18,210 रुपयों की असेस्ड फीस के वसूल किये जाने और सरकारी खजाने में इसके जमा न किये जाने से सरकार को अवगत कराया (फरवरी 1982)। अप्रैल 1983 में विभाग ने सरकार को यह भी अवगत कराया कि कैन्टीन स्टोर्स डिपो द्वारा 30,000 रुपयों की एक अन्य धनराशि वसूल की गयी थी किन्तु वह भी सरकारी खजाने में जमा नहीं की गयी है। किन्तु इसके उपरान्त लेखापरीक्षा (मार्च 1987) में यह देखा गया कि कैन्टीन स्टोर्स डिपो, झांसी ने असेस्ड फीस के 6,02,210 रुपये स्टेट बैंक आफ इण्डिया, झांसी में 9 फरवरी 1987 को जमा कर दिये हैं।

सरकार को मामला फरवरी 1982 में और पुनः जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

3.7. भारत में बनी विदेशी मदिरा के फर्जी निर्यात के कारण शुल्क की हानि

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत शराब की कोई भी निकासी, शुल्क का भुगतान किये जाने के प्रमाण पर अथवा बाण्ड के निष्पादित किये जाने पर संबंधित आबकारी प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्गत किये गये पास के बिना नहीं की जायेगी। पास तीन प्रतियों में तैयार किया जाता है, एक प्रति परिवहन अथवा निर्यात को रक्षित करने हेतु लाइसेन्सधारी को दिया जाना अपेक्षित है, दूसरी प्रति आयात अथवा परिवहन के जिले के मुख्य राजस्व अधिकारी को अग्रसारित की जाती है और तीसरी अभिलेख हेतु रोक ली जाती है। विदेशी मदिरा के राज्य के बाहर निर्यात हेतु लाइसेन्सी से अपेक्षित है कि वह आयात करने वाले राज्य के आबकारी विभाग द्वारा निर्गत आयात अनुज्ञा-पत्र प्रस्तुत करे। गन्तव्य स्थान पर कन्साइनमेन्ट की पावती पर आयात करने वाले राज्य के आबकारी प्रभारी अधिकारी से अपेक्षित है कि वह तीन महीनों के अन्दर कन्साइनमेन्ट के प्राप्ति की स्वीकृति भेज दे।

लखनऊ स्थित एक आसवनी ने आबकारी अधीक्षक, कटक द्वारा निर्गत बताये गये दिनांक 15 सितम्बर 1983 के पांच आयात अनुज्ञा-पत्रों के समक्ष नवम्बर 1983 से जनवरी 1984 की अवधि के दौरान कटक (उड़ीसा) के एक लाइसेन्सधारी को 13,277.8 अल्कोहलिक लीटर भारत में बनी विदेशी मदिरा का निर्यात (बांड के अधीन) किया। मोहन मीकिन लिमिटेड, लखनऊ के प्रभारी सहायक आयुक्त (आबकारी) से पासों के सत्यापन के सम्बन्ध में प्राप्त एक सन्दर्भ पर आबकारी अधीक्षक, कटक ने जनवरी 1985 में कलेक्टर, लखनऊ को सूचित किया कि ऐसा कोई लाइसेन्सधारी था ही नहीं और प्रश्नगत आयात अनुज्ञा-पत्र फर्जी थे। इस प्रकार लाइसेन्सधारी (निर्यातक) 13,277.8 अल्कोहलिक लीटर भारत में बनी विदेशी मदिरा के फर्जी निर्यात पर देय 7.30 लाख रुपयों के शुल्क (55 रुपये प्रति अल्कोहलिक लीटर की दर पर परिगणित) के भुगतान का दायी था।

लेखापरीक्षा (जुलाई 1986) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया (फरवरी 1987) कि आसवनी के अग्रिम खाते से 0.81 लाख रुपये की धनराशि समायोजित कर ली गयी है और आसवकों द्वारा दायर की गयी रिट याचिका पर निर्णय होने तक उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार उनके द्वारा अक्टूबर 1986 में 2.50 लाख रुपये जमा कर दिये गये हैं। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

सरकार ने, जिसे मामला जुलाई 1986 में प्रतिवेदित किया गया था, उक्त स्थिति की पुष्टि कर दी है (मार्च 1987)।

3.8. देशी स्पिरिट के निर्गम पर शुल्क का कम प्रभार

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत जब देशी स्पिरिट उत्तर प्रदेश में स्थित बंधित गोदामों से लाइसेन्सधारी विक्रेताओं के परिसरों को ले जायी जाती है तो उस पर शुल्क विभिन्न दरों पर, इस आधार पर आरोपित किया जाना होता है कि उक्त परिसर किन क्षेत्रों में स्थित हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्गत (7 मार्च 1974) अधिसूचना के अनुसार बस्ती, फैजाबाद, प्रतापगढ़ तथा एटा जिलों के नगरपालिका क्षेत्र, नगर क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र और छावनी (कैन्टूनमेन्ट) क्षेत्र में स्थित दूकान के लाइसेन्सधारी को मसालेदार देशी स्पिरिट से भिन्न देशी स्प्रिट के निर्गम पर 7 रुपये प्रति बल्क लीटर की दर से और उपर्युक्त जिलों के शेष क्षेत्रों को देशी स्पिरिट के निर्गम पर 6.90 रुपये प्रति बल्क लीटर की दर से आबकारी शुल्क आरोपणीय है। बस्ती, फैजाबाद, प्रतापगढ़ और कासगंज (जिला एटा) स्थित बंधित गोदामों से उपर्युक्त जिलों के नगर क्षेत्रों/ अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित दूकानों के लाइसेन्सधारी विक्रेताओं को निर्गत की गयी (पहली अप्रैल 1978 और 30 सितम्बर 1984 के मध्य) देशी स्पिरिट की कुल मात्रा 1,50,302 बल्क लीटर थी। किन्तु, उनसे आबकारी शुल्क 7 रुपये प्रति बल्क लीटर की सही दर के बजाय 6.90 रुपये प्रति बल्क लीटर की दर से वसूल किया गया था। इसके फलस्वरूप 15,030 रुपये का शुल्क कम वसूल हुआ।

लेखापरीक्षा (अक्टूबर 1983 और जनवरी 1986 के बीच) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने अक्टूबर 1983 और फरवरी 1985 के बीच फैजाबाद, बस्ती और प्रतापगढ़ स्थित बंधित गोदामों से संबंधित 3,737 रुपयों की वसूली कर ली। 11,293 रुपये की शेष धनराशि की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

सरकार को मामला अप्रैल 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

3.9. राजकीय प्रबन्ध में दूकानें चलाये जाने में अनियमिततायें

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, देशी स्पिरिट के फुटकर विक्रय का अधिकार नीलाम द्वारा तय होता है और लाइसेन्स सामान्यतः उच्चतम बोली लगाने वाले (वालों) को प्रदान किया जाता है। किन्तु, राज्य सरकार मादक वस्तुओं के विक्रय के प्रयोजन हेतु चुने गये किसी जिले अथवा जिले के भाग में राजकीय प्रबंध में दूकानें खोलने हेतु निदेश दे सकती है। प्रत्येक राज्य प्रबंधित दूकान पर मादक वस्तुओं की बिक्री की आय खजाने में जमा की जानी होती है।

उप आबकारी आयुक्त, आबकारी खुफिया ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, कानपुर रेंज, ने दिनांक 9 सितम्बर 1980 के अपने परिपत्र के अनुसार क्षेत्र की दुकानों की नियमित नीलाम होने तक कानपुर रेंज में 10 से 18 सितम्बर 1980 तक राजकीय प्रबन्ध के अन्तर्गत देशी शराब की दुकानें चलाने का निर्णय लिया। यह व्यवस्था राज्य सरकार की सहमति प्राप्त किये बिना 10 से 18 सितम्बर 1980 तक प्रचलित रही। उक्त अवधि के दौरान, लखनऊ स्थित एक आसवनी द्वारा (कानपुर स्थित अपने बंधित गोदाम के माध्यम से) इन दुकानों को मोहरबन्द बोतलों में 7,39,739 रुपये मूल्य की सादी तथा मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति की गयी थी किन्तु केवल 7,21,930 रुपये मूल्य की शराब सही सलामत (इनटैक्ट) प्राप्त हुयी और शेष 17,809 रुपये मूल्य की शराब टूट-फूट, रिसन, चोरी (पिलफरेज) आदि के रूप में हुई हानि दिखा दी गयी। क्योंकि शराब की आपूर्ति मोहरबन्द बोतलों में की गयी थी, रिसन और चोरी के कारण हानि का कोई अवसर नहीं होना चाहिये था।

यह भी देखने में आया कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सरकारी खजाने में जमा करने के बजाय 7,21,930 रुपयों की बिक्री की कुल आय में से 1,44,100 रुपये की धनराशि सितम्बर 1980 में चालू खाता खोलकर स्टेट बैंक आफ इण्डिया, कानपुर में जमा की गयी। इसमें से, 90,231 रुपयों की धनराशि आसवनी को उनके द्वारा आपूर्तित शराब के लागत मूल्य के निमित्त 27 अप्रैल 1981 को निर्मुक्त कर दी गयी और शेष 53,869 रुपये सरकारी खाते के बाहर पड़े रहे।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1983) में अनियमितताओं के इंगित किये जाने पर, विभाग ने बताया (मई 1985) कि कतिपय आवश्यक प्रलेख यथा बैंक का चालू खाता पास-बुक आदि प्राप्त किये जा रहे हैं। अक्टूबर 1986 में विभाग ने पुनः सूचित किया कि अपेक्षित प्रलेख अभी भी प्राप्त होने को हैं। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

सरकार को मामला जनवरी 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

3.10. किस्तों के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का वसूल न किया जाना

मार्च 1985 में यथासंशोधित, उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत यदि आबकारी राजस्व का भुगतान, जिस तिथि को वह देय होता है उस तिथि से तीन महीनों के अन्दर नहीं किया जाता है तो देय तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा। आबकारी राजस्व जो मार्च 1985 में संशोधित अधिनियम के लागू होने से पूर्व देय हो गया था उसके

सम्बन्ध में यदि आबकारी राजस्व का भुगतान संशोधन की तिथि (29 मार्च 1985) से तीन महीने के अन्दर नहीं किया जाता है तो ब्याज लागू होने की तिथि से उक्त दर पर देय होगा ।

आजमगढ़, इलाहाबाद, बरेली तथा मिर्जापुर में 10.08 लाख रुपयों के आबकारी राजस्व का भुगतान, जो विभिन्न लाइसेन्सधारियों द्वारा 29 मार्च 1985 के पूर्व देय था, 29 मार्च 1985 से संगणना करते हुये 4 से 11 महीनों के विलम्ब के बाद किया गया था । आबकारी राजस्व के इन विलम्बित भुगतानों पर 0.93 लाख रुपयों का ब्याज आरोपणीय था जो आरोपित और वसूल नहीं किया गया ।

विभाग और सरकार को मामला मार्च 1986 और जून 1986 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

अध्याय 4

परिवहन विभाग

वाहनों, माल और यात्रियों पर कर

4.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1985-86 के दौरान किये गये लेखापरीक्षण में परिवहन विभाग के अभिलेखों की जांच परीक्षा से 193 मामलों में 53.62 लाख रुपयों के कर कम लगाये जाने का पता चला जो मोटे तौर से निम्नांकित वर्गों के अन्तर्गत आते हैं :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	अतिरिक्त यात्री-कर सहित यात्री-कर का कम लगाया जाना	82	29.95
2.	मार्ग-कर का अवनिर्धारण	41	9.05
3.	माल-कर का कम लगाया जाना	7	0.42
4.	अन्य मामले	63	14.20
	योग	193	53.62

कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

4.2. यात्री-कर के भुगतान से अनियमित छूट दिया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी नियमावली, 1940 के अन्तर्गत, "निजी प्रक्रम वाहन" से अभिप्राय उस वाहन से है जो 9 व्यक्तियों (चालक को छोड़कर) से अधिक को ले जाने हेतु निर्मित अथवा उसके अनुकूल रूपान्तरित किया गया हो और स्वामी द्वारा अथवा उसकी ओर से केवल उसके व्यापार या धन्धे के सम्बन्ध में अथवा निजी प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त किया जाता हो न कि किराये अथवा प्रतिफल के लिये । उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 में किसी निजी प्रक्रम वाहन पर यात्री-कर का आरोपण आयोजित नहीं है ।

राज्य सरकार ने दिनांक 30 सितम्बर 1962 को अपनी अधिसूचना द्वारा मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं के स्वामित्व वाले तथा छात्रों को संस्था तक ले जाने व वहां से ले आने के निमित्त मात्र प्रयोग में लाये जाने वाले प्रक्रम वाहनों को भी यात्री-कर के भुगतान से मुक्त कर दिया है ।

(i) देहरादून सम्भाग में, प्रधान प्रबन्धक, आर्डिनेन्स फैक्ट्री, देहरादून के नाम में जुलाई 1974 से स्कूल बस के रूप में पंजीकृत एक वाहन का प्रयोग स्टाफ के बच्चों को फैक्ट्री परिसर से स्कूल ले जाने और वहां से वापस लाने के लिये किया जा रहा था । यद्यपि बस पर मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्था का स्वामित्व नहीं था उसे यात्री-कर के भुगतान से अनियमित छूट दे दी गयी । इसके फलस्वरूप जुलाई 1974 से अक्टूबर 1985 तक की अवधि के लिये यात्री-कर के रूप में 2,03,708 रुपयों के राजस्व की हानि हुई । इसके अतिरिक्त, वाहन के स्वामी से 1,188 रुपये की परमिट फीस भी वसूल की जानी थी ।

(ii) इसी प्रकार कानपुर सम्भाग में प्रधान प्रबन्धक, आर्डिनेन्स फैक्ट्री, कानपुर के नाम में जनवरी 1976 से स्कूल बस के रूप में पंजीकृत एक वाहन का प्रयोग स्टाफ के बच्चों को फैक्ट्री परिसर से स्कूल ले जाने और वहां से वापस ले आने के लिये किया जा रहा था । सम्पूर्ण वर्ष, प्रत्येक बच्चे से 18 रुपये प्रतिमाह की दर से बस का भाड़ा वसूल किया गया । क्योंकि बस पर किसी मान्यता-प्राप्त शिक्षा संस्था का स्वामित्व नहीं था और वह किराये पर चलायी गयी थी, वह यात्री-कर के भुगतान की दायी थी, किन्तु कोई यात्री-कर आरोपित नहीं किया गया । यात्री-कर के भुगतान से छूट अनियमित थी और इसके फलस्वरूप जनवरी 1976 से दिसम्बर 1983 तक की अवधि के लिये 1,34,814 रुपयों का कर वसूल नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त वाहन के स्वामी से 836 रुपये की परमिट फीस भी वसूलीयोग्य थी ।

(iii) देहरादून सम्भाग में, निदेशक, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून के स्वामित्व वाले दो प्रक्रम वाहनों को कर्मचारियों के बच्चों को संस्थान के परिसर से उनके स्कूलों तक ले जाने हेतु तथा स्टाफ को भी कार्य-स्थल तक ले जाने एवं वहां से लाने के लिये, निजी प्रक्रम वाहनों के अनुज्ञा-पत्र प्रदान किये गये थे (20 जून 1969 और 6 मार्च 1979) । संस्थान ने स्टाफ के बच्चों के अभिवहन के लिये 152 रुपये प्रतिदिन शुल्क लिया । क्योंकि संस्थान ने वाहनों का प्रयोग किराये हेतु किया था ये प्रक्रम वाहनों की श्रेणी में आते थे और उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, 1962 के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर यात्री-कर और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधि-नियम, 1935 की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद IV के अन्तर्गत मार्ग-कर के

भुगतान हेतु भी दायी थे । किन्तु, विभाग ने एक वाहन के सम्बन्ध में जनवरी 1983 से और दूसरे के सम्बन्ध में जनवरी 1984 से केवल यात्री-कर निर्धारित किया और वसूल किया । पहले वाहन के सम्बन्ध में मार्च 1979 से दिसम्बर 1982 तक की अवधि हेतु एवं दूसरे वाहन के सम्बन्ध में जुलाई 1969 से दिसम्बर 1983 हेतु यात्री-कर आरोपित और वसूल नहीं किया गया । एक वाहन के सम्बन्ध में मार्ग-कर भी निम्नतर दरों पर वसूल किया गया । यात्री-कर और मार्ग-कर का न लगाया जाना/कम लगाया जाना क्रमशः 1,38,353 रुपये और 50,398 रुपये बनता था ।

विभाग और सरकार को उक्त मामले मार्च 1984 और दिसम्बर 1985 के मध्य प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

4.3. अनुबंधित वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर का कम वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, 1962 के अन्तर्गत अनुबंधित वाहन (मोटर कैब को छोड़कर) के सम्बन्ध में एकमुश्त अनुबंध के अधीन यात्री-कर का निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, देय किराये तथा एक महीने की अवधि में की जाने वाली यात्रा की प्रत्याशित दूरी पर निर्भर करता है । अस्थायी अनुज्ञा-पत्र के अधीन चलने वाले अनुबंधित वाहन के सम्बन्ध में यात्री-कर आरोपण हेतु लिया जाने वाला किराया, मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत, निर्धारित अधिकतम किराये की दर के 75 प्रतिशत से कम नहीं होगा और एक महीने में की जाने वाली यात्रा की प्रत्याशित दूरी 4,000 किलोमीटर से कम नहीं ली जायेगी ।

लखनऊ सम्भाग में एक परिचालक के आठ वाहन नगर के विभिन्न स्थानों से स्टाफ के सदस्यों को कम्पनी की फैक्ट्री तक लाने तथा वापस ले जाने हेतु कम्पनी के साथ अक्टूबर 1981 से अनुबंधित थे । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार आठों वाहनों को मिलाकर प्रतिदिन 1,553 किलोमीटर, (901 किलोमीटर भाराक्रान्त अर्थात् यात्रियों समेत तथा 652 किलोमीटर भाररहित अर्थात् बिना यात्रियों के) चलाया जाना था और परिचालक को 2.14 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाता था । किन्तु, चूंकि ये वाहन अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों पर चलाये जा रहे थे, यात्री-कर, कम से कम 4,000 किलोमीटर प्रतिदिन की दूरी पर देय था । इस आधार पर, प्रतिवाहन प्रतिमाह 1,764 रुपये का यात्री-कर बनता था । 5 फरवरी 1983 से किराये में वृद्धि होने पर यह बढ़कर 2,116.80 रुपये प्रतिवाहन प्रतिमाह हो जायेगा । किन्तु परिचालक से अक्टूबर 1982 से प्रतिवाहन प्रतिमाह 1,054 रुपयों और 1,505 रुपयों के बीच की विभिन्न निम्नतर दरों पर यात्री-कर वसूल किया गया । अक्टूबर 1982 से अगस्त 1985 तक की

अवधि के दौरान कम वसूल किया गया यात्री-कर, अक्टूबर 1981 से सितम्बर 1982 की अवधि हेतु अधिक भुगतान किये गये कर के समायोजन के बाद, 2,32,668 रुपये हुआ ।

लेखापरीक्षा (फरवरी 1984 और अक्टूबर 1985) में इसके इंगित किये जाने पर कर-निर्धारण अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और 1,18,060 रुपयों की मांग हेतु नोटिस जारी की तथा शेष 1,14,608 रुपयों की धनराशि हेतु भी आगे और मांग-नोटिस निर्गत करने के लिये सहमत हुए । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला अप्रैल 1984 और नवम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

4.4. प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर का कम वसूल किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनी नियमावली के अन्तर्गत किसी विशिष्ट मार्ग पर प्रक्रम वाहन के सम्बन्ध में देय यात्री-कर के स्थान पर एकमुश्त भुगतान करने हेतु अनुबन्ध, अन्य बातों के साथ-साथ, विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान मार्ग पर प्रक्रम वाहन द्वारा लगाये जाने वाले एकतरफा फेरों की स्वीकृत संख्या अथवा प्रत्याशित संख्या पर निर्भर करता है । फेरों, किराये आदि में कोई भी परिवर्तन, जिसका परिणाम परिचालक की प्राप्तियों में वृद्धि होता हो, ऐसे परिवर्तन की तिथि से अनुबन्ध को निष्प्रभावी कर देगा और तत्पश्चात् असमाप्त अवधि के सम्बन्ध में एक नया एकमुश्त अनुबन्ध निष्पादित किया जाना अपेक्षित होता है ।

(i) किसी विशिष्ट मार्ग पर परिचालकों को परिचालन हेतु प्राधिकृत करते समय विभाग किसी विशिष्ट अवधि (दिन, महीना अथवा तिमाही, जैसा भी हो) के दौरान प्रत्येक वाहन द्वारा किये जाने वाले फेरों की संख्या निर्दिष्ट कर देता है । किसी एक मार्ग के सभी परिचालकों से अपेक्षित है कि वे (संयुक्त रूप से) एक समय-सारिणी प्रस्तुत करें जिसे विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाता है और प्रत्येक वाहन पर यात्री-कर तदनुसार परिगणित किया जाता है । विभिन्न कारणों से कुछ वाहनों के अपरिचालित (आफ रोड) हो जाने के कारण कभी-कभी प्रत्येक वाहन के कार्यक्रम में परिवर्तन का लाया जाना आवश्यक हो जाता है । ऐसे मामलों में, बचे हुए वाहनों द्वारा समय-सारिणी के अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त फेरों का लगाया जाना अपेक्षित हो जाता है और बचे हुए वाहनों से प्राप्य कर परिचालकों द्वारा निष्पादित नये एकमुश्त अनुबन्धों के आधार पर पुनः परिगणित किया जाता है ।

(क) राज्य के पांच सम्भागों/उप-सम्भागों (कानपुर ,लखनऊ, मुरादाबाद, फैजाबाद और सीतापुर) में 23 मार्च 1979 और 30 अप्रैल 1985 के बीच विभिन्न अवधियों हेतु 124 वाहनों के (जो कुछ वाहनों के हटा लिये जाने के बाद परिचालित रहे) सम्बन्ध में यात्री-कर पुनरीक्षित नहीं किया गया यद्यपि इन वाहनों द्वारा समय-सारिणी के अनुरक्षण हेतु अतिरिक्त फेरों का किया जाना अपेक्षित था । इसके फलस्वरूप 1,52,365 रुपयों के राजस्व की हानि हुई, जैसा कि नीचे दर्शित है :

सम्भाग/ उपसम्भाग मार्ग	वाहनों की संख्या		प्रति वाहन प्रति माह अतिरिक्त एकतरफा फेरों की प्रत्याशित संख्या	अवधि जिससे अव-निर्धारण संबंधित है	अन्तर्निहित अव-निर्धारण (रुपये)
	मूलतः परि-चालित	हटाये गये			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	(क)	(ख)			
1. कानपुर :					
(क) फरुखाबाद-धाई-घाट वाया जलालाबाद	10	3	13	13-1-1983 से 22-7-1983	14,074
(ख) किशनी-फफूंद	13	3	1	मई 1979 से दिसम्बर 1980	29,089
2. लखनऊ :					
उन्नाव-हरदोई-कानपुर	66	1	1	18-11-1983 से 30-4-1985	19,565
3. फैजाबाद :					
(क) बहराइच-हजूरपुर	10	1 से 3	3 से 13	3-9-1979 से 12-1-1981	18,886
(ख) कुरभेर-बलवई	6	1 से 3	8 से 20	12-1-1981 से 14-10-1981	41,965

सम्भाग/ उपसम्भाग मार्ग	वाहनों की संख्या मूलतः परि-चालित	हटाये गये	प्रति वाहन प्रति माह अतिरिक्त एकतरफा फेरों की प्रत्याशित संख्या	अवधि जिससे अव-निर्धारण संबंधित है	अन्तर्निहित अव-निर्धारण (रुपये)
(1)	(2) (क)	(ख)	(3)	(4)	(5)
4. मुरादाबाद :					
ठाकुरद्वारा-शिवहारा	15	1	2	23-3-1979 से 13-4-1980	10,062
5. सीतापुर :					
सीतापुर-लहरपुर-तम्बौर	18	4	3 से 14	27-7-1982 से 31-12-1982	18,724
योग	138	14 से 18			1,52,365

लेखापरीक्षा (फरवरी 1981 और अक्टूबर 1985 के बीच) में उपर्युक्त मामलों के इंगित किये जाने पर विभाग ने 74,277 रुपयों की धनराशि (कानपुर : 28,135 रुपये; मुरादाबाद : 10,062 रुपये; फैजाबाद : 31,266 रुपये और सीतापुर : 4,814 रुपये) वसूल कर ली। 78,088 रुपयों की शेष धनराशि की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

सरकार ने, जिसे ये मामले फरवरी 1981 और नवम्बर 1985 के मध्य प्रतिवेदित किये गये थे, फैजाबाद, कानपुर तथा मुरादाबाद के सम्बन्ध में वसूलियों की पुष्टि कर दी है (अक्टूबर 1985 और अप्रैल 1986 के बीच)।

(ख) झांसी सम्भाग में, उरई-रेंधर मार्ग पर बारी-बारी से चलने वाले 5 वाहनों के सम्बन्ध में एकमुश्त यात्री-कर प्रतिदिन 8 एकतरफा फेरों के आधार पर संगणित किया गया था और तद्नुसार, वाहन प्रति सीट प्रति तिमाही

22.78 रुपये की दर से यात्री-कर का भुगतान कर रहे थे । मार्ग पर 12 अप्रैल 1983 से कुछ और अनुज्ञा-पत्र प्रदान किये जाने के फलस्वरूप 7 वाहनों ने प्रतिदिन वस्तुतः 12 एकतरफा फेरे करने प्रारम्भ कर दिये । फिर भी 7 वाहनों के सम्बन्ध में एकमुश्त अनुबन्ध 12 एकतरफा फेरों के बजाय 8 एकतरफा फेरों के आधार पर निष्पादित किया गया पाया गया । फेरों की बढ़ी हुई संख्या के आधार पर एकमुश्त यात्री-कर की संगणना न किये जाने के फलस्वरूप 12 अप्रैल 1983 से 27 जुलाई 1983 की अवधि हेतु 14,183 रुपयों का यात्री-कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1985) में इसके इंगित किये जाने पर, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झांसी ने त्रुटि स्वीकार कर ली और वसूली हेतु मांग नोटिस जारी कर दी । 14,183 रुपयों की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला मार्च 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

(ii) फैजाबाद सम्भाग में बहराइच-यमुनहा मार्ग पर चलने वाले 20 वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर के भुगतान हेतु एकमुश्त धनराशि का संगणन, 2.75 रुपये निवल किराया मानते हुए किया गया । परिचालकों द्वारा प्रस्तुत किराया सूची में दर्शित मार्ग का निवल किराया (2.75 रुपये) गलत था क्योंकि यह यात्रियों पर प्रभारित कुल किराये में से सेतु कर, बीमा एवं अतिरिक्त यात्री-कर सहित यात्री-कर घटाये जाने के बाद वस्तुतः 2.90 रुपये आता था । यात्री-कर की एकमुश्त धनराशि की परिगणना (गलत किराये पर आधारित) के फलस्वरूप मई 1982 से जून 1983 की अवधि हेतु 13,009 रुपयों का अवनिर्धारण हुआ ।

सरकार ने, जिसे मामला सितम्बर 1983 में प्रतिवेदित किया गया था, बताया (अक्टूबर 1985) कि अब तक 4,779 रुपयों की धनराशि वसूल कर ली गयी है और शेष धनराशि वसूल करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । शेष धनराशि की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

(iii) कानपुर सम्भाग में, थटिया-खैरनगर मार्ग पर चलने वाले 5 प्रक्रम वाहन 20 सितम्बर 1983 से 2.15 रुपये के किराये के आधार पर यात्री-कर का एकमुश्त भुगतान कर रहे थे । 18 नवम्बर 1984 को मार्ग का सर्वेक्षण किया गया और मार्ग का किराया 3.30 रुपये पाया गया । कर अधिकारी ने आदेश दिया कि पूर्व में गलत किराये को गणना में लिये जाने को दृष्टि में रखते हुए एकमुश्त आधार पर देय यात्री-कर की धनराशि पुनरीक्षित की जानी

चाहिये । फिर भी कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया और यात्री-कर पुराने किराये के आधार पर ही वसूल किया जाता रहा । इसके फलस्वरूप 20 सितम्बर 1983 से एक मई 1985 की अवधि हेतु 58,130 रुपये का यात्री-कर कम वसूल हुआ ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1985) में चूक के इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी कानपुर ने वसूली हेतु मांग नोटिसें जारी कर दीं । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला दिसम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

(iv) आगरा सम्भाग में, बाह-भिंड अन्तर्राज्यीय मार्ग पर चलने वाले 11 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले मार्ग के अंश हेतु 3.22 रुपये के किराये के आधार पर, एकमुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत, यात्री-कर जनवरी 1981 से वसूल किया जा रहा था । किन्तु, जुलाई 1981 में, उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले मार्ग के अंश को 43 किलोमीटर के बजाय 40 किलोमीटर मानते हुये, एकमुश्त धनराशि की संगणना हेतु किराया घटाकर 2.90 रुपये कर दिया गया । अक्टूबर 1981 और सितम्बर 1983 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार 40 किलोमीटर की दूरी हेतु 2.90 रुपये किराया पुनरीक्षित कर के क्रमशः 3.35 रुपये और 4.25 रुपये कर दिया गया । राज्य परिवहन प्राधिकारी ने यात्री-कर अधिकारी, आगरा को सूचित किया (जून 1982) कि बाह-भिंड मार्ग की कुल दूरी 64 किलोमीटर थी जिसमें से 43 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में पड़ते थे । विभाग द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी के आधार पर परिगणित 2.90 रुपये, 3.35 रुपये तथा 4.25 रुपये के किराये के समक्ष 43 किलोमीटर की दूरी के आधार पर क्रमशः जुलाई 1981, अक्टूबर 1981 और सितम्बर 1983 से वास्तविक किराया 3.10 रुपये, 3.55 रुपये तथा 4.45 रुपये बनता था । इसके फलस्वरूप जुलाई 1981 और अक्टूबर 1984 के बीच विभिन्न अवधियों हेतु 19,212 रुपयों का यात्री-कर कम लगा ।

विभाग और सरकार को मामला जनवरी 1985 में प्रतिवेदित किया गया ; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

(v) लखनऊ सम्भाग में, स्पेशल श्रेणी के मार्गों के रूप में वर्गीकृत और क्रमशः 57, 47 तथा 45 किलोमीटर की दूरी वाले तीन मार्ग अर्थात् (i) लखनऊ-माल-भारवां, (ii) लखनऊ-माल-बशेरीघाट तथा (iii) लखनऊ-माल-उमरावल परिचालित थे । 38 किलोमीटर की दूरी वाला लखनऊ से माल तक का भाग समान रूप से तीनों मार्गों में था । प्रथम दो मार्गों पर बारी-बारी

से चलने वाले सत्रह वाहन 2.50 रुपये के किराये पर संगणित एकमुश्त धनराशि के आधार पर यात्री-कर का भुगतान कर रहे थे ; जबकि तीसरे मार्ग (लम्बाई 45 किलोमीटर) हेतु, जिस पर अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों पर चार वाहन 15 मार्च 1984 से परिचालित थे, एकमुश्त धनराशि का भुगतान 3.30 रुपये के किराये के आधार पर संगणित किया जा रहा था । प्रथम दो मार्गों पर, जिनमें अन्तर्निहित दूरी वस्तुतः अधिक थी अर्थात् 57 तथा 47 किलोमीटर थी, चलने वाले वाहनों द्वारा अपेक्षाकृत कम किराया प्रभारित किये जाने हेतु प्रकटतः कोई औचित्य नहीं था । यदि प्रथम दो मार्गों के सम्बन्ध में भी एकमुश्त भुगतान कम से कम 3.30 रुपये प्रति यात्री किराये पर आधारित किया गया होता तो 15 मार्च 1984 से 14 दिसम्बर 1984 की अवधि हेतु 52,412 रुपयों का यात्री-कर और वसूल कर लिया गया होता ।

विभाग और सरकार को मामला जनवरी 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

(vi) वाराणसी सम्भाग में छः मार्गों पर चलने वाले 18 वाहनों के सम्बन्ध में विभिन्न कारणों से एकमुश्त अनुबन्धों का पुनरीक्षण न किये जाने के कारण 43,495 रुपयों के यात्री-कर के कम लगने का पता चला ।

लेखापरीक्षा (मार्च-अप्रैल 1985) में त्रुटियों के इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी ने आडित आपत्तियों को स्वीकार कर लिया (मार्च-अप्रैल 1986), 12,999 रुपये वसूल कर लिये और 30,496 रुपयों की अवशेष धनराशि की वसूली हेतु मांग-नोटिसें जारी कर दीं । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामले अप्रैल 1985 में प्रतिवेदित किये गये; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

4.5. विभागीय चूकों के कारण यात्री-कर का कम वसूल होना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत, जब किसी प्रक्रम वाहन का परिचालक यात्री-कर के भुगतान हेतु एकमुश्त अनुबन्ध करता है तो वह अनुबन्ध तीन महीनों की अवधि हेतु अथवा अनुज्ञा-पत्र के प्रचलन की असमाप्त अवधि हेतु, जो भी कम हो, वैध रहता है । किसी विशिष्ट मार्ग पर प्रक्रम वाहन के सम्बन्ध में एकमुश्त अनुबन्ध के अन्तर्गत यात्री-कर का निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, जिस अवधि हेतु अनुबन्ध निष्पादित होता है उस अवधि के दौरान उस मार्ग पर लगाये जाने वाले एकतरफा फेरों की वह संख्या जिसके लिये कि प्रक्रम वाहन प्राधिकृत किया गया है, सम्पूर्ण मार्ग हेतु सामान्यतः देय किराया तथा कर की दर पर निर्भर करता है ।

(i) वर्ष 1978-79 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.3 में सम्भागीय परिवहन कार्यालय, लखनऊ के एक मामले में यात्री-कर के कम लगाये जाने का उल्लेख किया गया था जिसमें परिचालकों से वसूली योग्य एकमुश्त धनराशि निर्धारित करने हेतु फेरों की संख्या 90 दिनों की पूरी अनुबंधित अवधि के बजाय 75 दिनों के आधार पर संगणित की गयी थी । लोक लेखा समिति वर्ष 1981-82 के अपने प्रतिवेदन के प्रस्तर 167 में विभाग द्वारा अपनायी गई इस कार्यविधि से सहमत नहीं हुई थी और समिति ने यह संस्तुति की थी कि भविष्य में सम्पूर्ण राज्य में यात्री-कर की परिगणना महीने में 30 दिन के आधार पर की जानी चाहिये ।

उप-सम्भागीय परिवहन कार्यालय, आजमगढ़ में कर-निर्धारण अधिकारी ने पांच वाहनों (घोसी-मोहम्मदाबाद-कमहरिया मार्ग पर चलने वाले) के सम्बन्ध में रविवार तथा अवकाश के दिनों अपरिचालित रहने की रियायत देते हुये परिचालकों को महीने में 25 दिन के आधार पर यात्री-कर के भुगतान की स्वीकृति दी जो कि लोक लेखा समिति की संस्तुतियों के प्रतिकूल है और नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य भी नहीं है । महीने के समस्त 30 दिनों हेतु यात्री-कर प्रभारित न किये जाने के फलस्वरूप नवम्बर 1981 से जुलाई 1985 की अवधि के दौरान 79,557 रुपयों का कर कम वसूल हुआ ।

विभाग और सरकार को मामला अगस्त 1984 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

(ii) कानपुर सम्भाग में, नवम्बर 1983 और अक्टूबर 1985 के बीच एकमुश्त अनुबन्धों के अन्तर्गत तीग्राम-तेराजकत मार्ग पर चलने हेतु पांच वाहनों को तथा रमईपुर-घाटमपुर मार्ग पर चलने हेतु दो वाहनों को चार माह के लिये अस्थायी अनुज्ञा-पत्र प्रदान किये गये । यद्यपि वाहनों से उनके परिचालन की अवधि हेतु मार्ग-कर वसूल किया गया था, यात्री-कर या तो वसूल नहीं किया गया अथवा गलत परिगणना के कारण कम वसूल किया गया । वसूल न किया गया/कम वसूल किया यात्री-कर 19,390 रुपये हुआ ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1985) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर ने एक वाहन के सम्बन्ध में 962 रुपये की धनराशि वसूल कर ली और 18,428 रुपये की शेष धनराशि की वसूली हेतु मांग-नोटिसें जारी कर दीं (नवम्बर 1985) । वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

विभाग और सरकार को मामला दिसम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

(iii) बांदा उप-सम्भाग में बांदा-अजयगढ़ मार्ग पर आठ वाहन (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के एक वाहन सहित) चल रहे थे और 90 दिनों में प्रतिवाहन 68 फेरे करने के लिये प्राधिकृत थे । 29 जुलाई 1980 और 4 नवम्बर 1980 को दो वाहनों के परिचालकों ने परिवहन प्राधिकारियों को सूचित किया कि उनके वाहन मरम्मत के अन्तर्गत थे और मार्ग पर नहीं चल रहे थे । किन्तु, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), बांदा ने 31 दिसम्बर 1980 को रिपोर्ट दी कि 22 नवम्बर 1980 को जांच के दौरान इन वाहनों में से एक उपर्युक्त मार्ग पर चलता हुआ पाया गया था । उसके बाद, दोनों परिचालकों ने 20 जनवरी 1981 और 19 फरवरी 1981 को यह प्रार्थना की कि चूंकि उनके वाहन क्रमशः 15 मई 1980 से 25 जनवरी 1981 तथा फरवरी 1980 से अक्टूबर 1980 की अवधि के दौरान वे-बिल के आधार पर चल रहे थे अतः उक्त अवधि हेतु उनसे यात्री-कर तद्नुसार वसूल कर लिया जाये । यद्यपि जैसा कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, 1962 के नियम 6(2) तथा 7 में प्रावधानित है परिचालकों ने कोई साप्ताहिक अथवा मासिक परिलेख प्रस्तुत नहीं किये थे और अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह सिद्ध करे कि वाहन उपर्युक्त अवधियों के दौरान वस्तुतः वे-बिल के आधार पर चले थे, परिवहन अधिकारी ने परिचालकों द्वारा जो भी धनराशि जमा की गयी उसे बिना किसी प्रकार की जांच के स्वीकार कर लिया । वास्तव में, पकड़ने वाले (प्रवर्तन) प्राधिकारी ने पहले ही 31 दिसम्बर 1980 को रिपोर्ट दी थी कि यात्री-कर के भुगतान हेतु ये वाहन न तो अपने साथ कोई वे-बिल लेकर चल रहे थे और न ही इन्होंने एकमुश्त अनुबन्ध निष्पादित किये थे । वे-बिल आधार पर यात्री-कर के स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप फरवरी 1980 से अप्रैल 1981 की अवधि के दौरान 16,936 रुपयों के यात्री-कर की हानि हुयी ।

लेखापरीक्षा (अक्टूबर 1981) में इसके इंगित किये जाने पर सरकार ने बताया (नवम्बर 1985) कि 16,936 रुपयों की कुल धनराशि परिचालकों से वसूल कर ली गयी है ।

(iv) आगरा सम्भाग में आगरा-जलेसर मार्ग दाऊजी तक बढ़ा दिया गया था और मार्ग पर चलने वाले 60 प्रक्रम वाहनों के अनुज्ञा-पत्रों पर इस विस्तार की प्रविष्टि 23 नवम्बर 1984 को कर दी गयी थी । किन्तु, केवल 29 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में ही मार्ग के बढ़े हुये भाग के लिये यात्री-कर निर्धारित और वसूल किया गया; शेष 31 प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में मार्ग के बढ़े हुये भाग के लिये यात्री-कर निर्धारित होने से छूट गया । इसके फलस्वरूप 23 नवम्बर 1984 से 22 जून 1985 की अवधि हेतु 14,881 रुपयों का यात्री-कर वसूल नहीं हुआ ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1985) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने गलती स्वीकार कर ली और वसूली हेतु मांग-नोटिस जारी कर दी। वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

सरकार को मामला सितम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

(v) देहरादून सम्भाग में, विकासनगर-मजरा मार्ग पर पहली दिसम्बर 1984 से छः वाहनों को देहरादून तक चलाये जाने हेतु अनुज्ञा सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गयी किन्तु यात्री-कर केवल विकासनगर-मजरा मार्ग हेतु प्रभार्य किराये पर ही निर्धारित और वसूल किया गया। मार्ग के बढ़े हुये भाग हेतु यात्री-कर का निर्धारण न किये जाने के फलस्वरूप दिसम्बर 1984 से अक्टूबर 1985 की अवधि हेतु 11,975 रुपयों का यात्री-कर कम वसूल हुआ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1985) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने गलती स्वीकार कर ली और प्राप्य धनराशि वसूल करने के लिये सहमति प्रकट की। वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

सरकार को मामला दिसम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

4.6. नियत न्यूनतम किराया न अपनाये जाने के कारण यात्री-कर की हानि

मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत प्रक्रम वाहनों, अनुबंधित वाहनों तथा सार्वजनिक वाहनों (पब्लिक कैरियर्स) हेतु किराये तथा भाड़े (उनके सम्बन्ध में अधिकतम तथा न्यूनतम सम्मिलित करते हुये) निश्चित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार, समय-समय पर, सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकारी को निदेश जारी कर सकती है। तद्नुसार, दिनांक 20 सितम्बर 1983 की एक अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार ने द्वितीय श्रेणी की सीटों वाले सामान्य प्रक्रम वाहनों के लिये 62.89 पैसे प्रति यात्री (पांच पैसे के निकटतम गुणांक में पूर्णांकित करते हुये) की दर को किराये की न्यूनतम दर निश्चित करने के लिये राज्य परिवहन प्राधिकारी को निदेशित किया। उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) नियमावली, 1962 के अन्तर्गत यात्री-कर के स्थान पर एकमुश्त भुगतान एक सूत्र के आधार पर परिगणित किया जाना होता है जो, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्पूर्ण मार्ग के सम्बन्ध में सामान्यतया देय सम्पूर्ण किराये को समाविष्ट करता है। जब किसी यात्री को प्रक्रम वाहन द्वारा रियायती दर पर अथवा बिना कोई किराया प्रभारित किये हुये ले जाया जाता है तो यात्रा हेतु सामान्यतया देय किराया वही माना जाता है जो किराया ऐसे यात्री द्वारा देय होता है।

गोरखपुर सम्भाग में, तीन मार्गों पर चलने वाले 34 वाहनों (13 वाहन रामकोला-तमकुही मार्ग पर, 12 वाहन रामकोला-सिंगहा मार्ग पर और 9 वाहन तमकुही-पिपराघाट मार्ग पर) के सम्बन्ध में यात्री-कर के स्थान पर एक-मुश्त भुगतान 65 पैसे प्रति यात्री, अर्थात् पूर्णांकन के पश्चात् निर्धारित न्यूनतम किराये के बजाय 50 पैसे प्रति यात्री की दर पर किराये के आधार पर परिगणित किया गया और अमरी-महुआडीह मार्ग पर चलने वाले 22 वाहनों के सम्बन्ध में एकमुश्त भुगतान 65 पैसे प्रति यात्री के स्थान पर 60 पैसे प्रति यात्री की दर पर किराये के आधार पर परिगणित किया गया। इसके फलस्वरूप 20 सितम्बर 1983 से 21 नवम्बर 1985 की अवधि के दौरान 20,798 रुपयों का यात्री-कर कम आरोपित हुआ।

विभाग और सरकार को मामला दिसम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987)।

4.7. किराये में पथ-कर (टॉल) के सम्मिलित न किये जाने के कारण यात्री-कर की हानि

प्रक्रम वाहनों द्वारा किसी भी चौकी (बैरियर) पर (पर्वतीय सड़कों के अलावा अन्य सड़कों पर), जिससे होकर वाहन गुजरता है, किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को देय पथ-कर के बदले में यात्रियों से उनके द्वारा प्रदत्त कुल धन-राशि पर प्रति रुपया या उसके भाग के लिये पांच पैसे की दर से अतिरिक्त किराया वसूल करने के लिये राज्य सरकार ने 12 जनवरी 1981 को जारी की गयी एक अधिसूचना द्वारा प्रक्रम वाहनों के स्वामियों को प्राधिकृत किया। पर्वतीय सड़कों के मामले में दर प्रति रुपया अथवा उसके भाग के लिये 6 पैसे रखी गई है। इस प्रकार संग्रहीत अतिरिक्त किराया यात्री-कर निर्धारण के प्रयोजन हेतु किराये का अंश होता है।

(i) फैजाबाद सम्भाग में, फैजाबाद-माया बाजार मार्ग पर चलने वाले 32 वाहनों के सम्बन्ध में एकमुश्त यात्री-कर 15 फेरे प्रतिमाह, 3.50 रुपया किराया तथा 78 प्रतिशत भार कारक (लोड फैक्टर) के आधार पर सुनिश्चित किया गया था। एकमुश्त यात्री-कर की परिगणना हेतु निवल किराया सुनिश्चित करते समय पथ-कर के कारण प्रदत्त 25 पैसे का अतिरिक्त किराया विभाग द्वारा उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। इस गलती के फलस्वरूप 25 मई 1982 से 20 नवम्बर 1984 की अवधि के दौरान 26,279 रुपयों का यात्री-कर कम निर्धारित हुआ।

लेखापरीक्षा (मई 1985) में इसके इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, फैजाबाद ने गलती स्वीकार कर ली और रकम वसूल करने का वचन दिया था। वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

(ii) बरेली सम्भाग में, पीलीभीत-बीसलपुर-दिउरिया मार्ग पर चलने वाले 23 प्रक्रम वाहनों के यात्रियों से संग्रहीत (पथ-कर के कारण) और मोटर परिचालक यूनियन, पीलीभीत द्वारा प्रस्तुत किराया-सूची में उपदर्शित 5/10 पैसे का अतिरिक्त किराया, एकमुश्त आधार पर यात्री-कर की गणना के प्रयोजन से परिगणित निवल किराये में समाविष्ट नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप दिसम्बर 1981 से दिसम्बर 1983 की अवधि के दौरान 20,376 रुपयों का यात्री-कर कम प्रभारित हुआ।

लेखापरीक्षा (मई 1985) में इसके इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बरेली ने गलती स्वीकार कर ली और रकम वसूल करने का वचन दिया था। वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

सरकार को उपर्युक्त मामले जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किये गये; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987)।

4.8. तालमेल के अभाव में यात्री-कर का अव-निर्धारण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी प्रक्रम वाहन के सम्बन्ध में एकमुश्त अनुबन्ध के अधीन यात्री-कर की धनराशि का निर्धारण एकसूत्र के तहत होता है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बैठने की पूर्ण क्षमता तथा खड़े होने की अनुमत प्राधिकृत क्षमता, यदि कोई है, उसके पचास प्रतिशत पर यात्री-कर के आरोपण का प्रावधान है। मार्ग-कर आरोपण के प्रयोजन हेतु भी खड़े होने की स्वीकृत क्षमता, यदि कोई है, उसका पचास प्रतिशत बैठने की अतिरिक्त क्षमता के रूप में माना जाता है।

इलाहाबाद, मेरठ तथा मुरादाबाद के तीन सम्भागों में, छः मार्गों (इलाहाबाद सम्भाग में इलाहाबाद-पुरखास तथा रानीगंज-जमताली, मेरठ सम्भाग में मेरठ-सरधना-बिनौली तथा नगर सेवा और मुरादाबाद सम्भाग में चन्दौसी-राजघाट तथा मुरादाबाद-रामनगर) पर चलने वाले सात प्रक्रम वाहनों के सम्बन्ध में मार्ग-कर बैठने की पूर्ण क्षमता तथा खड़े होने की प्राधिकृत क्षमता के पचास प्रतिशत के आधार पर वसूल किया गया था। किन्तु सम्भागीय परिवहन कार्यालय के विभिन्न अनुभागों के बीच तालमेल के अभाव में उन वाहनों के सम्बन्ध में यात्री-कर या तो निर्धारित ही नहीं किया गया या सीटों की अपेक्षाकृत कम संख्या पर निर्धारित किया गया था। इसके फलस्वरूप अप्रैल 1978 से जून 1985 की अवधि के दौरान 38,014 रुपयों का यात्री-कर कम आरोपित हुआ।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1985 और जून 1985 के बीच) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर इलाहाबाद, मेरठ तथा मुरादाबाद के संबंधित सम्भागीय

परिवहन अधिकारियों ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है । वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

सरकार को ये मामले मार्च 1985 और जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किये गये; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

4.9. यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक दर पर यात्री-कर वसूल किये जाने पर अर्थ-दंड का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत राज्य में किसी प्रक्रम वाहन द्वारा ले जाये गये प्रत्येक यात्री पर प्रक्रम वाहन के परिचालक को ऐसे यात्री द्वारा अपनी यात्रा के सम्बन्ध में देय किराये के सोलह प्रतिशत (30 अप्रैल 1979 तक पन्द्रह प्रतिशत) की दर के समतुल्य कर आरोपित किया जायेगा और राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा । केवल नगर अथवा नगरपालिका की सीमाओं के अन्दर चलने वाले प्रक्रम वाहन के मामले में कर की धनराशि निकटतम पैसे तक पूर्णांकित की जायेगी । उक्त अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दोष सिद्ध हो जाने पर चूककर्ता जुर्माने का दायी होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और जब अपराध अनवरत होता रहे तो अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है किन्तु पहली बार दंडित होने के बाद जिस अवधि के दौरान अपराध निरन्तर होता रहता है उस अवधि के प्रत्येक दिन हेतु यह जुर्माना पचीस रुपयों से अधिक नहीं होगा ।

गाजियाबाद उप-सम्भाग में, 'राजनगर-गाजियाबाद (घंटाघर)-यू0 पी0 सीमा' मार्ग के अंश मार्ग 'गाजियाबाद (घंटाघर)-यू0 पी0 सीमा' पर परिचालित 14 वाहन प्रतिमाह 36 वापसी फेरे कर रहे थे और 20 सितम्बर 1983 से प्रति यात्री 0.90 रुपये की धनराशि वसूल कर रहे थे । परिचालकों द्वारा प्रस्तुत किराया तालिका के अनुसार इस धनराशि में 75 पैसे का निवल किराया तथा 15 पैसे का यात्री-कर समाविष्ट था । किन्तु परिचालकों द्वारा यात्री-कर (एकमुश्त में) केवल 12 पैसे प्रति यात्री (75 पैसा किराये का 16 प्रतिशत) की दर से जमा किया गया । इस प्रकार परिचालकों ने 20 सितम्बर 1983 से 30 अप्रैल 1984 की अवधि के दौरान तीन पैसे प्रति टिकट की दर से अधिक (16प्रतिशत की निर्धारित दर से) यात्री-कर वसूल किया । अधिक वसूल किया गया यात्री-कर 28,520 रुपये हुआ जो कि अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध था और परिचालक दण्डात्मक कार्यवाही के भागी थे । किन्तु, विभाग इस अनियमितता को पकड़ने में विफल रहा और लेखापरीक्षा (मई 1984) में इंगित किये जाने के बाद भी परिचालकों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी ।

नवम्बर 1986 में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद ने सूचित किया कि मार्ग का किराया पुनरीक्षित कर दिया गया है और पहली अप्रैल 1985 से परिचालकों द्वारा एक रुपये की धनराशि (85 पैसे निवल किराया तथा 15 पैसे यात्री-कर मिलाकर) प्रभारित की जा रही है । 85 पैसे के निवल किराये पर 16 प्रतिशत की दर से यात्री-कर केवल 14 पैसे ही बनता है जिसके समक्ष 15 पैसे प्रति टिकट वसूल किया जाता रहा है । इस प्रकार, अनुवर्ती अवधि के दौरान भी उक्त मार्ग पर पहली मई 1984 से 31 अक्टूबर 1986 तक परिचालकों द्वारा 67,405 रुपयों का यात्री-कर अधिक वसूल किया गया । विभाग की ओर से निष्क्रियता के कारण परिचालक अधिनियम के प्रावधानों का अतिक्रमण करते रहे और उन्होंने यात्रियों से अभी तक (अक्टूबर 1986) अधिक यात्री-कर संग्रहीत करते हुये 95,925 रुपयों का अनुचित लाभ प्राप्त कर लिया है ।

सरकार को मामला जुलाई 1984 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

4.10. मार्ग-कर का अव-निर्धारण

(i) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत यात्रियों की सवारी हेतु किराये पर चलने वाले मोटर वाहन पर मार्ग-कर का निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, उस मार्ग की श्रेणी पर जिस पर वह चलता है निर्भर करता है । मार्ग-कर लगाने के प्रयोजनार्थ मार्ग चार श्रेणियों में वर्गीकृत किये गये हैं, अर्थात् स्पेशल, 'ए', 'बी' तथा 'सी' और स्पेशल श्रेणी के मार्ग के लिये कर की दर उच्चतम है तथा 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणी के मार्गों के लिये अपेक्षाकृत निम्नतर है । यदि कोई वाहन एक से अधिक श्रेणी के मार्ग पर चलता है तो सम्पूर्ण मार्ग के लिये उच्चतम श्रेणी पर लगने वाला मार्ग-कर प्रभारित किया जाना अपेक्षित है । अनुज्ञा-पत्र के बिना चलाये जाने वाला वाहन उच्चतम श्रेणी के मार्ग अर्थात् स्पेशल श्रेणी के लिये लागू मार्ग-कर आकर्षित करता है ।

(क) कानपुर सम्भाग में, सिकन्दरा से बिल्हौर तक (वाया सन्दलपुर-मंगलपुर-झींझक-रसूलाबाद-तिस्ती एवं ककवां) 74 किलोमीटर लम्बा एक मार्ग 1975 में खोला गया था । इसमें मंगलपुर से बिल्हौर तक (67 किलोमीटर) का विदयमान 'सी' श्रेणी का मार्ग जिसका अगस्त 1979 में 'बी' श्रेणी में उन्नयन कर दिया गया था, एक दूसरे में सम्मिलित थे । जून 1982 में राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा सिकन्दरा बिल्हौर मार्ग 'ए' श्रेणी मार्ग के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया । किन्तु, विभाग बिल्हौर से मंगलपुर वाया रसूलाबाद एवं झींझक मार्ग (67 किलोमीटर की दूरी) के अंश-भाग पर चलने

वाले 11 प्रक्रम वाहनों से 'ए' श्रेणी मार्ग पर लागू दर के बजाय 'बी' श्रेणी मार्ग हेतु लागू दर पर मार्ग-कर निर्धारित एवं वसूल करता रहा । इसके फलस्वरूप जून 1982 से सितम्बर 1985 की अवधि के दौरान 72,600 रुपयों का मार्ग-कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1985) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कानपुर ने बताया (नवम्बर 1985) कि मामला सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला दिसम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

(ख) अलीगढ़ उप-सम्भाग में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अन्तर्गत एटा-आगरा तथा कासगंज-अलीगढ़ मार्गों के कुछ अधिसूचित भागों पर जिन पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के वाहन भी चल रहे थे और स्पेशल श्रेणी मार्ग हेतु लागू मार्ग-कर का भुगतान कर रहे थे, एटा-जलेसर मार्ग के 26 वाहनों को और अतरौली-अमापुर मार्ग के 16 वाहनों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अन्तर्गत चलने के लिये अनुमति प्रदान की गयी थी । किन्तु इन मार्गों के अधिसूचित भागों पर चलने वाले उपरोक्त 42 वाहनों के संबंध में मार्ग-कर की वसूली स्पेशल श्रेणी मार्ग पर लागू दरों के बजाय ''ए'' श्रेणी मार्ग हेतु लागू दरों पर की गयी । इसके फलस्वरूप दिसम्बर 1982 और फरवरी 1983 के मध्य विभिन्न अवधियों हेतु 11,415 रुपयों का मार्ग-कर कम वसूल हुआ ।

(ग) लखनऊ सम्भाग में विभिन्न मार्गों पर 14 वाहन बिना वैध अनुज्ञा-पत्रों के चल रहे थे और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 2 वाहन अधिसूचित मार्गों पर चल रहे थे । इन सभी मामलों में उच्चतम श्रेणी के मार्ग अर्थात स्पेशल श्रेणी पर लागू दरों पर मार्ग-कर आरोपणीय था किन्तु निम्नतर श्रेणियों के मार्गों पर लागू दरों पर मार्ग-कर वसूल किया गया । इस त्रुटि के फलस्वरूप जुलाई 1981 से दिसम्बर 1985 की अवधि के दौरान 22,590 रुपयों का मार्ग-कर कम आरोपित हुआ । वैध अनुज्ञा-पत्रों के बिना वाहनों को चलाये जाने के लिये इनके परिचालक मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 123 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही के भी भागी थे, किन्तु विभाग द्वारा कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी ।

विभाग और सरकार को उपर्युक्त मामले अक्टूबर 1985 और दिसम्बर 1985 में प्रतिवेदित किये गये; इनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

(ii) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान नियमावली, 1935 में प्रावधान है कि किसी मार्ग का वर्गीकरण करते समय नियंत्रण प्राधिकारी तीन बातों के विचार से नियंत्रित (गाइड) होंगे अर्थात् (i) उस मार्ग पर सार्वजनिक सेवा वाहन के नियोजन से होने वाली सम्भावित आय, (ii) सड़क या सड़कों की अथवा उक्त मार्ग में समाविष्ट सड़क या सड़कों के भाग या भागों के रख-रखाव की लागत और (iii) सार्वजनिक हित में प्रस्तावित मार्ग के विकास की आवश्यकता ।

आगरा सम्भाग में सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी, आगरा की संस्तुति पर राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा 30 नवम्बर 1983 को 13 मार्ग पुनः वर्गीकृत किये गये थे और उच्चतर श्रेणियों में उन्नत किये गये थे । उनमें से 5 मार्गों (शिकोहाबाद-हाथमाउथ-कंवर, शिकोहाबाद-बटेश्वर-कंजरा, शिकोहाबाद-एटा, एटा-जलेसर रोड-एटा-निधौलीकलां और एटा-कायमगंज सिद्धपुर-दरयागंज) के परिचालकों ने उपरोक्त मार्गों के पुनः वर्गीकरण को चुनौती देते हुये उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में रिट याचिकायें (तीन पृथक रिट) दायर कीं । उच्च न्यायालय ने 12 जनवरी 1984, 15 मई 1984 और 14 दिसम्बर 1984 को पुनः वर्गीकरण का आदेश इस आधार पर रद्द कर दिया कि पुनः वर्गीकरण में केवल एक बात अर्थात, उस मार्ग पर सार्वजनिक सेवा वाहन के नियोजन से सम्भावित आय, पर ही विचार किया गया था । किन्तु, उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि यदि उपरोक्त सभी तीनों बातों पर विचार करने के पश्चात प्राधिकारी यह समझते हैं कि इन मार्गों के वर्गों का उन्नयन किये जाने का औचित्य है तो वे ऐसा कर सकते हैं । किन्तु, विभाग ने उच्च न्यायलय के उपर्युक्त कथन की रोशनी में इस विषय पर पुनः परीक्षण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की । उपर्युक्त पांचों मार्गों के वर्गीकरण की समीक्षा (सभी तीनों बातों पर विचार करते हुये) में किये जा रहे विलम्ब के कारण दिसम्बर 1983 के बाद से प्रति वर्ष 1,18,476 रुपयों के राजस्व (30 नवम्बर 1983 को किये गये पुनः वर्गीकरण के आधार पर परिगणित) की आवर्ती हानि (मार्ग-कर के रूप में) हो रही थी ।

विभाग और सरकार को मामला सितम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

(iii) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 के अनुसार व्यक्तियों और कुछ विनिर्दिष्ट संस्थाओं तथा निकायों के स्वामित्व वाले वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों (परिवहन वाहनों से भिन्न) के सम्बन्ध में मार्ग-कर, अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों में उन दरों का 50 प्रतिशत जोड़ कर आरोपणीय होता है ।

झांसी और कानपुर सम्भागों में वाणिज्यिक फर्मों और कम्पनियों (ऊपर सन्दर्भित विनिर्दिष्ट संस्थाओं और निकायों की श्रेणी में न आने वाली) के 721 वाहनों के संबंध में अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत की अभिवृद्धि मार्ग-कर में नहीं की गयी । इस चूक के फलस्वरूप जनवरी 1983 और फरवरी 1985 के बीच विभिन्न अवधियों हेतु 27,020 रुपयों का मार्ग-कर कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1984 और जनवरी 1985) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झांसी ने बताया (फरवरी 1986) कि 8,630 रुपये की धनराशि वसूल कर ली गयी है । शेष धनराशि की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार को ये मामले मई 1984 और फरवरी 1985 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

4.11. सरकारी कम्पनियों के स्वामित्व वाले वाहनों पर करों का निर्धारण न किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान नियमावली, 1935 तथा उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत सरकारी विभाग के स्वामित्व वाले तथा मात्र उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से प्रयुक्त मोटर वाहन मार्ग-कर तथा माल-कर के भुगतान से मुक्त हैं । किन्तु यह छूट सरकारी कम्पनियों/निगमों के स्वामित्व वाले वाहनों को अनुमन्य नहीं है ।

बरेली सम्भाग में राज्य विद्युत परिषद के एक वाहन तथा नलकूप निगम के तीन वाहनों के संबंध में जनवरी 1981 से दिसम्बर 1984 की अवधि हेतु 16,515 रुपयों का मार्ग-कर तथा 42,450 रुपयों का माल-कर आरोपणीय थे (इनके सरकारी विभाग न होने के कारण) किन्तु आरोपित नहीं किये गये ।

लेखापरीक्षा (नवम्बर 1984) में इस चूक के इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बरेली ने 15 जून 1982 से 2 फरवरी 1985 की अवधि हेतु नलकूप निगम के तीन वाहनों के संबंध में 31,936 रुपयों का माल-कर तथा एक वाहन के संबंध में 15,740 रुपयों का मार्ग-कर वसूल कर लिया । एक वाहन के संबंध में राज्य विद्युत परिषद को नोटिस जारी कर दी गयी भी बतायी गयी है (अप्रैल 1985) । नलकूप निगम से अवशेष धनराशि की वसूली तथा राज्य विद्युत परिषद को जारी की गयी नोटिस के परिणाम की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला जनवरी 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

4.12. माल-कर का निर्धारण न किया जाना अथवा कम निर्धारण किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत किसी माल वाहन के परिचालक द्वारा नियत दरों पर माल-कर और मार्ग-कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है । माल-कर अधिकारी को नियत दरों (वाहन के माल वहन करने की प्राधिकृत क्षमता पर आधारित) पर माल-कर के स्थान पर एकमुश्त भुगतान स्वीकार करने का अधिकार है । निर्धारित समय के भीतर माल-कर का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में वाहन स्वामी, कर के अतिरिक्त उसके द्वारा देय कर की धनराशि के 25 प्रतिशत से अनधिक तक अर्थदण्ड के भुगतान का दायी है ।

(i) झांसी सम्भाग में जून 1983 से सितम्बर 1985 की अवधि हेतु 18 सार्वजनिक वाहनों के अनुज्ञा-पत्र राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये गये थे किन्तु इन वाहनों के संबंध में जून 1983 और सितम्बर 1985 के बीच विभिन्न अवधियों हेतु माल-कर निर्धारित और वसूल नहीं किया गया । वसूल न किया गया कर (एकमुश्त दरों पर) 86,822 रुपये बनता था ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 1985) में इसके इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, झांसी ने त्रुटि स्वीकार कर ली और 9 मामलों में 59,540 रुपयों की मांग नोटिसें जारी कर दीं तथा शेष 9 मामलों में मांग नोटिसें जारी करने के लिये सहमति भी प्रकट की । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला नवम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

(ii) बरेली सम्भाग तथा आजमगढ़ उप-सम्भाग में, यद्यपि 3 निजी माल वाहनों तथा 10 सार्वजनिक माल वाहनों के परिचालकों ने निर्धारित दरों पर मार्ग-कर का भुगतान कर दिया था उनके संबंध में माल-कर या तो निर्धारित नहीं किया गया था या कम निर्धारित किया गया । इसके फलस्वरूप दिसम्बर 1979 और मार्च 1986 के बीच विभिन्न अवधियों हेतु एकमुश्त दरों पर 27,304 रुपयों का माल-कर (बरेली : 13,590 रुपये; आजमगढ़ : 13,714 रुपये) वसूल नहीं हुआ/कम वसूल हुआ । इसके अतिरिक्त, परिचालकों से उनके द्वारा देय कर की धनराशि के 25 प्रतिशत से अनधिक अर्थदण्ड भी वसूली योग्य था ।

लेखापरीक्षा (जून 1985 और जुलाई 1985) में इसके इंगित किये जाने पर सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बरेली तथा उप-सम्भागीय परिवहन अधिकारी, आजमगढ़ ने त्रुटि स्वीकार कर ली और मांग-नोटिसें जारी करके रकम वसूल करने के लिये वे सहमत हो गये । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामले जुलाई 1985 तथा सितम्बर 1985 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

4.13. अग्रसारण (फारवर्डिंग) एजेन्सियों से लाइसेन्स फीस तथा प्रतिभूति का वसूल न किया जाना

1969 में यथा संशोधित, मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत सार्वजनिक वाहनों द्वारा वहन किये गये माल के संग्रह, अग्रसारण तथा वितरण के कार्य में कोई भी व्यक्ति अपने आप को एजेन्ट के रूप में तब तक नहीं लगायेगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकारी से तथा इस प्रकार की शर्तों के अधीन लाइसेन्स प्राप्त न कर ले जैसा कि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो । इस प्रयोजन हेतु, राज्य सरकार ने "यू0 पी0 लाइसेंसिंग आफ एजेन्ट्स इनगेज्ड इन दी बिजनेस आफ कलेक्टिंग, फारवर्डिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स करीड बाई पब्लिक कैरियर्स रूल्स, 1975" बनाये जो 31 जनवरी 1976 से प्रभावी हुये । यह नियमावली 25 जुलाई 1978 से पुनरीक्षित की गयी । इस नियमावली के अनुसार लाइसेन्स पांच वर्षों के लिये वैध होगा और लाइसेन्स फीस की धनराशि (क) यदि लाइसेन्स एक सम्भाग हेतु है किन्तु उसमें पर्वतीय मार्ग सम्मिलित नहीं है- 250 रुपये और (ख) यदि लाइसेन्स एक सम्भाग हेतु है जिसमें पर्वतीय मार्ग सम्मिलित है अथवा एक से अधिक सम्भाग हेतु है- 500 रुपये होगी ।

लाइसेन्सधारी के लिये यह भी आवश्यक है कि वह 2,000 रुपये की प्रतिभूति या तो नगद अथवा लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सरकारी प्रतिभूति के रुप में जमा करे । लाइसेन्स समाप्त होने के 30 दिन के पहले ही लाइसेंस प्राधिकारी को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर लाइसेंस का नवीकरण किया जा सकता है और नवीकरण हेतु फीस वही होगी जो लाइसेन्स की प्रारम्भिक स्वीकृति हेतु होती है ।

वर्ष 1978-79 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.7 में एजेन्टों के लाइसेन्स से सम्बन्धित 1975 की नियमावली के अमल में न लाये जाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया था । लोक लेखा समिति द्वारा प्रस्तर पर विचार-विमर्श (7 दिसम्बर 1981 को) के दौरान विभाग ने बताया कि लाइसेन्स प्राप्त करने का दायित्व सार्वजनिक वाहनों द्वारा वहन किये गये माल के संग्रह,

अग्रसारण तथा वितरण के कार्य में लगे हुये व्यक्ति पर होता है और यह कि विभाग नियमों के प्रावधानों को नियमों में संकल्पित सर्वेक्षण एवं दण्डात्मक कार्यवाही द्वारा लागू करेगा । तद्नुसार, वैध लाइसेन्स के बिना कार्यरत एजेन्टों को चुनौती देने के लिये परिवहन आयुक्त ने सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किये (जनवरी 1982) ।

फैजाबाद सम्भाग में सम्भागीय परिवहन अधिकारी के अभिलेखों से पता चला कि जनवरी 1978 से 47 एजेंसियां काम कर रही थीं जिनमें से केवल 5 एजेंसियों ने जनवरी 1978 से दिसम्बर 1982 की अवधि हेतु लाइसेन्स प्राप्त किये थे । इस अवधि की समाप्ति पर इन 5 एजेंसियों ने भी लाइसेन्सों का नवीकरण नहीं कराया । शेष 42 एजेंसियां जनवरी 1978 से बिना किसी वैध लाइसेन्स के काम कर रहीं थीं । मार्च 1982 तक, बिना लाइसेन्सों के काम करने वाली इन 42 एजेंसियों का चालान 83 मामलों में किया गया जो अभी भी न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हैं । मार्च 1982 के बाद कोई और सर्वेक्षण नहीं किया गया जो इंगित करता है कि नियमों को लागू करवाने तथा परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये विभाग द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये । केवल उक्त 47 एजेंसियों के संबंध में ही सरकार को हुई राजस्व की हानि (लाइसेन्स तथा नवीकरण फीस के रूप में) 22,250 रुपये परिगणित की गई । इसके अतिरिक्त सेक्योरिटी डिपाजिट के 0.84 लाख रुपये एजेंटों से संग्रह किये बिना पड़े रहे ।

विभाग और सरकार को मामला जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

4.14. पथ-कर का कम आरोपण

मोटर यान अधिनियम, 1939 के अधीन उत्तर प्रदेश के बाहर अधिकारिता (जूरिसडिक्शन) रखने वाले किसी अधिकारी द्वारा दिये गये अनुज्ञा-पत्र (परमिट) के अधीन चलने वाली ऐसी प्रत्येक मोटर परिवहन गाड़ी पर जो उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करे पथ-कर की दर, उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) अधिनियम, 1979 की धारा 3 की उपधारा (i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी की गई 16 अप्रैल 1985 की एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गयी ।

कोटबन, फतेहपुर सीकरी, सैयां, तमकुहीराज तथा ऊदी की पांच परिवहन जांच चौकियों पर 5,183 परिवहन गाड़ियों के संबंध में, जिन्होंने 16 अप्रैल 1985 से 29 अप्रैल 1985 की अवधि के दौरान राज्य में प्रवेश लिया

था, पथ-कर 60 रुपये प्रति वाहन के बजाय 40 रुपये की पुरानी दर पर प्रभारित किया गया । इस त्रुटि के फलस्वरूप 1,03,660 रुपयों का पथ-कर कम वसूल हुआ ।

लेखापरीक्षा (मई 1985 और सितम्बर 1985 के बीच) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि पथ-कर के कम आरोपण का कारण सरकारी अधिसूचना का विलम्ब से प्राप्त होना था ।

सरकार को मामले मई 1985 और अक्टूबर 1985 के बीच प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

4.15 कर के विलम्बित भुगतान हेतु अर्थदण्ड का न लगाया जाना

कम्पोजिट अनुज्ञा-पत्र धारक, जिन्हें राष्ट्रीय एवं परिक्षेत्रीय अनुज्ञा-पत्र योजना के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों द्वारा राष्ट्रीय/परिक्षेत्रीय अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये हैं, यदि वे चाहें तो इस राज्य के लिये निर्धारित कम्पोजिट टैक्स का भुगतान करने पर अपने वाहनों को उत्तर प्रदेश में चलाने के लिये प्राधिकृत किये जा सकते हैं । कर या तो पूरे वर्ष के लिये पूर्ण रूप से अथवा दो समान किस्तों में 15 मार्च और 15 सितम्बर को या उनके पूर्व अग्रिम देय होता है । निर्धारित अवधि के भीतर कर का भुगतान न किये जाने की दशा में परिचालक, कम्पोजिट कर के अलावा चूक की अवधि हेतु प्रतिमाह अथवा उसके किसी भाग के लिये 100 रुपये की दर पर अर्थदण्ड के भुगतान के दायी होते हैं । गृहराज्यों के परिवहन प्राधिकारियों (अर्थात् वह राज्य जिनमें वाहन पंजीकृत किये गये हैं) से अपेक्षित है कि वे परिचालकों से कर/अर्थदण्ड वसूल करें और उत्तर प्रदेश के परिवहन प्राधिकारियों को भेज दें ।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में यह देखने में आया कि दिसम्बर 1983 से मार्च 1985 के दौरान 121 मामलों में वाहन परिचालकों ने निर्धारित तिथियों के बाद कम्पोजिट टैक्स का भुगतान किया था । विलम्बित भुगतानों पर 30,400 रुपये का अर्थदण्ड प्रभार्य था किन्तु यह गृह राज्यों द्वारा प्रभारित नहीं किया गया तथा उत्तर प्रदेश के परिवहन प्राधिकारियों को भेजा नहीं गया ।

लेखापरीक्षा (मई 1985) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और बताया कि संबंधित राज्यों के माध्यम से परिचालकों से वसूली की जायेगी । वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला जुलाई 1985 और पुनः जनवरी 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

4.16. प्रशमन शुल्क का कम वसूल किया जाना अथवा वसूल न किया जाना

मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 127-बी के अधीन 21 दिसम्बर 1982 को जारी की गयी सरकारी अधिसूचना के अनुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों का प्रशमन, प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा सरकार द्वारा नियत दरों पर प्रशमन शुल्क वसूल करने के बाद किया जा सकता है । 23 जनवरी 1985 और 17 अप्रैल 1985 को जारी की गयी अनुवर्ती अधिसूचनाओं में प्रशमन शुल्क की दरें पुनरीक्षित की गयी थीं । यह भी स्पष्ट किया गया था कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वामी तथा चालकों दोनों से ही उन मामलों में प्रशमन शुल्क वसूल किया जा सकता है जिनमें दोनों अपराधी पाये जाते हैं ।

(i) परिवहन आयुक्त, लखनऊ, आठ सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (वाराणसी, फैजाबाद, बरेली, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर) तथा छः उप-सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (गाजियाबाद, सीतापुर, बुलन्दशहर, इटावा, मथुरा और रायबरेली) के कार्यालयों में यह देखने में आया कि अप्रैल 1985 से दिसम्बर 1985 की अवधि के दौरान 256 वाहनों के संबंध में अपराधों का प्रशमन किया गया था किन्तु वसूल किया गया प्रशमन शुल्क सरकार द्वारा नियत दरों पर देय शुल्क की अपेक्षा कम था । कम वसूल किया गया प्रशमन शुल्क 2,88,740 रुपये हुआ ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर उप-सम्भागीय परिवहन अधिकारी, इटावा ने 4,950 रुपये की धनराशि वसूल कर ली (दिसम्बर 1985) । 2,83,790 रुपये की अवशेष धनराशि की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

(ii) आजमगढ़ उप-सम्भाग में, बिना अनुज्ञा-पत्रों के चलने तथा प्राधिकृत संख्या की अपेक्षाकृत अधिक यात्रियों को वहन करने के कारण मई 1985 तथा जून 1985 में छः वाहनों का चालान किया गया था और मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 123 के अन्तर्गत अपराधों का प्रशमन किया गया था । इन मामलों में प्रशमन शुल्क 23 जनवरी 1985 तथा 17 अप्रैल 1985 से प्रभावी पुनरीक्षित दरों के बजाय पुरानी दरों पर वसूल किया गया था । इसके फलस्वरूप 17,000 रुपये का प्रशमन शुल्क कम वसूल हुआ ।

(iii) 5 परिवहन जांच चौकियों, अर्थात्, साहिबाबाद, मोहननगर (जिला गाजियाबाद), भरौली (जिला बलिया), सलेमपुर और तमकुहीराज (जिला

गोरखपुर) पर अप्रैल 1985 से अगस्त 1985 की अवधि के दौरान अन्य राज्यों के 171 वाहन बिना अनुज्ञा-पत्रों के चलते हुये पकड़े गये । यद्यपि जांच चौकियों पर उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्य कर वाहनों से वसूल किये गये थे इनका **बिना** अनुज्ञा-पत्रों के चलने के अपराध के लिये चालान नहीं किया गया । इसके फल-स्वरूप 2,22,150 रुपयों का प्रशमन शुल्क वसूल नहीं हुआ ।

विभाग और सरकार को उपर्युक्त मामले अप्रैल 1985 और दिसम्बर 1985 के बीच प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

अध्याय 5

वित्त विभाग

स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस

5·1· लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1985-86 के दौरान जिला रजिस्ट्रारों तथा सब-रजिस्ट्रारों के लेखे तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण में 208 मामलों में 50·66 लाख रुपयों के स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस के कम लगाये जाने का पता चला जो कि मोटे तौर पर निम्नवत् श्रेणियों में आते हैं :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1·	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के के कारण स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस का कम आरोपण	134	27·81
2·	प्रलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण कम करारोपण	38	17·69
3·	अन्य मामले	36	5·16
	योग	208	50·66

कुछ महत्वपूर्ण मामले उत्तरवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं ।

5·2· कृषि-इतर भूमि के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश स्टाम्प शुल्क अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथासंशोधित) तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत म्यूनिसिपल सीमा के अन्दर स्थित किसी कस्बा, नगरपालिका अथवा नगरमहापालिका के कृषि-इतर भूमि के हस्तान्तरण से संबंधित हस्तान्तरण विलेख पर, प्रपत्र के निष्पादन की तिथि में उस क्षेत्र में प्रचलित प्रति वर्ग मीटर के औसत मूल्य के आधार पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है । तदनुसार रजिस्ट्री

करने वाले अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु प्रत्येक जिले का जिलाधिकारी औसत मूल्य का एक विवरण प्रत्येक दो वर्ष के अन्तर में जिला प्रबन्धक को भेजता है । किसी हस्तान्तरण विलेख आदि के विषय-वस्तु वाली किसी सम्पत्ति की बाजारू कीमत, जैसा कि उस विलेख में दर्शाया गया हो, यदि उत्तर प्रदेश स्टाम्प शुल्क नियमावली, 1942 के अनुसार निर्धारित की गई न्यूनतम कीमत से भी कम हो तो सम्बद्ध पंजीकरण अधिकारी ऐसे विलेख को सम्पत्ति की बाजारू कीमत एवं उस पर देय स्टाम्प शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु कलेक्टर के पास भेज देगा ।

(i) मेरठ में हापुड़ मार्ग से लगे 1,000 वर्ग गज वाली भूमि के संबंध में एक हस्तान्तरण प्रपत्र (7 फरवरी 1985 को पंजीकृत) पर स्टाम्प शुल्क प्रपत्र में दर्शाये गये 95,000 रुपये के मूल्य के आधार पर लगाया गया था । परन्तु कलेक्टर ने सड़क के किनारे स्थित भूमि के लिए 300 रुपये प्रति वर्ग गज की दर निर्धारित की थी (फरवरी 1984) । इस दर से भूमि का मूल्य 3 लाख रुपये बनता था जिस पर 31,500 रुपये का स्टाम्प शुल्क (अतिरिक्त शुल्क के रूप में 6,000 रुपयों को शामिल करते हुए) देय था । कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रचलित बाजार दर पर भूमि का मूल्यांकन न किये जाने की चूक के कारण शुल्क 21,525 रुपये कम लगाया गया ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (अगस्त 1985), विभाग ने बताया (अक्टूबर 1986) कि 21,525 रुपये का स्टाम्प शुल्क लगा दिया गया है (दिसम्बर 1985) और 43,050 रुपयों का अर्थदण्ड भी आरोपित कर दिया गया है । वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

(ii) सितम्बर 1983 में पंजीकृत प्रपत्रों के अनुसार पीलीभीत में सनगढ़ी क्षेत्र (मुरियाबानी) में स्थित 0.60 एकड़ तथा 0.85 एकड़ के दो लगे हुए भूखण्ड क्रमशः 40,000 रुपये और 50,000 रुपये हेतु बेचे गये । परन्तु, कलेक्टर पीलीभीत ने मई 1983 में इस क्षेत्र में भूमि का बाजार मूल्य 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया था । इस दर से उपरोक्त दोनों भूखण्डों का उचित बाजार मूल्य 4,40,437 रुपये आता था । इस बाजार मूल्य के आधार पर दोनों भूखण्डों का 3,50,437 रुपयों का अवमूल्यांकन किया गया था जिसके परिणाम स्वरुप 36,801 रुपयों का स्टाम्प शुल्क (अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को शामिल करते हुए) कम लगाया गया ।

लेखापरीक्षा (दिसम्बर 1984) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 1986) कि जिला स्टाम्प अधिकारी पीलीभीत से प्राप्त (अप्रैल 1986) सूचना के अनुसार विलेखों के निष्पादनकर्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय

से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं । न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

(iii) जून 1981 में कलेक्टर, अलीगढ़ द्वारा परिपत्रित दरों की सूची के अनुसार अलीगढ़ की म्यूनिसिपल सीमाओं के भीतर स्थित 'साहिबाबाद पाला' क्षेत्र में कृषि-इतर भूमि के लिए औसत मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया था । साहिबाबाद पाला क्षेत्र में 4,543 वर्ग मीटर वाला कृषि-इतर भूखण्ड 85,000 रुपये हेतु बेचा गया । विलेख 18 अप्रैल 1983 को पंजीकृत किया गया और प्रपत्र में दर्शाये गये 85,000 रुपये का मूल्य लेते हुए 8,950 रुपये का स्टाम्प शुल्क लगाया गया । कलेक्टर द्वारा निर्धारित औसत मूल्य की दर से परिगणना करने पर भूमि का मूल्य 3.18 लाख रुपये आता था । भूमि का सही मूल्यांकन न अपनाये जाने की चूक के कारण 24,465 रुपये का स्टाम्प शुल्क कम लगाया गया ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (मार्च 1984), विलेख कलेक्टर को उसका सही मूल्य निश्चित करने के लिये जुलाई 1984 में भेजा गया । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

(iv) सहारनपुर में 24 दिसम्बर 1983 को पंजीकृत एक हस्तान्तरण विलेख द्वारा 6,160 वर्ग गज भूखण्ड 91,750 रुपये में बेचा गया । अक्टूबर 1982 में कलेक्टर द्वारा अधिसूचित दर के अनुसार भूखण्ड का मूल्य 3.08 लाख रुपये बनता था (50 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से) । सम्पत्ति के 2.16 लाख रुपये का अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप 0.23 लाख रुपये तक का स्टाम्प शुल्क कम लगाया गया ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1984) विभाग ने बताया (नवम्बर 1985) कि कलेक्टर द्वारा 0.12 लाख रुपयों का अतिरिक्त शुल्क एवं अर्थदण्ड आरोपित कर दिया गया है । साथ-साथ विभाग ने यह भी बताया (फरवरी 1987) कि स्टाम्प शुल्क का 8,715 रुपया वसूल कर लिया गया है तथा 3,225 रुपये के अर्थदण्ड की वसूली राजस्व परिषद् द्वारा स्थगित कर दी गयी है (अक्टूबर 1985) । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

उपरोक्त मामले सरकार को मार्च 1984 तथा अगस्त 1985 के बीच प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

5.3. भवनों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम लगाया जाना

(i) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने के लिए यथासंशोधित) के अन्तर्गत यदि पंजीयन अधिकारी को यह विश्वास है कि उस सम्पत्ति का बाजार मूल्य, जो हस्तान्तरण, विनिमय, उपहार

इत्यादि का विषय है, प्रपत्र में सही रूप से नहीं दर्शाया गया है तो वह उसे कलेक्टर को ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य तथा उस पर देय उचित शुल्क के निर्धारण के लिए भेजेगा । इसके अतिरिक्त कलेक्टर स्वतः अथवा इस निमित्त निर्धारित किये गये किसी प्राधिकारी अथवा किसी न्यायालय द्वारा सन्दर्भित किये जाने पर हस्तान्तरण, विनिमय, उपहार, व्यवस्थापन, पंचाट (एवार्ड) अथवा न्यास वाले किसी प्रपत्र को जो पहले उसको सन्दर्भित न किया गया हो, उसके पंजीकरण की तिथि से 4 वर्षों के भीतर मंगा सकता है और वह सम्पत्ति जो कि हस्तान्तरण, विनिमय, उपहार, व्यवस्थापन इत्यादि की विषय-वस्तु है उसकी बाजारु कीमत और उस पर देय शुल्क के सही होने के विषय में स्वयं को सन्तुष्ट करने हेतु जांच कर सकता है ।

फरुखाबाद में सम्बद्ध भूमि (6.71 एकड़) के साथ एक शीत संग्रहागार (कोल्ड स्टोरेज) एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को एक हस्तान्तरण प्रपत्र (5 नवम्बर 1984 को निष्पादित तथा 20 नवम्बर 1984 को पंजीकृत) के द्वारा 9.25 लाख रुपये में बेचा गया (भूमि का मूल्य : 3.75 लाख रुपये तथा भवन का मूल्य : 5.50 लाख रुपये) और उस पर 0.97 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क लगाया गया ।

वही कोल्ड स्टोरेज पहले 1971 के विलेख संख्या 700 (19 फरवरी 1971 को पंजीकृत) द्वारा हस्तान्तरित किया गया था । कलेक्टर द्वारा सन्दर्भित किये जाने पर, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने केवल भवन की कीमत (सम्बद्ध भूमि को छोड़कर) 75.81 लाख रुपये आंकी थी (सितम्बर 1984)। भवन से सम्बद्ध भूमि (6.71 एकड़) का मूल्य कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर (50 रुपये प्रति वर्ग मीटर) के अनुसार, जो कि प्रपत्र के निष्पादन के समय लागू थी, 13.58 लाख रुपये होता था । तदनुसार स्टाम्प शुल्क (अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क सम्मिलित करते हुए) 9.25 लाख रुपये के बजाय 89.39 लाख रुपयों के कुल प्रतिफल पर लगाया जाना था । देय शुल्क 9.39 लाख रुपये होता था । इस प्रकार 8.42 लाख रुपयों का स्टाम्प शुल्क (अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को सम्मिलित करते हुए) कम लगाया गया ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1985), उप-निबंधक फरुखाबाद ने सम्पत्ति का मूल्य 19.08 लाख रुपये निकाला (भवन का मूल्य: 5.50 लाख रुपये और सम्बद्ध भूमि का मूल्य: 13.58 लाख रुपये) और विलेख को कलेक्टर के पास अंतिम निर्धारण हेतु सन्दर्भित कर दिया (अक्टूबर 1985) । उप-निबंधक द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया गया (सितम्बर 1984) भवन का मूल्य (75.81 लाख रुपये) शामिल नहीं किया गया था । आगे की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला अक्टूबर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

(ii) समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 के अन्तर्गत हस्तान्तरण, विनिमय, उपहार, व्यवस्थापन, पंचाट (एवार्ड) अथवा न्यास के प्रपत्र के विषय वाले भवन का बाजार मूल्य वास्तविक वार्षिक किराये से लाभ के अथवा निर्धारित वार्षिक किराये से लाभ के 25 गुने से, जो भी उच्चतर हो, कम सुनिश्चित नहीं किया जायेगा । ऐसे मामलों में जहां बाजार मूल्य निर्धारित गुणांकों के अनुसार दर्शाया गया हो परन्तु पंजीयन अधिकारी यह समझता हो कि सम्पत्ति का सही मूल्यांकन बिना स्थानीय छान-बीन अथवा वाह्य प्रमाण के नहीं निकाला जा सकता है तो वह पंजीकरण के पश्चात् प्रश्नगत प्रपत्र को कलेक्टर के पास सम्पत्ति की वास्तविक बाजारु मालियत के निर्धारण हेतु भेज सकता है ।

देहरादून में एक भवन (627 वर्ग मीटर भूमि पर निर्मित) तथा उससे सम्बद्ध 2,753 वर्ग मीटर भूमि वाली एक सम्पत्ति 16 दिसम्बर 1984 को पंजीकृत किये गये एक विक्रय विलेख द्वारा 2.00 लाख रुपये के कुल प्रतिफल हेतु हस्तान्तरित की गयी । निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार भवन का मूल्य 1.80 लाख रुपये बनता था (नगरपालिका द्वारा भवन हेतु निश्चित 7,200 रुपये के वार्षिक किराये के आधार पर) तथा उस क्षेत्र हेतु कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित किये गये 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर की चालू बाजार दर से भूमि का मूल्य 2.20 लाख रुपये बनता था । इस प्रकार सम्पत्ति का मूल्यांकन 2 लाख रुपये कम निर्धारित किया गया जिसके फलस्वरूप 0.21 लाख रुपयों का स्टाम्प शुल्क (अतिरिक्त शुल्क को शामिल करते हुए) कम लगाया गया ।

विभाग को त्रुटि मई 1985 में और सरकार को अगस्त 1985 में इंगित की गयी थी । विभाग ने बताया (अक्टूबर 1986) कि सम्पत्ति का सही मूल्य निर्धारित किये जाने हेतु विलेख कलेक्टर देहरादून को सन्दर्भित कर दिया गया है (जून 1985) । सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

5.4. विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम लगाया जाना

(i) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत बन्धक विलेख (मार्गेज डीड) में प्रत्येक ऐसा प्रपत्र शामिल होता है जिसके द्वारा ऋण के रूप में अग्रिम दिये गये अथवा दिये जाने वाले धन अथवा विद्यमान अथवा भविष्य में दिये जाने वाले ऋण की सुरक्षा हेतु अथवा किसी अनुबन्ध के अनुपालन,

हेतु एक व्यक्ति दूसरे के पक्ष में किसी विनिर्दिष्ट सम्पत्ति पर अथवा उसके सम्बन्ध में अधिकार का हस्तान्तरण अथवा सृजन करता है । प्रतिभूति विलेख ऋणों के भुगतान से भिन्न अन्य कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु निष्पादित किये जाते हैं । बन्धक विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क प्रतिभूति विलेख पर प्रभार्य शुल्क की अपेक्षा अधिक होता है ।

ज्ञानपुर (जिला वाराणसी) में एक कम्पनी ने 215 लाख रुपये का ऋण लेने के लिए इलाहाबाद बैंक को भूमि (7 बीघा, 3 बिस्वा और 16 धुर) के साथ उस पर बने भवन वाली सम्पत्तियों को बंधक रख दिया (सितम्बर 1983) और प्रपत्र को एक प्रतिभूति विलेख मानते हुए 42.50 रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा कर दिया । चूंकि प्रलेख द्वारा बैंक को उक्त सम्पत्तियों पर अधिकार प्राप्त हो गया था उसे सही ढंग से एक बंधक विलेख के रूप में वर्गीकृत किया जाना था । प्रलेख के गलत वर्गीकरण के कारण 9.14 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क कम लगाया गया ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1984) विभाग ने 9.14 लाख रुपये के स्टाम्प शुल्क के साथ-साथ 0.86 लाख रुपये का अर्थ-दण्ड आरोपित किया (अगस्त 1985) । वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला (सितम्बर 1984) में प्रतिवेदित किया गया; उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

(ii) स्वामित्व के साथ बंधक वाले विलेख पर स्टाम्प शुल्क ऐसे विलेख द्वारा प्राप्त की गयी धनराशि के बराबर प्रतिफल की धनराशि पर लगाया जाता है, जबकि विक्रय प्रपत्र (सेल डीड) के मामले में यह सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर अथवा प्रपत्र में दर्शाये प्रतिफल पर जो भी उच्चतर हो, लगाया जाता है । साथ ही साथ, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि संशोधन अधिनियम 1950 की धारा 164 के अनुसार किसी भूमिधर द्वारा किसी जोत अथवा उसके किसी भाग के हस्तान्तरण, जिसके द्वारा ऋण के रूप में अग्रिम दिये गये अथवा दिये जाने वाले धन और विद्यमान या भविष्य में दिये जाने वाले ऋण का भुगतान प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु, अथवा किसी समझौते के अनुपालन हेतु किसी हस्तान्तरी को कब्जा दे दिया जाता है, हस्तान्तरण प्रलेख में कुछ भी लिखा रहने पर भी अथवा तत्समय किसी भी कानून के लागू रहने पर भी, सभी समय पर और सभी प्रयोजनों हेतु हस्तान्तरी के पक्ष में विक्रय माना जायेगा । अतः भूमिधरी भूमि के मामले में कब्जे के साथ बन्धक वाले प्रपत्र पर स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस विक्रय प्रपत्र की भांति लगनी होती है ।

रामनगर (जिला वाराणसी) में ग्राम डमरी (परगना रल्हूपुर) में स्थित 6.25 एकड़ भूमिधरी भूमि "क" द्वारा बंधक की गयी और ऋण के रूप में 12,000 रुपये की धनराशि प्राप्त करने के पश्चात् एक मात्र "ख" के पक्ष में कब्जा दे दिया गया । इसके अतिरिक्त बंधककर्त्ता ने बंधक रखने वाले के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन हेतु अपनी सहमति दे दी । इस विलेख को विक्रय प्रपत्र मानते हुये हस्तान्तरण की भांति भूमि के मूल्य अर्थात् 2.50 लाख रुपये (उस समय के कलेक्टर द्वारा निर्धारित 40,000 रुपये प्रति एकड़ की अधिकतम दर से आगणित के स्थान पर, इन सभी तथ्यों की उपेक्षा करते हुये प्रलेख द्वारा प्राप्त की गयी धनराशि के समतुल्य प्रतिफल वाला कब्जे के साथ किया गया बन्धक प्रपत्र मानते हुये 6 अप्रैल 1984 को पंजीकृत कर दिया गया और मात्र 1260 रुपयों का स्टाम्प शुल्क वसूल किया गया । कम लगाया गया स्टाम्प शुल्क 24,990 रुपये था ।

लेखापरीक्षा (अगस्त 1984) में इसके इंगित किये जाने पर कलेक्टर द्वारा अक्टूबर 1985 में 26,302 रुपये का स्टाम्प शुल्क (197 रुपये के अर्थदण्ड तथा 84 रुपयों की निबन्धन फीस के साथ) लगाया गया । वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला सितम्बर 1984 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

अध्याय 6

गन्ने के क्रय पर कर

6.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1985-86 के दौरान चीनी मिलों और खाण्डसारी इकाइयों के अभिलेखों के जांच परीक्षण में 65 मामलों में 37.74 लाख रुपयों के कर के न लगाये जाने/कम लगाये जाने का पता चला जो कि मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में आते हैं :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	क्रय कर का भुगतान किये बिना चीनी के बोरों की निकासी	15	17.07
2.	कर का अनियमित आस्थगन	1	10.93
3.	कर की दर के निर्धारण में अनियमितता	10	7.32
4.	नियमों के अननुपालन के कारण कर का कम निर्धारण	11	1.26
5.	अन्य मामले	28	1.16
	योग	65	37.74

कुछ महत्वपूर्ण मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं ।

6.2. कर का भुगतान किये बिना चीनी की निकासी

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के अन्तर्गत किसी भी चीनी मिल का मालिक उपभोग हेतु अथवा बिक्री हेतु या मिल के अन्दर या बाहर किसी अन्य वस्तु के निर्माण हेतु मिल में उत्पादित चीनी की निकासी तब तक नहीं करेगा अथवा करायेगा जब तक कि वह चीनी के निर्माण में उपभुक्त गन्ने की खरीद पर लगने वाले कर का भुगतान नहीं कर देता । इन प्रावधानों का किसी प्रकार का उल्लंघन किये जाने पर

मिल मालिक, देय कर के अतिरिक्त, अर्थ दण्ड के रूप में ऐसी देय धनराशि के एक सौ प्रतिशत से अधिक न होने वाली धनराशि का और भुगतान करने का दायी हो जाता है ।

(i) देवरिया जनपद में दो चीनी मिलों ने सितम्बर 1983 तथा अगस्त 1985 तक 1981-82 तथा 1983-84 मौसमों की क्रमशः 54,229 बोरे तथा 25,255 बोरे चीनी गन्ना क्रय करके 5,66,100 रुपये तथा 3,24,150 रुपये का भुगतान किये बिना निकासी कर दी थी । इसके अतिरिक्त रायबरेली जनपद में एक चीनी मिल ने 1983-84 मौसम का सम्पूर्ण स्टाक (1,06,640 बोरे) जून 1985 तक तथा 1984-85 मौसम के 52,969 बोरे अक्टूबर 1985 तक गन्ना क्रय कर के क्रमशः 5,87,508 रुपये तथा 3,10,995 रुपये का भुगतान किये बिना चीनी के बोरों की निकासी कर दी। कर-निर्धारण अधिकारियों को प्रस्तुत किये गये अपने मासिक विवरणों में ये सभी मिलें कर का भुगतान किये बिना अथवा कर के कम भुगतान पर चीनी की निकासियां दिखाती रहीं थीं किन्तु कर की वसूली तथा अर्थदण्ड आरोपित करने के लिये विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1984, दिसम्बर 1985 तथा जनवरी 1986) में इन अनियमितताओं के इंगित किये जाने पर विभाग ने दो मामलों में (एक मामला देवरिया का; दूसरा मामला रायबरेली का) व्यतिक्रम के अधिनिर्णय एवं कर की वसूली हेतु कार्यवाही शुरू की (अप्रैल 1985-मार्च 1986) और कर के 6,48,103 रुपये तथा अर्थदण्ड के 18,470 रुपये की वसूली कर ली (अप्रैल 1985) । अवशेष कर की वसूली की रिपोर्ट तथा तीसरे मामले में की गई कार्यवाही प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

(ii) मेरठ जनपद में एक चीनी मिल, सरकार (उद्योग विभाग) द्वारा जारी किये गये दिनांक 19 जनवरी 1984 के एक कार्यकारी आदेश के आधार पर, अपनी प्रसरण प्रायोजनाओं (एक्सपैन्शन प्रोजेक्ट्स) हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण की वापसी की अवधि के दौरान कर के भुगतान को आस्थगित करते हुए 13 मार्च 1985 से कर का भुगतान किये बिना चीनी की निकासी करती रही । अधिनियम तथा नियमावली में ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में कर के भुगतान के आस्थगन का आदेश अनियमित था तथा इसके फलस्वरूप बकाये एकत्रित हो गये । 30 जून 1985 तक मिल द्वारा भुगतान नहीं किया गया कर 10,93,244 रुपये हो गया था । सहायता ऋण की वापसी की अवधि की समाप्ति के बाद आस्थगित कर के भुगतान का क्या तरीका तथा रूप होगा इस सम्बन्ध में भी उक्त आदेश में कुछ नहीं कहा गया है ।

विभाग को मामला सितम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

उपरोक्त मामले सरकार को जुलाई 1986 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

6.3. कर के अन्तिम दर का त्रुटिपूर्ण विलम्बित निर्धारण

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत उत्पादित चीनी में प्रयोग हुए गन्ने के क्रय पर कर मिल द्वारा चीनी की निकासी के समय देय होता है । इस उद्देश्य से कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा पिछले मौसम के आंकड़ों के आधार पर पेराई के शुरू में चीनी की प्रति बोरी पर अनन्तिम दर का निर्धारण किया जाता है; कर की अन्तिम दर का निर्धारण पेराई मौसम के अन्त में मौसम की अवशेष चीनी के स्टाक तथा अनन्तिम दर से भुगतान किये गये धन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

देहरादून, फरुखाबाद, मेरठ, बस्ती तथा पीलीभीत जनपदों में पांच चीनी मिलों ने मौसम 1981-82 से 1983-84 की बाजार में बिकने योग्य समस्त चीनी (भूरी चीनी को छोड़कर जिसकी निकासी मिल के अन्दर पुनः निर्मित किये जाने के लिये की जाती है) की निकासी (मार्च 1985 से अक्टूबर 1985 के बीच) कर दी थी । फिर भी उन मौसमों में क्रय-कर की देयता, मिलों द्वारा देय कर के जमा किये बिना चीनी की निकासी या बाजार में बेची जाने योग्य चीनी की निकासी के समय प्रत्येक बोरे पर देय कर की अन्तिम दर का त्रुटिपूर्ण विलम्ब से निर्धारण किये जाने के कारण, सम्पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई । उक्त मौसमों का अदत्त अवशेष कर 6,36,351 रुपये रहा । इसके अतिरिक्त 12 प्रतिशत की दर से ब्याज तथा कर एवं ब्याज पर 100 प्रतिशत तक की शास्ति भी मिल मालिकों से वसूली योग्य थी ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 1985 एवं अप्रैल 1986 के बीच), विभाग ने दो मामलों में 1,84,583 रुपये के कर की वसूली कर ली और एक मामले में (बस्ती) 1,62,651 रुपये की शास्ति आरोपित की । अवशेष कर की धनराशि तथा ब्याज तथा उसके साथ शास्ति की वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला जुलाई 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

6.4. नियमों के अननुपालन के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

पहली अप्रैल 1982 से यथासंशोधित उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) नियमावली, 1961 के नियम 13-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अनुसार किसी खांडसारी इकाई के स्वामी से अपेक्षित है कि वह या तो गन्ने की वास्तविक खरीद पर अथवा अपने विकल्प द्वारा इकाई की पेराई क्षमता तथा अन्य सम्बद्ध कारणों के आधार पर गन्ने की अनुमानित खरीद पर कर का भुगतान करें। यदि इकाई स्वामी अनुमानित गन्ने की मात्रा के आधार पर कर के भुगतान का विकल्प अपनाता है तो उसे इकाई चलाने की सुनिश्चित की गयी तिथि की घोषणा निर्धारित प्रपत्र (फार्म सं0 XIII) में इस प्रकार भेजनी होती है कि वह चीनी आयुक्त, सहायक चीनी आयुक्त और कर-निर्धारण अधिकारी के पास इकाई चलाने की तिथि के 15 दिन पूर्व पहुंच जाये। इकाई चलाये जाने हेतु सुनिश्चित की गई तिथि के परिवर्तन की सूचना भी उन्हीं प्राधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि के एक सप्ताह पूर्व दी जानी चाहिए। इस शर्त की पूर्ति की विफलता पर इकाई कर-निर्धारण के लिये अविकल्पित इकाई की तरह मानी जायेगी।

(i) जनपद मुजफ्फरनगर के दो निरीक्षणालयों में तीन खाण्डसारी इकाई स्वामियों द्वारा मौसम 1984-85 के लिये गन्ने की अनुमानित मात्रा पर कर भुगतान करने के लिये प्रपत्र XIII में रजिस्ट्री द्वारा भेजी घोषणाएं कर निर्धारण अधिकारी को उसमें विनिर्दिष्ट इकाई चलाने की तिथि के 15 दिन पहले नहीं प्राप्त हुई। फिर भी इनको अविकल्पित इकाइयों की भांति मानते हुए गन्ने की कुल 2,32,210 कुन्तल की वास्तविक खरीद पर कर निर्धारण करने के बजाय इन इकाइयों पर विकल्पित इकाइयों की भांति गन्ने की कुल 1,21,566 कुन्तल की अनुमानित मात्रा पर कर आरोपित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 1,10,644 रुपये का कर कम आरोपित किया गया।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1986) में चूक के इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जनवरी/फरवरी 1987) कि 1,06,020 रुपये का अतिरिक्त कर लगा दिया गया है। वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

(ii) शाहजहांपुर, मुरादाबाद तथा कानपुर जनपदों में तीन खाण्डसारी इकाइयां जिन्होंने कर-निर्धारण वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 में गन्ने के अनुमानित खरीद के आधार पर कर का भुगतान करने के लिये विकल्प दिया था, प्रपत्र XIII में दी गयी विनिर्दिष्ट तिथि के बाद की तिथियों से कार्य करना प्रारम्भ किया लेकिन इनकी सूचनाएं पहले से विनिर्दिष्ट तिथि के एक

सप्ताह पूर्व नहीं दी गयी । जैसा कि नियमों में अपेक्षित है, इन इकाइयों का कर-निर्धारण शुरू में बतायी गयी विनिर्दिष्ट तिथियों से न करके इकाइयों के बाद में चलायी जाने वाली तिथियों से किया गया । इसके फलस्वरूप 16,767 रुपये का कर कम निर्धारित किया गया ।

लेखापरीक्षा (फरवरी 1984 और फरवरी 1986 के बीच) में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने 16,767 रुपयों की कुल अतिरिक्त मांगें सृजित कर दीं जिसमें से एक मामले में 8,400 रुपये भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किये जाने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं । एक दूसरे मामले में निर्धारिती द्वारा माननीय हाई कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया बताया गया है । दो मामलों में जो स्थगन आदेश के अन्तर्गत नहीं हैं, वसूली के विवरण की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

उपरोक्त मामले सरकार को जुलाई 1986 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

6.5. गन्ने की खरीद पर कर के बकाया देय

6.5.1. उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 की धारा 3 एवं 3-ए तथा उसके अधीन बनी नियमावली के अंतर्गत गन्ने की खरीद पर कर, चीनी मिल स्वामियों द्वारा 1.25 रुपया प्रति कुन्तल की दर से और खाण्डसारी इकाई स्वामियों द्वारा 1.00 रुपया प्रति कुन्तल की दर से, देय होता है ।

6.5.2. मिलों द्वारा देय कर की वसूली चीनी की निकासी के समय, मौसम के दौरान कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित अनन्तिम दर से तथा उसके बाद मौसम में गन्ने की कुल खरीद तथा उससे उत्पादित की गयी चीनी के आधार पर निकाले गये अन्तिम दर से, की जाती है । खाण्डसारी इकाइयों द्वारा देय कर, यदि इकाई मासिक कल्पित पेराई क्षमता के आधार पर, जैसा कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया हो, कर भुगतान करने का विकल्प अपनाती है तो प्रत्येक माह अग्रिम अदा करना होता है; और यदि इकाई ऐसा विकल्प नहीं अपनाती है तो कर का भुगतान, सम्बन्धित महीने के वास्तविक गन्ने की खरीद के आधार पर निर्धारित किये जाने के उपरान्त करना होता है ।

6.5.3. कर का भुगतान किये बिना चीनी की निकासी करने वाली चीनी मिलें जमा न किये गये कर के 100 प्रतिशत अर्थदण्ड की भागी हो जाती हैं तथा निर्धारित तिथियों तक कर का भुगतान न करने वाली खाण्डसारी इकाइयां अर्थदण्ड के अतिरिक्त 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान की भी दायी होती हैं । परन्तु सरकारी क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्र की नई चीनी मिलों को प्रथम 5 पेराई मौसमों के दौरान कर के भुगतान से आस्थगन की स्वीकृति

प्रदान की गयी थी जिसकी वसूली नवें मौसम के प्रारम्भ से 5 बराबर किस्तों में की जानी थी ।

6.5.4. 31 मार्च 1986 को कर के कुल 1082.81 लाख रुपये वसूली के लिये लम्बित पड़े थे जिसमें कर के 946.76 लाख रुपये 34 चीनी मिलों से तथा 136.05 लाख रुपये 2,176 खाण्डसारी इकाइयों से प्राप्य थे । इसके अतिरिक्त 1130.76 लाख रुपये 19 सरकारी/सहकारी क्षेत्रों की चीनी मिलों से प्राप्य थे जिनके मामलों में सरकार द्वारा कर का भुगतान आस्थगित कर दिया गया था ।

6.5.5. 34 चीनी मिलों से प्राप्य 946.76 लाख रुपये मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में आते हैं :

बकाये का विवरण	धनराशि (लाख रुपयों में)
(क) बिहार राज्य से खरीदे गये गन्ने के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र की 4 मिलों से प्राप्य कर	21.71
(ख) सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा चलायी जाने वाली 3 चीनी मिलों से प्राप्य कर	13.02
(ग) (i) सरकार द्वारा 1971 में अधिकार में ली गयी तथा उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड द्वारा चलायी जा रही 12 चीनी मिलों से प्राप्य कर	557.84
(ii) सरकार द्वारा 1984 में अधिकार में ली गयी तथा उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड द्वारा चलायी जा रही 4 चीनी मिलों से प्राप्य कर	173.20
(iii) उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड द्वारा 1974 और 1984 के मध्य स्थापित 3 चीनी मिलों से प्राप्य कर	93.85
(iv) सहकारी क्षेत्र में चलाई जा रही 3 चीनी मिलों से प्राप्य कर	58.07
(घ) 1975 में सरकारी नीलामी में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड द्वारा खरीदी गयी पिपराइच चीनी मिल से प्राप्य कर	22.23
(ङ) अन्य चार चीनी मिलों से प्राप्य कर	6.84
योग	946.76

6.5.6. गन्ना आयुक्त कार्यालय एव राज्य सरकार के अन्य कार्यालयों में इन बकाया देयों से संबंधित अभिलेखों की जांच करने से निम्न बातों का पता चला ।

(i) भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अभिरक्षकों (कस्टोडियन्स) द्वारा प्रबंधित 3 मिलों पर 13.02 लाख रुपयों का बकाया

चीनी प्रतिष्ठान (प्रबन्ध का अधिग्रहण) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत जिस समय प्रारम्भ में भारत सरकार द्वारा तीन वर्षों के लिये तीन मिलों को अधिग्रहीत किया गया था (27 दिसम्बर 1978 को अधिग्रहीत देवरिया जिले की दो मिलों का प्रबन्ध तथा 13 मार्च 1979 को अधिग्रहीत गोंडा जिले की एक मिल का प्रबन्ध) तथा उन्हें अभिरक्षकों के अधीन रक्खा गया था, इन मिलों पर 1971-72 से पहले की अवधि हेतु 13.02 लाख रुपये का गन्ने पर क्रय-कर बकाया था । अधिनियम में प्रावधान है कि पूर्ववर्ती प्रबन्धकों से बकाये की वसूली हेतु किसी भी न्यायालय/प्राधिकरण/अधिकारी के सम्मुख लम्बित विवाद/मामले तब तक स्थगित रहेंगे जब तक इनके अधिष्ठापन का प्रबन्ध भारत सरकार में निहित रहता है । किन्तु, इन मिलों के सम्बन्ध में अभिरक्षकों का कार्य-काल प्रत्येक मामले में सात वर्षों तक के लिये बढ़ा दिया गया था; और तत्पश्चात ये मिलें अननुसूचित (डिनोटीफाइड) कर दी गयीं किन्तु इनके पूर्ववर्ती स्वामी मिलों का अधिग्रहण करने और उन्हें चलाने के इच्छुक नहीं थे । बाद में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार गोंडा जिले में स्थित मिल अपने पूर्ववर्ती स्वामियों को वापिस कर दी गयी । अन्य दो मिलों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा 5 अक्तूबर 1986 को रिसीवरों की नियुक्ति कर दी गयी । किन्तु वसूली की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

(ii) उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड द्वारा प्रबंधित 16 मिलों से प्राप्य 731.04 लाख रुपये

उत्तर प्रदेश चीनी प्रतिष्ठान (अध्याप्ति) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत सरकार ने 1971 में 12 चीनी मिलें (सकोतीटाण्डा, मोहिउद्दीनपुर, बाराबंकी, खड्डा, बढ़वल, भटनी, अमरोहा, रामकोला, जरवलरोड, बिजनौर, रामपुर और लक्ष्मीगंज) अध्याप्त कीं तथा 1984 में अन्य 12 चीनी मिलें जिनमें सिसवा बाजार, बुलन्दशहर, बरेली, तथा छितौनी में स्थित 4 मिलें शामिल थीं, अध्याप्त कीं । इन मिलों के अधिग्रहण के समय पहली 12 चीनी मिलों से तथा बाद की 4 मिलों से क्रमश: 371.90 लाख रुपये तथा 159.21 लाख रुपये कर के बकाये थे । अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत इन प्रतिष्ठानों को अध्याप्त किया जाना था तथा इन प्रतिष्ठानों को ऋण, बन्धक, प्रभार या

अन्य भार आदि से मुक्त करके इनको प्रबन्ध इसी अभिप्राय से गठित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड में निहित किया जाना था । इन मिलों से कर के बकायों के दावे, इनके मालिकों को देय मुआवजे की धनराशि में से भुगतान किये जाने हेतु निर्धारित प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने थे । 1971 में अध्याप्त 12 चीनी मिलों से सम्बन्धित निर्धारित प्राधिकारी की नियुक्ति 11 अक्टूबर 1979 से की गयी थी । अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (10) के अनुसार मुआवजे की धनराशि तथा दावों और बकायों आदि का समायोजन प्रतिष्ठानों के अधिग्रहण किये जाने के 6 माह के अन्दर सुनिश्चित कर लिया जाना था । इन 12 मिलों की अध्याप्ति हाई कोर्ट के मई 1979 के फैसले के बाद पूरी हो गयी थी किन्तु निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अब तक (जुलाई 1986) मुआवजा तय नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप कर के बकायों की वसूली नहीं हो सकी । अक्टूबर 1984 में अध्याप्त 12 चीनी मिलों से सम्बन्धित निर्धारित प्राधिकारी की नियुक्ति की घोषणा जून 1985 में की गयी थी किन्तु निगम द्वारा उनकी अध्याप्ति का मामला न्यायालय में चल रहा है ।

सरकार द्वारा इनकी अध्याप्ति के बाद इन 16 चीनी मिलों ने 199.93 लाख रुपये के कर का और भुगतान नहीं किया जिसमें से 4 मिलों के सम्बन्ध में 98.48 लाख रुपयों का वसूली प्रमाण-पत्र, दिसम्बर 1980 से नवम्बर 1985 के बीच, भू-राजस्व के बकायों की भांति वसूल किये जाने के लिये जारी किये गये । अभी तक (जुलाई 1986) कोई वसूली की रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है । दो मिलों के विरुद्ध 14.09 लाख रुपयों की धनराशि की वसूली के लिये वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर बतायी गयी है ।

(iii) निगम द्वारा स्थापित 3 नई मिलों तथा सहकारी क्षेत्र की तीन मिलों द्वारा देय 151.92 लाख रुपये

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित (1974 तथा 1979 के बीच) तीन नई चीनी मिलों तथा सहकारी क्षेत्र में स्थापित (1975 तथा 1978 के बीच) तीन मिलों ने 1982-83 सीजन से 151.92 लाख रुपयों के कर के भुगतान में चूक की थी । इस धन में से केवल 9.49 लाख रुपयों के लिये नवम्बर 1985 में भू-राजस्व के बकायों की भांति कर की वसूली किये जाने के लिये वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये थे किन्तु अभी तक (जुलाई 1986) किसी वसूली की सूचना नहीं मिली है ।

(iv) उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड द्वारा खरीदी गयी पिपराइच चीनी मिल द्वारा देय 22.23 लाख रुपये

पिपराइच चीनी मिल, जिस पर 22.23 लाख रुपये कर के बकाया थे, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड द्वारा 1975 में सरकारी नीलामी

में 55 लाख रुपयों में खरीदी गई थी । नीलामी की धनराशि ,जो कि इसके मालिकों को देय थी, बैंक के कर्जे, तकावी, गन्ने के मूल्य आदि के भुगतान में प्रयोग कर ली गई और कर के बकाये को समाप्त करने के लिये कुछ भी नहीं बचा । इस कर की अदायगी का दायित्व पुराने मालिकों पर आता है किन्तु इसे अब भी मिल के विरुद्ध दिखाया जा रहा है, जो कि अब उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सम्पत्ति है और पुराने मालिकों के खिलाफ धन की वसूली के लिये कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ।

उपरोक्त बिन्दु सरकार की जानकारी में अगस्त 1986 में लाये गये; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

अध्याय 7

अन्य कर प्राप्तियां

क—भू-राजस्व

7.1. लेखापरीक्षा के परिणाम

अप्रैल 1985 से मार्च 1986 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये राजस्व विभाग के कार्यालयों के लेखों के जांच परीक्षण से 161 मामलों में 50.29 लाख रुपयों के भू-राजस्व के अवनिर्धारण और कम संग्रह का पता चला, जो कि मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	भू-राजस्व का न लगाया जाना या कम लगाया जाना	108	31.48
2.	संग्रह प्रभारों की कम वसूली	37	3.96
3.	अन्य मामले	16	14.85
	योग	161	50.29

कुछ महत्वपूर्ण मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित किये गये हैं ।

7.2. भूमि के लगान का निर्धारण न किया जाना अथवा कम निर्धारण किया जाना

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, 1961 के अन्तर्गत अधिशेष (सरप्लस) भूमि के पट्टेदारों से अपेक्षित है कि वे अपने पक्ष में बन्दोबस्ती में दी गयी भूमि के संबंध में राज्य सरकार को ऐसी भूमि पर लागू स्वीकृत मौरूसी दर की दुगनी धनराशि पर परिगणित लगान का वार्षिक भुगतान करें ।

तीन तहसीलों में, जनपद हरदोई की दो तहसीलें तथा जनपद जौनपुर की एक तहसील में 1388 तथा 1392 फसली वर्षों के बीच की (जुलाई 1980 तथा जून 1985 के बीच) विभिन्न अवधियों में अधिशेष जमीनों के पट्टेदारों से वसूली योग्य भूमि के लगान का या तो निर्धारण नहीं किया गया अथवा कम निर्धारण किया गया । वसूल न किया गया भूमि का लगान 32,660 रुपया बनता है ।

लेखापरीक्षा (जनवरी तथा नवम्बर 1985 के बीच) में इसके इंगित किये जाने पर सम्बन्धित तहसीलदारों ने बताया कि जांचोपरान्त आवश्यक मांगें सृजित कर दी जायेंगी । आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

मामले की जानकारी सरकार को मार्च 1985 तथा जनवरी 1986 के बीच दी गई; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

7.3. संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना

राजस्व वसूली (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1965 के अनुसार राजस्व प्राधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे अन्य सरकारों, अर्ध सरकारी संगठनों और स्थानीय निकायों की ओर से संबंधित प्राधिकारियों से वसूली प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर, देयों की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में करें । राजस्व प्राधिकारियों द्वारा सेवा प्रभार के रूप में वसूल किये गये देयों के 10 प्रतिशत की दर से संग्रह प्रभार वसूली योग्य हो जाते हैं । कुछ अधिनियमों और नियमावलियों में, जिनके अन्तर्गत देयों की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में की जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट इलेक्ट्रिकल अण्डरटेकिंग (ड्यूज रिकवरी) एक्ट आफ 1958 तथा उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल क्रेडिट एक्ट, 1973 में यह प्रावधान है कि संग्रह प्रभार की वसूली बकायादारों से की जाय जबकि कुछ अन्य नियमों तथा नियमावलियों में इस बिन्दु पर कोई निर्दिष्ट प्रावधान नहीं है । इस दृष्टि से राजस्व परिषद ने अपने परिपत्र दिनांकित 30 जून 1975 में निर्देशित किया था कि वसूली प्रमाण-पत्रों में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए कि संग्रह प्रभार बकायादारों द्वारा वहन किया जाना है अथवा उनको जारी करने वाले विभाग/निकाय द्वारा । वसूली प्रमाण-पत्र में ऐसे किसी संकेत के न होने की दशा में परिषद द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि संग्रह प्रभार घटाने के बाद केवल निवल धनराशि का भुगतान संबंधित विभाग/निकाय को किया जाये ।

जनपद आजमगढ़ तथा जौनपुर के दो तहसील कार्यालयों में 1983-84 और 1985-86 वर्षों के दौरान कुछ संगठनों के देयों की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में की गयी किन्तु संग्रह प्रभार या तो वसूल नहीं किये गये या

कम वसूल किये गये । संग्रह प्रभार के रूप में प्राप्य 55,763 रुपयों के समक्ष केवल 9,133 रुपयों की वसूली की गयी । इस प्रकार संग्रह प्रभार के 46,630 रुपये वसूल होने से रह गये ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (सितम्बर 1985 तथा नवम्बर 1985) विभाग ने बताया कि संबंधित संगठनों से देय संग्रह प्रभार की वसूली के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे । आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला नवम्बर 1985 एवं जनवरी 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

7.4. पट्टे की धनराशि का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश गांव सभा तथा भूमि प्रबन्धक समिति मैनुअल के प्रस्तर 62 के अनुसार मत्स्य आखेट के पट्टे नीलामी के आधार पर सर्वोच्च बोली बोलने वाले को एक वर्ष तक के लिये इस शर्त पर दिये जाते हैं कि नीलामी की स्वीकृति के तुरन्त बाद एक चौथाई धनराशि तथा शेष तीन चौथाई धनराशि तीन त्रैमासिक किस्तों में जमा की जायेगी । किस्तों के भुगतान में चूक किये जाने पर पट्टे को निरस्त करना तथा पुनः नीलाम किया जाना सम्भावित रहेगा ।

वर्ष 1976-77 से 1984-85 के बीच बाराबंकी जनपद की दो तहसीलों में (हैदरगढ़ एवं फतेहपुर) मत्स्य आखेटों के 91 पट्टे (फतेहपुर तहसील के 1984-85 के पट्टों को छोड़कर) सर्वोच्च बोली बोलने वालों को कुल मिलाकर 17.20 लाख रुपयों के लिये दिये गये थे । पट्टेदारों ने पट्टे प्राप्त करने हेतु पहली किस्त का भुगतान तो कर दिया किन्तु बाकी तीन किस्तों के भुगतान में प्रायः चूक की । यद्यपि पट्टेदारों ने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया था तथापि विभाग ने उनको मत्स्य आखेट के अधिकार का पूरे वर्ष तक उपभोग करने दिया । पट्टों की अवशेष धनराशि की वसूली के लिये भी तहसील हैदरगढ़ के पट्टेदारों से दिसम्बर 1984 तक एवं तहसील फतेहपुर के पट्टेदारों से अप्रैल 1985 तक, कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी । इसके फलस्वरूप 31 मार्च 1985 को पट्टेदारों से वर्ष 1976-77 से 1984-85 तक की अवधि से संबंधित 11,50,578 रुपयों की धनराशि बकाया रह गयी ।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि हैदरगढ़ तहसील में जब कि 11 मामलों में 45,000 रुपये के मांग-पत्र (1979-80 तथा 1983-84 के देय) जनवरी 1985 में जारी किये गये, दो मामलों में जिसमें 71,250 रुपये निहित थे (11,250 रुपये 1977-78 से एवं 60,000 रुपये 1983-84 से संबंधित) ग्राम प्रधानों ने सूचित किया कि पट्टेदारों का कोई पता नहीं था ।

लेखापरीक्षा के दिन तक (25 अप्रैल 1985) 1976-77 तथा 1978-79 के छः अन्य मामलों में, जिनमें 23,970 रुपयों की धनराशि निहित थी, नोटिसें भी जारी नहीं की गयी थीं । इन मामलों की आगे की प्रगति तथा फतेहपुर तहसील से संबंधित मामलों में की गयी कार्यवाही का विवरण अपेक्षित है (मार्च 1987) ।

मामला विभाग और सरकार को जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

7.5. मत्स्य आखेट के पट्टों का निष्पादन तथा/अथवा पंजीकरण न किया जाना

भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार पट्टों का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है तथा उस पर निर्धारित दर से फीस देय है । भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू होने के लिये यथा संशोधित) की अनुसूची 1-ख के नियम 35(ख) के प्रावधानों के अनुसार पट्टा धनराशि को अधिलाभ (प्रीमियम) मानते हुए पट्टों पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया जाना होता है ।

जनपद बाराबंकी की दो तहसीलों (फतेहपुर और हैदरगढ़) में 1976-77 और 1984-85 की अवधि के बीच के 86 मामलों में जहां मत्स्य आखेट के अधिकार कुल मिलाकर 13,37,403 रुपयों के लिये प्रदान किये गये थे, पट्टे या तो निष्पादित नहीं किये गये थे और/अथवा उनका पंजीकरण नहीं कराया गया था । इसके अतिरिक्त फतेहगढ़ तहसील में वर्ष 1980-81 तथा 1984-85 के दौरान 3,82,553 रुपये धनराशि के पट्टों का निष्पादन एवं पंजीकरण तो किया गया किन्तु स्टाम्प ड्यूटी कम आरोपित की गई । इन अनियमितताओं के फलस्वरूप रजिस्ट्रेशन फीस के 15,096 रुपयों के वसूल न किये जाने के अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी के 1,20,784 रुपये आरोपित नहीं किये गये/कम आरोपित किये गये ।

मामला विभाग एवं सरकार को जुलाई 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

(ख) विद्युत शुल्क

7.6. लेखापरीक्षा के परिणाम

अप्रैल 1985 से मार्च 1986 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये सहायक विद्युत निरीक्षकों/नियुक्त प्राधिकारियों के लेखों के जांच परीक्षण से

35 मामलों में 23.75 लाख रुपयों के विद्युत शुल्क न लगाये जाने या कम लगाये जाने का पता चला जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	विद्युत शुल्क का भुगतान न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	15	18.21
2.	गलत दरों की प्रयुक्ति से विद्युत शुल्क का कम लगाया जाना	6	5.19
3.	विद्युत अधिष्ठापनों के निरीक्षण शुल्क का वसूल न किया जाना या कम वसूल किया जाना	14	0.35
	योग	35	23.75

कुछ महत्वपूर्ण मामले अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित किये गये हैं ।

7.7. विद्युत शुल्क का न लगाया जाना

उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत किसी उपभोक्ता को बेची गयी ऊर्जा पर विद्युत शुल्क राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर लगता है । अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि विद्युत शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लाइसेन्सधारी अथवा परिषद द्वारा उपभोक्ताओं के कुछ वर्गों को प्रभार मुक्त अथवा रियायती दर पर आपूर्त ऊर्जा, उन्हें उन्हीं दरों पर बेची गयी मानी जायेगी जो दरें उस वर्ग के अन्य उपभोक्ताओं पर लागू होती हैं । सितम्बर 1984 में सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि नियुक्त प्राधिकारियों (रक्षा विभाग) द्वारा सैनिक अधिकारियों को भी रियायती दर पर आपूर्त ऊर्जा के संबंध में उपभुक्त ऊर्जा की प्रभारित दर उसी श्रेणी के अन्य उपभोक्ताओं पर लागू पूर्ण दर को ही माना जायेगा यद्यपि सामान्य दर एवं रियायती दर के बीच का अन्तर रक्षा विभाग द्वारा वहन किया जा रहा था ।

मेरठ में दो नियुक्त प्राधिकारियों द्वारा कुछ श्रेणी के रक्षा सेवा कर्मचारियों के घरेलू प्रयोजनों के लिए निर्धारित मानक के अनुसार प्रभार मुक्त ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही थी । किन्तु इस तरह की उपभोग की गयी ऊर्जा पर कोई विद्युत शुल्क नहीं लगाया गया । घरेलू प्रयोजनों के लिए आपूर्त

विद्युत् के शुल्क की दर 4 पैसे प्रति यूनिट है (पहली अक्टूबर 1984 से लागू)। 1985 के दौरान रक्षा सेवा कर्मचारियों को प्रभार मुक्त ऊर्जा की वार्षिक आपूर्ति लगभग 27.34 लाख यूनिट निकाली गयी तथा मात्र एक वर्ष में आरोपित न किये गये विद्युत शुल्क की राशि 1.10 लाख रुपये हुई ।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किये जाने पर (जनवरी 1986) मुख्य विद्युत् निरीक्षक, उत्तर प्रदेश ने प्रभार मुक्त आपूर्ति ऊर्जा के संबंध में रक्षा विभाग के सभी "नियुक्त प्राधिकारियों" को सामान्य उपभोक्ताओं पर लागू दर पर विद्युत शुल्क वसूल करने के लिए एक परिपत्र जारी किया (अगस्त 1986) । 1985 के पूर्व की अवधि हेतु आरोपित की जाने वाली विद्युत शुल्क की धनराशि विभाग द्वारा अभी भी निर्धारित एवं वसूल की जानी थी (जनवरी 1987) । आगे की रिपोर्ट प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

मामला सरकार को अगस्त 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

7.8. औद्योगिक प्रयोजनों अथवा प्रेरक शक्ति (मोटिव पावर) हेतु उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत शुल्क का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के साथ पठित राज्य सरकार की दिनांक पहली अगस्त 1985 की अधिसूचना के अन्तर्गत औद्योगिक अथवा प्रेरक शक्ति प्रयोजनों के हेतु उपभुक्त ऊर्जा पर, जहां उपभोक्ता के परिसर में अनुबंधित लोड 75 किलो वाट या 100 बी0 एच0 पी0 से अधिक हो 6 पैसे प्रति यूनिट की दर से तथा जहां अनुबंधित भार इसके बराबर या इससे कम होगा, 4 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत शुल्क देय होगा ।

गोरखपुर में एक उपभोक्ता के परिसरों में अनुबंधित लोड 75 किलो वाट से अधिक था और उसने औद्योगिक प्रयोजनों हेतु माह अगस्त 1985 एवं सितम्बर 1985 में 548.12 लाख यूनिट ऊर्जा का उपभोग किया । किन्तु विद्युत शुल्क 6 पैसे प्रति यूनिट के बजाय 4 पैसे प्रति यूनिट की दर से वसूल किया गया जिसके कारण 10.96 लाख रुपये का विद्युत शुल्क कम आरोपित हुआ ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 1985) विभाग ने बताया (अगस्त 1986) कि 10.96 लाख रुपये की सम्पूर्ण देय धनराशि जून 1986 में वसूल कर ली गयी ।

मामला सरकार को दिसम्बर 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

7.9. औद्योगिक अथवा प्रेरक शक्ति (मोटिव पावर) से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपभुक्त ऊर्जा पर विद्युत शुल्क का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के अन्तर्गत किसी लाइसेन्सधारी या नियुक्त प्राधिकारी द्वारा किसी उपभोक्ता को बेची गयी ऊर्जा पर विद्युत शुल्क आपूर्तित ऊर्जा हेतु प्रभारित दर के आधार पर आरोपित किया जाता है और राज्य सरकार को भुगतान किया जाता है। पहली अक्टूबर 1984 से शुल्क की दरें (औद्योगिक अथवा प्रेरक शक्ति को छोड़कर अन्य प्रयोजनों हेतु) निम्नवत् पुनरीक्षित की गयी थीं।

आपूर्तित ऊर्जा हेतु प्रभारित दर	विद्युत शुल्क की दर
24 पैसे प्रति यूनिट से अधिक किन्तु 38 पैसे प्रति यूनिट से अनधिक	8 पैसे प्रति यूनिट
38 पैसे प्रति यूनिट से अधिक	4 पैसे प्रति यूनिट

मेरठ में दो नियुक्त प्राधिकारियों ने अक्टूबर 1984 से अगस्त 1985 की अवधि के दौरान क्रमशः 32 पैसे और 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से आपूर्तित ऊर्जा पर 8 पैसे और 4 पैसे प्रति यूनिट की दरों के बजाय 6 पैसे और 2 पैसे प्रति यूनिट की दरों पर विद्युत शुल्क वसूल किया और जमा किया। इसी प्रकार गोरखपुर में नियुक्त प्राधिकारी ने अक्टूबर 1984 से अक्टूबर 1985 की अवधि के दौरान 60 पैसे प्रति यूनिट की दर से आपूर्तित ऊर्जा पर 4 पैसे प्रति यूनिट के बजाय 2 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत शुल्क वसूल किया और जमा किया। इस प्रकार पुनरीक्षित दर के न लगाये जाने के फलस्वरूप अक्टूबर 1984 और अक्टूबर 1985 के मध्य विभिन्न अवधियों हेतु 65,453 रुपये के विद्युत शुल्क की कम वसूली हुयी।

विभाग और सरकार को मामला अक्टूबर 1985 और जून 1986 के बीच प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987)।

अध्याय 8

वन विभाग

वन प्राप्तियां

8.1. सामान्य

31 मार्च 1985 को उत्तर प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्र (2.94 लाख वर्ग किलोमीटर) का लगभग 17.40 प्रतिशत (0.51 लाख वर्ग किलोमीटर) वन के अन्तर्गत था । विभिन्न प्राधिकारियों के अन्तर्गत वन क्षेत्र का विभाजन निम्नवत् था :

	वन क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	कुल भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशतता
1. वन विभाग के नियंत्रण में क्षेत्र	40,689.53	13.81
2. वन विभाग के नियंत्रण के बाहर का क्षेत्र		
(i) सिविल सोयम वनों के अधीन क्षेत्र	8,013.63	2.72
(ii) पंचायत वनों के अधीन क्षेत्र	2,368.00	0.81
(iii) निजी वनों के अधीन क्षेत्र	158.88	0.05
(iv) नगरपालिका, छावनी तथा अन्य वनों के अधीन क्षेत्र	38.84	0.01
योग	51,268.88	17.40

(स्रोत : विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना)

नोट—वर्ष 1985-86 के आंकड़े विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे ।

8.2. वन प्राप्तियों की गति-विधि

वन राजस्व मुख्य रूप से प्रधान तथा गौण वन उपजों की बिक्री से प्राप्त होता है। प्रधान वन उपज में इमारती लकड़ी तथा ईंधन आते हैं जबकि गौण वन उपज में लीसा, तेंदू के पत्ते, कत्था, घास, बांस, गोलाश्म (बोल्डर), बजरी, पत्थर इत्यादि आते हैं।

प्रधान वन उपज (इमारती लकड़ी) के उत्पादन तथा मूल्य के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	उत्पादन (लाख घनमीटर में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1983-84	4.48	40,35.68
1984-85	4.45	43,00.00
1985-86	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है

नोट : 1984-85 के आंकड़े विभाग द्वारा अनन्तिम बताये गये हैं तथा 1985-86 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

8.3. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1985-86 के दौरान लेखापरीक्षा में किये गये प्रभागीय अभिलेखों के जांच परीक्षण में 12,19.35 लाख रुपयों के निहित राजस्व के 159 मामलों में अनेक अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1. अर्थदण्डों का न लगाया जाना/कम लगाया जाना	12	51.49
2. लीसा निकालने में अनियमिततायें	11	67.39
3. तेंदू-पत्तों के संग्रह तथा विक्रय में अनियमिततायें	3	85.04
4. रायल्टी का गलत निर्धारण	19	3,24.26
5. आरा मिलों का पंजीकरण न किये जाने के कारण राजस्व की हानि	19	14.83

6.	स्टाम्प शुल्क के न लगाये जाने के कारण राजस्व की हानि	15	24.09
7.	विविध	80	6,52.25
	योग	159	12,19.35

कुछ रुचिकर प्रकरणों का उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

8.4. बांसों का समुयोजन (एक्सप्लायटेशन)

8.4.1. भूमिका

उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक और रोपित वनों के रूप में उपलब्ध बांस, जो एक तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति है, शिवालिक (देहरादून और बिजनौर) तथा विन्ध्यम (मिर्जापुर) के पर्वतीय पठारों में बहुतायत से पाया जाता है और राज्य के कुल वन क्षेत्र (40.69 लाख हेक्टेयर) के 11 प्रतिशत (4.47 लाख हेक्टेयर) क्षेत्र को आच्छादित किये हुए है ।

8.4.2. वृक्षारोपण (प्लानटेशन)

इस राज्य में बांस का वृक्षारोपण पहले पहल तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) में, केन्द्र द्वारा चलाई गई परियोजना के रूप में, मुख्यतया दक्षिणी वृत में शुरू किया गया था और उसके बाद कागज तथा रेयन उद्योगों के लिये कच्चे माल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से "तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों" के वृक्षारोपण हेतु 1978 तक राज्य की योजनागत परियोजनाओं के अन्तर्गत चलता रहा । 1978-79 के बाद कोई प्रमुख वृक्षारोपण कार्यक्रम चालू नहीं किया गया । जहां तक प्राकृतिक बांस के क्षेत्रों का संबंध है, ये निम्न कोटि के हैं और बांस की कटाई पर नियंत्रण रखने में असफलता तथा अत्यधिक जीवीय (बायोटिक) दबाव के कारण तेजी से क्षीण होते जा रहे हैं ।

दक्षिणी वृत्त के सभी पांचों प्रभागों के अभिलेखों के जांच परीक्षण (मई व जून 1986) से तथा विभाग के झांसी, बांदा और लैंसडाउन प्रभागों द्वारा दी गयी (सितम्बर व अक्टूबर 1986) सूचनाओं से, जिनमें कि राज्य में बांस के कुल उत्पादन का 86 प्रतिशत भाग समाविष्ट हो जाता है, निम्नलिखित बातों का पता चला ।

8.4.3. लक्ष्य एवं उपलब्धियां

1980-81 से 1984-85 के पांच वर्षों की अवधि के दौरान लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्न प्रकार थीं :

वर्ष	पातन (काट गिराने) हेतु निर्देशित क्षेत्र		वस्तुतः समुयोजित क्षेत्र	कमी की प्रतिशतता		बांस की उपज (लाख की संख्या में)	राजस्व (लाख रुपयों में)
	कार्यकारी योजना के अनुसार	वस्तुतः निर्दिष्ट क्षेत्र		काट गिराने हेतु क्षेत्र के निर्देशन में	वास्तविक समुयोजन में		
		(हेक्टेयरों में)					
1	2	3	4	5	6	7	8
1980–81	42,085	31,141	23,918	26	23	80.02	28.38
1981–82	62,219	38,258	24,901	38	36	91.81	41.41
योग	1,04,304	69,399	48,819	33	29	171.83	69.79
1982–83	59,754	36,876	21,889	38	40	59.84	20.84
1983–84	56,653	40,932	25,863	26	36	82.94	23.80
1984–85	65,086	47,880	36,203	35	24	67.57	19.04
सर्व योग	2,85,797	1,95,087	1,32,774	33	33	382.18	133.47

(i) इस प्रकार, 90,710 हेक्टेयर का क्षेत्र (दक्षिणी वृत्त में 46,137 हेक्टेयर तथा तीन अन्य प्रभागों में 44,573 हेक्टेयर) काट गिराने के लिये उन वर्षों में जिनमें वह होना था निर्दिष्ट नहीं किया गया जो लक्ष्य वाले क्षेत्र में 33 प्रतिशत की कमी दर्शाता था। जबकि 16,812 हेक्टेयर (आंवरा तथा रेणूकूट) क्षेत्र के सम्बन्ध में कार्यकारी योजना न अपनाये जाने के लिये डेविएशन स्टेटमेन्ट भी अरण्यपाल को अनुमोदनार्थ नहीं भेजे गये थे, 29,325 हेक्टेयर (पूर्व, पश्चिम मिर्जापुर तथा वाराणसी) क्षेत्र, जिसके लिये डेविएशन स्टेटमेन्ट भेजे जा चुके थे, अनुमोदन प्रतीक्षित था (मार्च 1987)। प्राकृतिक बांस के क्षेत्रों में कमी वाणिज्यिक तौर पर समुयोजन योग्य बांसों के कम पाये जाने के कारण बतायी गयी तथा रोपित बांसों के संबंध में वृक्षारोपण की असफलता और अत्यधिक चराई के कारण बतायी गई थी। अरण्यपाल, दक्षिणी वृत्त, इलाहाबाद ने वृक्षारोपण की भारी असफलता का कारण बांस के बीजों का निम्न कोटि का होना बताया (नवम्बर 1984)। उपरोक्त पांच वर्षों में रेणूकूट तथा पश्चिम मिर्जापुर प्रभागों में कमियां सबसे अधिक प्रभावकारी थीं जहां अनिर्दिष्ट क्षेत्र 13,751 तथा 20,248 हेक्टेयर आता था, जो कुल लक्षित क्षेत्र का 86 प्रतिशत और 45 प्रतिशत था।

(ii) दक्षिणी वृत्त में 1984-85 तक के पांच वर्षों के दौरान काट गिराने (पातन) हेतु निर्दिष्ट किये गये क्षेत्र के समक्ष वस्तुतः समुपयोजित क्षेत्र में कमी 51 प्रतिशत थी; 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान यह कमी 27 प्रतिशत थी और 1982-83 से 1984-85 में 64 प्रतिशत। 1980 से 1982 की अवधि हेतु समुयोजन में कमी मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से थी:

(1) पश्चिम मिर्जापुर में 19 बांसों के लाट (3,451 हेक्टेयर) पर इस कारण कार्य नहीं हुआ था कि—

(क) 40 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर अरण्यपाल द्वारा 9 लाटों (मूल्य 1.04 लाख रुपये) की नीलामी का अनुमोदन नहीं किया गया जिसके फलस्वरुप ठेकेदार मुकर गये।

(ख) एक समिति को आबंटन हेतु 5 लाटों (मूल्य 0.69 लाख रुपये) को नीलामी से अलग कर दिया गया था और समिति द्वारा कार्य नही किया गया।

(ग) 5 लाटों के लिये कोई बोली नहीं लगाई गई थी।

(2) इसी प्रकार, बोलियों के न लगाये जाने के कारण पूर्व मिर्जापुर और वाराणसी में 3,950 हेक्टेयर पर कार्य नहीं हो सका।

(iii) वर्ष 1982-83 से बांस के लाटों को काट गिराने का कार्य उत्तर प्रदेश वन निगम को सौंप दिया गया था और 1982-83 से 1984-85 की अवधि के दौरान हुई कुल कमी (दक्षिणी वृत्त में 64 प्रतिशत) में से सबसे अधिक प्रभावित प्रभाग पश्चिम मिर्जापुर (77 प्रतिशत), रेणूकूट (1982-83, 1983-84 और 1984-85 में 100 प्रतिशत) तथा वाराणसी (1982-83 में 94 प्रतिशत और 1983-84 व 1984-85 में 100 प्रतिशत) थे। दक्षिणी वृत्त में समुयोजन कार्य में क्रम से कमी होते जाने के कारण यह बताया जाता है कि ज्वाइन्ट रायल्टी फिक्सेशन कमेटी ने उत्तर प्रदेश वन निगम पर जोर दिया है कि सभी बांस के लाटों का समुयोजन किया जाये और उनको घने होने से बचाने के लिये उन पर संवर्धन कार्य किया जाये।

(iv) यह भी देखा गया कि वर्ष 1982-83 से, जब से उत्तर प्रदेश वन निगम ने बांसों के काट गिराने का कार्य हाथ में लिया है दक्षिणी वृत्त में बांस का उत्पादन 1981-82 में 66.60 लाख की संख्या से घटकर 1984-85 में 26.88 लाख रह गया (कमी 60 प्रतिशत थी)।

8.4.4. **वन-वर्धन कार्य**

समस्त प्रभागों की कार्यकारी योजनाओं में वैज्ञानिक आधार पर निरन्तर वर्धन प्रक्रियाओं और व्यवस्था के कार्य पर विशेष बल दिया गया था ताकि (i) पुराने कल्लों* (कल्मस) के सघन होने और सूख जाने के पूर्व समय से हटा दिये जायें और (ii) यह सुनिश्चित किया जा सके कि यथेष्ट विकसित कल्ले मिलते रहें। यह कार्य समुयोजन के पश्चात् तुरन्त किया जाता है और इसमें मिट्टी थोपना और सघनता को दूर करना शामिल है।

दक्षिणी वृत्त में 1982-83 से 1984-85 के दौरान उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा काटे गये वन क्षेत्र के समक्ष वनवर्धन प्रक्रियाएं अपनाये जाने वाले क्षेत्र जैसा कि नीचे दिया गया है, वनवर्धन प्रक्रिया में 57 प्रतिशत की कमी दर्शित करते हैं:

वर्ष	बांसों को काट गिराया गया	वन-वर्धन किया गया
	(हेक्टेयर में)	
1982-83	7761	3905
1983-84	4868	1659
1984-85	6780	2810
	19409	8374

*बांस प्रत्येक वर्ष विगत वर्षों के प्रकन्दों से कल्ले तैयार करते हैं। कल्ले एक झुरमुट बनाते हैं। एक झुरमुट व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है।

वन-वर्धन प्रक्रियाओं में कमी भविष्य में बांसों के उत्पादन को सीधे प्रभावित करती है और फलतः राजस्व में कमी होती है ।

वर्ष 1981-82 तक यह कार्य स्वयं विभाग द्वारा किया जाता था । 1982-83 से बांसों के काट गिराये जाने का कार्य उत्तर प्रदेश वन निगम को सौंप दिया गया, जिसे बांस के कल्लों में वर्धन-प्रक्रिया कार्य भी करना था और इसकी लागत देय रायल्टी से पुनः समायोजित कर दी जानी थी (रायल्टी फिक्सेशन कमेटी के नोट दिनांकित 23-2-1983, 6-10-1983 तथा 20-11-1984), परन्तु इस मामले में चूक किये जाने पर किसी दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान नहीं किया गया था ।

8.4.5. मांगों को प्रस्तुत न किया जाना

विभाग के विक्रय नियमों के अनुसार गौण वन उपज हेतु देय राशि, उस ठेकेदार से मांगी एवं वसूल की जानी चाहिये जिसे समुयोजन हेतु लाट आवंटित किये जाते हैं भले ही उन पर कार्य किया गया हो अथवा नहीं । वर्ष 1982-83 से उत्तर प्रदेश वन निगम को आवंटित (दक्षिणी वृत्त में) लाटों के सम्बन्ध में मांगों की स्थिति निम्नवत् थी :

वर्ष	कुल प्रस्तुत की जाने वाली मांग		वस्तुतः प्रस्तुत की गई मांगें		प्रस्तुत न की गई मांग	
	ढेरों की संख्या	विक्रय मूल्य (लाख रुपयों में)	ढेरों की संख्या	विक्रय मूल्य (लाख रुपयों में)	ढेरों की संख्या	विक्रय मूल्य (लाख रुपयों में)
1982–83	121	43.81	27	14.41	94	29.40
1983–84	105	19.75	29	13.00	76	6.75
1984–85	83	14.50	28	5.50	55	9.00
	309	78.06	84	32.91	225	45.15

प्रस्तुत की गई मांग उन लाटों पर आधारित थी जिन पर कार्य वस्तुतः किया गया था न कि निगम को आबंटित कुल लाटों पर । विभाग द्वारा शेष लाटों पर अन्य माध्यमों के द्वारा कार्य करवाये जाने के कोई प्रयत्न नहीं किये गये ।

8.4.6. अन्य रुचिकर मामले

(i) बांसों का अवैध रूप से काट गिराया जाना एवं अनधिकृत निर्यात

(क) वन प्रभागों, ओबरा (जून 1985 तथा मई 1986 में), वाराणसी (मई 1986 में), पूर्व मिर्जापुर (जून 1986) में तथा लैन्सडाउन (अक्टूबर 1985 में), के जांच परीक्षण के दौरान यह देखा गया कि 1982-83 से 1985-86 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश वन निगम ने अवैध रूप से 13.44 लाख रुपये मूल्य के बांस काट गिराये थे । इस धनराशि की वसूली हेतु मांगें अप्रैल 1983 और मई 1985 के बीच प्रस्तुत की गई थीं परन्तु निगम से अभी तक (मार्च 1987) कोई वसूली नहीं की गई थी ।

लैन्सडाउन वन प्रभाग के सम्बन्ध में मुख्य अरण्यपाल (पर्वतीय) ने अक्टूबर 1984 से मई 1985 की अवधि के दौरान अवैध रूप से काट गिराये गये बांस (मूल्य 9.55 लाख रुपये) के लिये पूर्ण रूप से निगम को जिम्मेवार ठहराया था (फरवरी 1985) । मामला अभी भी लिखा पढ़ी के अन्तर्गत चल रहा बताया गया (जुलाई 1986) है और सरकारी स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ।

(ख) ओबरा वन प्रभाग में 1983-84 के चार बांस के लाट उत्तर प्रदेश वन निगम को समुपयोजन हेतु फरवरी 1983 और जुलाई 1984 के बीच आबंटित किये गये थे । इनमें अवैध रूप से बांसों को काट गिराया गया था परन्तु संबंधित रेंज अधिकारी द्वारा इसकी सूचना नहीं दी गई । मौखिक शिकायत पर एक जांच प्रारम्भ कर दी गई (जुलाई 1984) । जांच रिपोर्ट (12 अक्टूबर 1984) के अनुसार निगम द्वारा 9.19 लाख बांस निर्यात किये गये थे परन्तु रवन्नाओं× के अनुसार निगम द्वारा केवल 6.98 लाख बांस निर्यात किये गये दिखाये गये थे । इस प्रकार, 0.92 लाख रुपये मूल्य के 2.21 लाख बांस निगम द्वारा अनधिकृत रूप से निर्यात किये गये । रेंज अधिकारी तथा अन्य संबंधित कर्मचारी निलम्बित कर दिये गये (अक्टूबर 1984) परन्तु उत्तर प्रदेश वन निगम के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस प्रकार 1982-83 से निगम को यह कार्य सौंपकर बांस के समुपयोजन में अनियमितताओं को समाप्त करने का उद्देश्य ही विफल हो गया । आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

×रवन्ना एक प्रलेख है जो मार्गस्थ वन उपज के साथ में होना अनिवार्य है ।

(ii) उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा रायल्टी में एक पक्षीय कटौती

रायल्टी फिक्सेशन कमेटी द्वारा यह निर्णय (फरवरी 1983) लिया गया था कि वर्ष 1982-83 हेतु कालागढ़ वन प्रभाग के बांस के लाटों के संबंध में उत्तर प्रदेश वन निगम से 12.10 रुपये प्रति कोड़ी (बीस) की दर से रायल्टी वसूल की जानी चाहिये । तद्नुसार 41.92 लाख रुपयों की मांग प्रस्तुत की गई (मार्च 1983) थी परन्तु निगम ने एक पक्षीय रूप से उसे कम करके 14 लाख रुपये कर दिया और मार्च 1983 तथा सितम्बर 1983 के बीच उसे जमा कर दिया ।

प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया (जून 1984) कि किन परि-स्थितियों में निगम द्वारा मांग कम कर दी गई यह पता नहीं था तथा मामला विवादग्रस्त है ।

(iii) रायल्टी का गलत निर्धारण

बुन्देलखण्ड वृत्त में बांस के लाटों के लिये रायल्टी फिक्सेशन कमेटी द्वारा यह निर्णय (6 अक्टूबर 1983) लिया गया था कि वर्ष 1982-83 हेतु रायल्टी विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रति हेक्टेयर औसत रायल्टी के आधार पर निश्चित की जानी चाहिये ।

बुन्देलखण्ड वृत्त के बांदा वन प्रभाग में 15 लाट (क्षेत्रफल 11,341 हेक्टेयर) तथा 21 लाट (क्षेत्रफल 15,606 हेक्टेयर) क्रमश: 1979-80 और 1981-82 में काट गिराये जाने के लिये निर्देशित किये गये थे (सूखे के कारण 1980-81 के दौरान कोई क्षेत्र अंकित नहीं किया गया) । लेखापरीक्षा में यह देखा गया (जनवरी 1986) कि इन वर्षों में 5 लाट (क्षेत्रफल 4,039 हेक्टेयर) और 17 लाट (क्षेत्रफल 1,287 हेक्टेयर) क्रमश: 3.25 लाख रुपये व 10.45 लाख रुपये हेतु बेचे गये थे । उपरोक्त निर्णय के उल्लंघन में 1982-83 हेतु रायल्टी की परिगणना करते समय 1979-80 तथा 1981-82 के कुल निर्देशित क्षेत्रों को ले लिया गया और 1982-83 में वसूलीयोग्य रायल्टी 3.74 लाख रुपये निकाली गई, जबकि लिये गये निर्णय (6 अक्टूबर 1983) के अनुसार वसूलीयोग्य रायल्टी वस्तुत: 6.26 लाख रुपये बनती थी । इस प्रकार, अनुदेशों के अननुपालन के कारण 2.52 लाख रुपये कम वसूल किये गये । प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया (जनवरी 1986) कि मामले की छानबीन की जा रही है । प्रगति की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

उपरोक्त मामले जुलाई 1986 में सरकार की जानकारी में लाये गये थे; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

8.5. उत्पादन के गलत आकलन के कारण राजस्व की हानि

अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (व्यवस्था) द्वारा निर्धारित (जून 1978) उत्पादन घटकों के आधार पर उत्पादन आकलन तैयार किये जाते हैं और उत्तर प्रदेश वन निगम से वसूल की जाने वाली रायल्टी इन्हीं आकलनों पर निश्चित की जाती है।

(क) दुधवा नेशनल पार्क में 6 खैर के लाट 1,211 रुपये प्रति घन मीटर की रायल्टी की दर से निगम को 1982-83 में समुयोजन हेतु आबंटित किये गये थे। प्रभाग ने इन लाटों में 125.030 घन मीटर लकड़ी के उत्पादन का अनुमान लगाया था और इस आधार पर 1.51 लाख रुपयों की रायल्टी निश्चित की गई थी। परन्तु निर्धारित उत्पादन घटकों के अनुसार अनुमानित उत्पादन 271.314 घन मीटर बनता था जिसके लिये 3.28 लाख रुपये की रायल्टी वसूली योग्य होती थी। उत्पादन के गलत आकलन के कारण 1.77 लाख रुपयों के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में चूक के इंगित किये जाने पर (अगस्त 1985) निदेशक, दुधवा नेशनल पार्क ने एक नई मांग प्रस्तुत करने का वचन दिया (अगस्त 1985)। मांग के प्रस्तुत किये जाने और उसकी वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

(ख) इसी प्रकार, उत्तर खीरी प्रभाग में निगम को 1981-82 में समुयोजन हेतु खैर के लाट 1,053 रुपये प्रति घन मीटर और 1982-83 व 1983-84 में 1,337 रुपये प्रति घन मीटर की दर से आबंटित किये गये थे। कुल उत्पादन 514 घन मीटर अनुमानित किया गया था जिसके आधार पर रायल्टी 6.40 लाख रुपये निश्चित की गई। परन्तु निर्धारित उत्पादन-घटकों के अनुसार अनुमानित उत्पादन 1,215 घन मीटर बनता था। इस प्रकार, उत्पादन के कम आकलन के फलस्वरूप 8.37 लाख रुपयों के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (अगस्त 1985), प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया (अगस्त 1985) कि अभिलेखों के पूर्ण कर लिये जाने के पश्चात् निगम से धनराशि की वसूली कर ली जायेगी। वसूली की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है (मार्च 1987)।

सरकार को मामले फरवरी 1986 में प्रतिवेदित किये गये। सरकार ने बताया (फरवरी 1987) कि निगम से वसूली कर ली जायेगी।

8.6. रायल्टी का कम वसूल किया जाना

राज्य सरकार द्वारा 19 अक्टूबर 1984 से पत्थर (गोलाश्म), बालू और चूने के पत्थर हेतु रायल्टी की दरें क्रमशः 2 रुपये, 2.50 रुपये तथा 6.30 रुपये प्रति घनमीटर से संशोधित करके 4 रुपये, 3.50 रुपये तथा 8.10 रुपये कर दी गई थीं ।

कुमाऊं विकास निगम तथा गोला सहकारी श्रम सम्विदा, हल्द्वानी, जिन्हें पत्थर-गोलाश्म, बालू और चूने के पत्थर के लाटों के पट्टे जुलाई 1980 में पांच वर्षों के लिये दिये गये थे 19 अक्टूबर 1984 और 30 जून 1985 के बीच पूर्व तराई वन प्रभाग के वन क्षेत्र से 8,46,926 घनमीटर खनिज (पत्थर के गोलाश्म : 2,12,640 घनमीटर, बालू : 6,32,307 घनमीटर और चूने के पत्थर : 1,979 घनमीटर) निर्यात किये । आबंटन आदेशों में यह शर्त थी कि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित रायल्टी की दरें पट्टेदारों पर लागू होंगी । फिर भी यह देखने में आया (नवम्बर 1985) कि उक्त अवधि के दौरान लागू होने वाली पुनरीक्षित दरों पर वसूली योग्य 30.79 लाख रुपयों के समक्ष 20.18 लाख रुपयों की रायल्टी पूर्व पुनरीक्षित दरों पर वसूल की गयी । रायल्टी की राशि में अन्तर (10.61 लाख रुपये) की मांग लेखापरीक्षा की तिथि (नवम्बर 1985) तक नहीं की गयी थी ।

सरकार ने जिसे मामला अप्रैल 1986 में सूचित किया गया था, बताया (फरवरी 1987) कि विभागीय अधिकारियों द्वारा आदेशों के विलम्ब से प्राप्ति के कारण बढ़ी हुई दरों पर रायल्टी की वसूली प्रभावी तिथि से नहीं की जा सकी । आगे की प्रगति की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

8.7. साल-बीजों का संग्रह न किये जाने के कारण राजस्व की हानि

वर्ष 1981, 1982 और 1983 की फसलों के लिये 7 वन प्रभागों में मार्च 1981 में आमंत्रित निविदाओं के आधार पर साल बीजों के संग्रह हेतु ठेके उच्चतम निविदादाताओं को 18.03 लाख रुपयों की वार्षिक रायल्टी पर दिये गये थे । अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार वार्षिक रायल्टी का 50 प्रतिशत 15 अप्रैल को अथवा कार्य प्रारम्भ किये जाने के पूर्व तथा शेष 50 प्रतिशत 30 जून या निर्यात की तिथि तक, जो भी पहले हो, देय था ।

फसल वर्ष 1982 तक ठेकेदारों ने वार्षिक रायल्टी का भुगतान करने के पश्चात् 7 प्रभागों में साल के बीज संग्रह किये । सचिव, वन विभाग की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति ने फसल वर्ष 1983 हेतु इस तथ्य के बावजूद कि वर्तमान अनुबंधों में 1983 का फसल मौसम भी शामिल था, साल बीजों का

संग्रह उत्तर प्रदेश वन निगम को आबंटित करने का निर्णय किया (जून 1982) ।

चार प्रभागों के वर्तमान ठेकेदारों ने 1983 फसल की पहली किस्त के प्रति 8.04 लाख रुपये 15 अप्रैल 1983 के पूर्व जमा कर दिये थे । शेष तीन प्रभागों के ठेकेदारों ने पहली किस्त जमा नहीं की थी; जून 1982 के सरकारी निर्णय को देखते हुए किसी भी ठेकेदार को कार्य आदेश जारी नहीं किया गया ।

उत्तर प्रदेश वन निगम से भी कार्य अपने हाथ में लेने के लिये नहीं कहा गया । अरण्यपाल, समुयोजन वृत्त द्वारा अप्रैल तथा मई 1983 में संदर्भ किये जाने पर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया (12 मई 1983) कि उन ठेकेदारों को जिन्होंने रायल्टी के भुगतान में चूक नहीं की है 1983 फसल के लिये साल बीज संग्रह करने दिया जाये । तदनुसार, 4 प्रभागों में ठेकेदारों से 1983 फसल वर्ष हेतु शेष देय जमा करके कार्य शुरू करने को कहा गया (17 मई 1983) । परन्तु उनमें से कोई भी कार्य आदेश लेने के लिये उपस्थित नहीं हुआ । साल बीजों के संग्रह हेतु कोई अन्य व्यवस्था भी नहीं की गई । इस प्रकार, शीर्ष समिति के निर्णय के कारण और उसके पुनरीक्षण में आवश्यकता से अधिक समय लग जाने के कारण पिछले ठेकेदार द्वारा जमा की गई 8.04 लाख रुपयों की पहली किस्त और 5.07 लाख रुपयों की प्रत्याभूति को समायोजित करने के पश्चात् 5.68 लाख रुपयों के निवल राजस्व (रायल्टी : 4.92 लाख रुपये, विलम्ब शुल्क : 0.12 लाख रुपये और बिक्री-कर : 0.64 लाख रुपये) की हानि हुई । ठेकेदारों से धनराशि वसूल करने के लिये 5.27 लाख रुपयों के वसूली प्रमाण-पत्र अगस्त 1983 और दिसम्बर 1983 के बीच जारी किये गये थे परन्तु अभी तक (दिसम्बर 1986) कोई वसूली नहीं की गई ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (अगस्त 1983 और अगस्त 1984 के बीच), मुख्य अरण्यपाल (नियोजन) ने सूचित किया (मई 1985) कि 1983 फसल के साल के बीजों के संग्रह न किये जा सकने का कारण सरकारी स्तर पर निर्णय लेने में विलम्ब था ।

सरकार ने, जिन्हें मामला मई 1986 में सूचित किया गया, बताया (फरवरी 1987) कि साल के बीज, जो संग्रह नहीं किये गये, वन्य जन्तुओं को आहार प्रदान करेंगे और वनों के पुनरुज्जीवन में भी मदद करेंगे ।

8.8. स्थायी आदेशों के अननुपालन के कारण राजस्व की हानि

मुख्य अरण्यपाल के स्थायी आदेशों (जनवरी 1978) के अनुसार गौण वन उपज के लाटों की बिक्री स्थगित नहीं की जानी चाहिये भले ही प्रेषित मूल्य अनुमानित मूल्य से कम हो ।

(i) एक तेंदू पत्ता इकाई के उच्चतम टेन्डर (0.24 लाख रुपये) को स्वीकार किये जाने हेतु की गई, संस्तुति, यद्यपि वह गोपनीय अनुमान (0.37 लाख रुपये) से कम था, अरण्यपाल, दक्षिणी वृत्त द्वारा स्वीकार नहीं की गई तथा उनके आदेशानुसार 17 अप्रैल 1982 और 5 मई 1982 के बीच पुन: टेन्डर प्राप्त किये गये । पुन: टेन्डर प्राप्त किये जाने पर प्राप्त उच्चतम बोली 0.15 लाख रुपये की थी, जिसे भी स्वीकार नहीं किया गया । इस प्रकार इकाई नहीं बिक पाई और अरण्यपाल ने तेंदू पत्तों के विभागीय संग्रह का निर्णय लिया (13 मई 1982) । तद्नुसार, तेंदू पत्तों के 516.905 मानक बोरे 0.42 लाख रुपयों के व्यय पर संग्रह किये गये और एक विभागीय गोदाम में रख दिये गये ।

संग्रहीत पत्ते 23 अगस्त 1982 और 11 नवम्बर 1983 के बीच अनेक बार नीलाम किये गये और प्राप्त बोलियां 0.15 लाख रुपयों और 0.30 लाख रुपयों के बीच आई जो अस्वीकार कर दी गई । रेंज अधिकारी की इस रिपोर्ट (जून 1982) के बावजूद कि वर्षा और खराब मौसम के प्रभाव में पत्तों का ह्रास हो रहा था, बिक्री जनवरी 1984 में की गई जब 0.08 लाख रुपयों की धनराशि प्राप्त हुई । इस प्रकार मुख्य अरण्यपाल के स्थायी आदेशों के अननुपालन तथा विभागीय तौर पर संग्रहीत पत्तों की बिक्री में अत्यधिक विलम्ब के कारण सरकार को 0.58 लाख रुपयों के निबल राजस्व की हानि उठानी पड़ी ।

सरकार ने, जिसे मामला जून 1986 में सूचित किया गया, बताया (फरवरी 1987) कि बोलियां, भविष्य में उच्चतर बोलियां प्राप्त किये जाने की दृष्टि से अस्वीकृत की गई थीं ।

(ii) उत्तर गोरखपुर प्रभाग में 1984-85 मौसम हेतु घास और मछली के सात लाट (अनुमानित मूल्य 1.38 लाख रुपये) अगस्त 1984 और अक्टूबर 1984 के बीच नीलाम किये गये । इन लाटों की उच्चतम बोलियां कुल मिला कर 0.53 लाख रुपये आई जिन्हें अरण्यपाल, पूर्वोत्तर वृत्त द्वारा इस आधार पर अनुमोदित नहीं किया गया कि धनराशि लाटों के अनुमानित मूल्य से बहुत कम थीं । फिर भी, ये लाट पुन: नीलाम नहीं किये गये और कार्य मौसम के अन्त तक बिकने से पड़े रहे । इन लाटों के लिये आई उच्चतम बोलियों का स्वीकार न किये जाने के फलस्वरूप जो कि मुख्य अरण्यपाल के

स्थायी आदेशों का उल्लंघन करता था, 0.53 लाख रुपयों के राजस्व की हानि हुई ।

सरकार ने, जिसे मामला मई 1986 में प्रतिवेदित किया गया, बताया (फरवरी 1987) कि मामले में उत्तरदायित्व निश्चित किया जा रहा है । आगे की सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

8.9. वृक्षों का अवैध रूप से काट गिराया जाना

आरक्षित और सुरक्षित वनों में अचिन्हित वृक्षों का काटा जाना एक वन अपराध है और भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है । उत्तर प्रदेश वन विभाग के मैनुअल के अनुच्छेद 273(ग) के अनुसार, वन रक्षक तथा अन्य मातहतों से अपेक्षित है कि वे वन अपराध के घटित होने के 24 घन्टे के अन्दर उसकी सूचना रेंज अधिकारी को भेज दें जिसे उस पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट के साथ उसे क्रम से तीन दिनों के अन्दर प्रभागीय वन अधिकारी को भेजना होता है ।

एक ग्रामीण के मौखिक शिकायत (मई 1983) के आधार पर, उप प्रभागीय वन अधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी ने रामपुर रेंज की बेलखेड़ा और खाना बीटों में खोजबीन करवाई (मई 1983 से जुलाई 1983)। खोजबीन की रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न व्यास और प्रजातियों के 5,087 वृक्ष (मूल्य 2.48 लाख रुपये) जुलाई 1982 और मई 1983 के बीच अवैध रूप से काट गिराये गये पाये गये थे । परन्तु वन अपराध रजिस्टर में केवल 857 वृक्षों के अवैध रूप से काटे जाने के मामले दर्ज किये गये थे और शेष 4,230 मामलों (मूल्य : 1.59 लाख रुपये) में वन रक्षकों द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी न ही रेंज अधिकारी द्वारा अपनी ओर से उच्चतर प्राधिकारियों को कोई रिपोर्ट की गई । फलतः इन मामलों में अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी जिससे 1.59 लाख रुपयों के राजस्व की हानि हुई ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 1983) प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया कि दो वन रक्षक एवं वनपाल निलम्बित कर दिये गये थे । आगे की सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार ने, जिसे मामले की सूचना जून 1986 में दी गयी थी, बताया (फरवरी 1987) कि विभागीय छानबीन के आधार पर निलंबित कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया था, परन्तु उनकी वेतनवृद्धियां रोक दी गयी थीं ।

8.10. एक ठेकेदार से कम वसूली किया जाना

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1979 तथा अनुबंध की मानक शर्तों के अनुसार गोदाम की सुविधा प्राप्त करने वाले ठेकेदारों से अपेक्षित है कि वे वन क्षेत्र से गोदामों को तेंदू पत्तों के निर्यात के समय तेंदू पत्तों के क्रय-मूल्य का 30 प्रतिशत तथा शेष धनराशि दो किस्तों में 15 जून व 15 अक्टूबर को अथवा इसके पूर्व गोदाम से तेंदू पत्तों के निष्कासन के समय अदा कर दें । इसमें चूक किये जाने के मामले में गोदामों में बचा माल जब्त कर लिया जायेगा और पुनः बेंच दिया जायेगा तथा हानि, यदि कोई हुई हो तो उसे ठेकेदार द्वारा पूरी की जानी होती है । निर्धारित दर पर बिक्री-कर भी वसूलीयोग्य होता है ।

ओबरा वन प्रभाग में एक ठेकेदार को 1982 मौसम में तेंदू पत्तों के संग्रह हेतु कार्य आदेश मई 1982 में 4.28 लाख रुपयों के मूल्य पर दिये गये जिसके लिये उसने एक बांड निष्पादित किया । ठेकेदार ने प्रत्याभूति के प्रति 1.29 लाख रुपये और गोदाम की सुविधा हेतु क्रय मूल्य के 30 प्रतिशत के प्रति 1.28 लाख रुपये जमा किये परन्तु उसने बिक्री-कर के 0.43 लाख रुपये जमा नहीं किये जो क्रय मूल्य के साथ ही देय था । सितम्बर 1982 में ठेकेदार ने 0.50 लाख रुपयों का और भुगतान किया और पहली किस्त की सम्पूर्ण धनराशि (1.50 लाख रुपये), जो 15 जून को देय थी, वसूल किये बिना उसे गोदामों में रखे 4,100 बोरों में से, सितम्बर 1982 तक 1,500 बोरे निकाल लेने दिया गया । चूंकि ठेकेदार शेष 2,600 बोरे दिसम्बर 1982 तक हटाने में असफल रहा, ये जनवरी, फरवरी और मई 1983 में नीलाम किये गये परन्तु कोई बोली लगाने वाले ही नहीं थे । इस बीच, 100 बोरे प्रयोग योग्य नहीं रहे और अन्ततः स्टाक से बट्टेखाते में डाल दिये गये । शेष मात्रा (2,500 बोरे) को पुनः नीलाम करने के बजाय और साथ ही अनुबन्ध के प्रावधानों के विरुद्ध प्रभागीय वन अधिकारी ने 1.29 लाख रुपयों की जमा प्रत्याभूत समायोजित करने के पश्चात, जिला मजिस्ट्रेट को 1.86 लाख रुपयों (विक्रय मूल्य : 1.20 लाख रुपये, बिक्री-कर : 0.43 लाख रुपये तथा विलम्ब शुल्क : 0.23 लाख रुपये) हेतु वसूली प्रमाण-पत्र भेज दिया (जून 1983) । जिला प्राधिकारियों ने पत्ते 0.71 लाख रुपये हेतु नीलाम कर दिये (दिसम्बर 1983) । इस प्रकार, 1.15 लाख रुपये (1.86 लाख रुपये—0.71 लाख रुपये) वसूल होने से रह गये, जो ठेकेदार से वसूली योग्य थे ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (जुलाई 1984) प्रभागीय वन अधिकारी ने सूचित किया (मई 1986) कि शेष धनराशि की वसूली अभी तक नहीं की गई थी । आगे की सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार ने, जिसे मामला फरवरी 1985 में सूचित किया गया, बताया (फरवरी 1987) कि जिला प्राधिकारियों से वसूली शीघ्रातिशीघ्र करने का अनुरोध किया गया है तथा प्रभागीय वन अधिकारी तथा रेंज अधिकारी के स्पष्टीकरण मांगे गये हैं ।

8.11. वन उपज की निकासी के नियमों का अनुपालन न किया जाना

वन विभाग के मैनुअल तथा मानक अनुबन्ध के अनुसार, ठेकेदार वन के बाहर टिम्बर या अन्य वन उपज तभी ले जा सकते हैं जब उनका विक्रय मूल्य अग्रिम में जमा कर दिया गया हो । प्रभागीय वन अधिकारी कभी भी वन उपज का निर्यात रोक सकता है यदि उसका मूल्य, ठेकेदार द्वारा जमा की गई धनराशि से अधिक हो जाता है ।

तराई पश्चिम वन प्रभाग, रामनगर में ठेकेदारों को चार वन लाट 1981-82 में 4.69 लाख रुपये हेतु बेचे गये थे । केवल 3.74 लाख रुपयों के भुगतान पर ही ठेकेदारों को सम्पूर्ण सामग्री हटा ले जाने दिया गया । इस प्रकार 0.95 लाख रुपयों की धनराशि अग्रिम में जमा नहीं करवाई गई न ही वह बाद में वसूल की गई ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 1985), प्रभागीय वन अधिकारी ने बताया (अक्टूबर 1985) कि बकाया धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकायों के रूप में किये जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और संबंधित कर्मचारियों के स्पष्टीकरण मांगे गये हैं । आगे की सूचना प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

सरकार ने, जिसे मामला मई 1986 में सूचित किया गया, बताया (फरवरी 1987) कि उत्तरदायित्व निश्चित करने की कार्यवाही की जा रही है परन्तु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने के बावजूद धनराशि अभी तक वसूल नहीं की गई है ।

अध्याय 9

अन्य विभागीय प्राप्तियां

क—सिंचाई विभाग

9·1. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1985-86 के दौरान सिंचाई विभाग के लेखे तथा अभिलेखों के जांच परीक्षण से 41 मामलों में 25·69 लाख रुपयों की निहित धनराशियों की अनियमितताओं का पता चला, जो मोटे तौर से निम्न श्रेणियों में आती हैं :

	मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1. स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना	18	2·02
2. नहर जल का अनधिकृत प्रयोग	3	6·72
3. हाइडल कटौती (रिबेट) का दावा न करना	4	4·50
4. विभागीय प्राप्तियों का दुरुपयोग	2	1·76
5. स्थानान्तरित कर्मचारियों से किराये का वसूल न किया जाना	1	0·44
6. अन्य मामले	13	10·25
योग	41	25·69

कुछ महत्वपूर्ण मामले उत्तरवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं ।

9·2. संविदाओं पर स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन 14 जनवरी 1982 में जारी की गई (20 जनवरी 1982 से प्रभावी) सरकारी अधिसूचना के अनुसार, वे ठेके जिनके उचित निष्पादन हेतु सरकार के पास प्रतिभूति जमा करने हेतु प्रावधान था, इस तथ्य के अनुसार कि प्रतिभूति जमा नकद या नियतकालिक जमा

के रूप में थी 85 रुपये या 42.50 रुपये प्रति हजार रुपये की दर से स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य बन गये ।

सत्रह सिंचाई खण्डों (जिन्हें उक्त अधिसूचना की जानकारी नहीं थी) में नकद (59.34 लाख रुपये) तथा आवधिक जमा प्राप्तियों (19.93 लाख रुपये) के रूप में प्रतिभूति की जमा धनराशियों के प्रावधान वाले 3,171 ठेकों (अप्रैल 1982 तथा जनवरी 1986 के बीच निष्पादित) के संबंध में स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया गया । चूक के फलस्वरूप 5.96 लाख रुपयों का स्टाम्प शुल्क वसूल नहीं किया गया ।

विभाग तथा सरकार को मामला अगस्त 1984 तथा मार्च 1986 के मध्य सूचित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

9.3. जल प्रभारों की दरों का अपुनरीक्षण/जल प्रभारों की वसूली न करना

मदन सागर तालाब से गैर-सिंचाई प्रयोजनों हेतु जल की राशि आपूर्ति करने के लिये सिंचाई विभाग ने नगरपालिका, महोबा के साथ एक अनुबन्ध (1963 में) किया । अनुबन्ध के अनुसार, नगरपालिका को इस तालाब से एक वर्ष में 150 लाख घन फुट जल पम्प करके निकालना था तथा उसको आपूर्तित जल की लागत 3.75 रुपये प्रति 5,000 घन फुट जल की दर से वसूली योग्य थी, जो या तो सिंचाई दर समिति की सिफारिशों की प्राप्ति पर या अन्यथा सरकार द्वारा पुनरीक्षण के अधीन थी । परिषद् ने 31 मार्च 1972 तक जल निकाला तथा सम्मत दर पर जल प्रभारों का भुगतान किया । पहली अप्रैल 1972 से, यह कार्य, उन्हीं शर्तों के साथ जो नगरपालिका के संबंध में लागू थीं किन्तु सिंचाई विभाग के साथ नया अनुबन्ध निष्पादित किये बिना जल निगम झांसी द्वारा ग्रहण कर लिया गया ।

(क) यह देखा गया (अक्टूबर 1983) कि यद्यपि 1963 में अनुबन्ध के निष्पादन से 20 वर्ष व्यतीत हो गये थे, जल प्रभार पुनरीक्षित नहीं किये गये । जल निगम, झांसी से प्रभारित 3.75 रुपये प्रति 5,000 घनफुट जल की दर के समक्ष, अक्टूबर 1972 से जल की राशि आपूर्ति हेतु उत्तर रेलवे से प्रभारित दर 10 रुपये प्रति 5,000 घनफुट थी । यदि जल निगम, झांसी के मामले में उत्तर रेलवे से प्रभारित दर अपनायी गयी होती, तो केवल 1977-78 से जून 1983 की अवधि के दौरान ही सिंचाई विभाग 1192.50 लाख घनफुट जल की आपूर्ति हेतु 1.29 लाख रुपयों का अतिरिक्त राजस्व वसूल कर लेता ।

(ख) सिंचाई विभाग जल निगम, उत्तर प्रदेश के साथ कोई अनुबन्ध परिनिश्चित किये बिना बेला सागर तालाब से गैर-सिंचाई प्रयोजनों हेतु उसको

पहली अप्रैल 1979 से जल की राशि आपूर्ति करता चला आ रहा है । मदन सागर तालाब की शर्तों के अनुरूप शर्तों वाला एक आलेख्य अनुबन्ध तैयार किया गया था परन्तु पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जा सका, तथा जल निगम को इस तालाब से एक वर्ष में 150 लाख घनफुट जल निकालने के लिये अनुमत कर दिया गया । निगम, जल प्रभारों का भुगतान किये बिना, इस तालाब से पम्प द्वारा पानी निकालता रहा । न तो तालाब से की गयीं जल आपूर्तियां मापी गई, न ही सिंचाई विभाग द्वारा जल प्रभारों के भुगतान हेतु अप्रैल 1979 से मांग ही निकाली गई । इसके परिणामस्वरूप, 10 रुपये प्रति 5,000 घन-फुट जल की दर (अर्थात उत्तर रेलवे से प्रभारित की जा रही दर) से अप्रैल 1979 से सितम्बर 1983 की अवधि के दौरान 150 लाख घनफुट जल की प्रस्तावित वार्षिक आपूर्ति के आधार पर आगणित 13.70 लाख रुपयों के राजस्व की हानि हुई ।

विभाग तथा सरकार को उपर्युक्त मामले दिसम्बर 1983 तथा जुलाई 1986 के मध्य प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

9.4. गूलों के निर्माण हेतु मांगें न निकालने के कारण हानि

जुलाई 1968 के सरकारी आदेशों के अनुसार, गूलों× के निर्माण पर हुआ व्यय उनसे लाभ उठाने वालों से वसूलीयोग्य है । इस प्रयोजन हेतु, पूर्व वर्ष में पूर्ण किये गये निर्माण कार्यों के संबंध में एक जमाबन्दी (मांग विवरण) खण्डीय अधिकारी द्वारा तैयार करके संबंधित तहसीलदार को मूलधन (अर्थात गूलों के निर्माण पर किया गया पूंजी व्यय) के साथ उस पर देय ब्याज की वसूली करने के लिये भेजना अपेक्षित है ।

चन्द्र प्रभा खण्ड, वाराणसी द्वारा 1963-64 तथा 1978-79 के मध्य 15.26 लाख रुपयों की कुल लागत पर गूल निर्मित किये गये । इस धनराशि के समक्ष, 5.33 लाख रुपयों की ही जमाबंदियां (मूलधन 3.23 लाख रुपये तथा ब्याज 2.10 लाख रुपये) बनाई गई तथा वाराणसी, मिर्जापुर और गाजीपुर के कलेक्टरों को विलम्ब से 1981 में भेजी गई तथा इसमें से केवल 8,184 रुपयों की वसूली गाजीपुर और मिर्जापुर के कलेक्टरों द्वारा सूचित (अक्टूबर 1984) की गई । निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से छः वर्षों से अधिक अवधि के बीत जाने के पश्चात् भी 12.03 लाख रुपयों की शेष धनराशि की कोई जमाबन्दी नहीं बनाई गई थी ।

×गूल जल मार्ग होते हैं जो खेतिहरों के खेतों को नहर से पानी पहुंचाने के लिये बनाये जाते हैं ।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (जनवरी 1982 और फरवरी 1985 के बीच), विभाग ने बताया (जनवरी 1987) कि वाराणसी जिले से संबंधित 1.25 लाख रुपयों (4.25 लाख रुपयों के ब्याज सहित) की और जमाबंदियां 1985 तथा 1986 के दौरान तैयार कर ली गयी हैं और यह कि 10.78 लाख रुपयों की शेष धनराशि हेतु जमाबंदियां तैयार करने का कार्य चकबन्दी कार्य समाप्त हो जाने की गजट अधिसूचना जारी करने के बाद ही सम्भव हो सकेगा ।

सरकार को मामला फरवरी 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

9.5. राज्य नलकूपों की कार्यप्रणाली

(i) राज्य नलकूपों में मशीनी दोषों को दूर करने में विलम्ब

विभागीय आदेशों के अनुसार, राज्य नलकूपों के मशीनी दोष 48 घंटों से 7 दिनों की अवधि के भीतर ठीक कर दिये जाने चाहिये । आदेशों में दोषों को दूर करने में हुई असफलता के लिये स्टाफ पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है ।

1978-79 से 1981-82 के दौरान 6 नलकूप तथा एक लिफ्ट सिंचाई खण्डों में नलकूपों के सुधार में हुए विलम्ब के कारण हुई 2.07 लाख रुपयों के राजस्व की हानि का उल्लेख लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार, 1982-83 के प्रस्तर 9.2. में किया गया था ।

आगे यह देखा गया कि 16 से 20 नलकूप खण्डों (ऊपर उल्लिखित खंडों में से 2 को शामिल करते हुए), 2,984 से 3,518 नलकूप मशीनी दोषों को दूर करने में हुए विलम्ब के कारण 7 दिनों की अधिकतम निर्धारित अवधि के परे बन्द पड़े रहे । विवरण नीचे सारणी में दिये गये हैं :

वर्ष	नलकूप खण्डों की संख्या	7 दिनों से परे बन्द पड़े रहे नलकूपों की संख्या
1982-83	16	2,984
1983-84	20	3,518
1984-85	20	3,229
	योग	9,731

उपर्युक्त में से 6,514 नलकूपों की मरम्मत उनके बन्द होने के 8 और 21 दिनों के बीच की गयी और 3,217 नलकूपों की मरम्मत 22 और 334 दिनों के बीच की गयी ।

नलकूपों की मरम्मत में विलम्ब का कारण खण्डों द्वारा परिवहन का अभाव, एक ही समय पर अनेक नलकूपों में दोष, निधियों व अतिरिक्त पुर्जों की कमी बताया गया । निधियों की कमी के सम्बन्ध में यह देखा गया कि, जैसा नीचे सारणी में दर्शाया गया है, खण्डों ने आबंटित निधियों से अधिक खर्च किया :

वर्ष	नलकूप खण्डों की संख्या	रखरखाव एवं मरम्मत हेतु आबंटित धनराशि	किया गया व्यय	अधिक व्यय
		(लाख रुपयों में)		
1982-83	15	181.56	235.56	54.00
1983-84	19	295.26	340.32	45.06
1984-85	19	464.20	472.60	8.40

(ii) विद्युत् शक्ति की आपूर्ति में व्यवधान के लिये कटौती (रिबेट) का दावा न करना

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार 1983-84 के प्रस्तर 9.2 में 1974-75 से 1982-83 के दौरान 30 दिन या उससे अधिक लगातार विद्युत् शक्ति की आपूर्ति में व्यवधान हेतु 10 नलकूप खण्डों द्वारा 5.90 लाख रुपयों की कटौती का दावा न करने का उल्लेख किया गया था ।

आगे यह देखा गया कि 14 नलकूप खण्डों (ऊपर उल्लिखित खण्डों में से एक को शामिल करते हुए) में 1982-83 से 1984-85 के दौरान 30 दिन या उससे अधिक लगातार विद्युत् शक्ति की आपूर्ति में व्यवधान हेतु 16.03 लाख रुपयों की कटौती खण्डों द्वारा न तो समायोजित की गई और न ही राज्य विद्युत् परिषद् से वसूल की गई ।

एक अन्य नलकूप खण्ड (लखीमपुर खीरी) में 1.67 लाख रुपयों की धनराशि भी 30 दिन या उससे अधिक लगातार रुकावटों के कारण अक्टूबर 1983 से अप्रैल 1985 हेतु समायोजित या वसूल नहीं की गई थी ।

खण्डों ने बताया (जुलाई 1985 और मार्च 1986 के बीच) कि कटौती की वसूली या समायोजन की कार्यवाही की जा रही है ।

(iii) **राज्य नलकूपों द्वारा आपूर्तित जल का गलत अंकित किया जाना**

जल निकासी (डिस्चार्ज) के गलत अंकित किये जाने के कारण 14 नलकूप खण्डों में 1975-76 से 1981-82 के दौरान हुई 1.17 लाख रुपयों के राजस्व की हानि का उल्लेख लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) उत्तर प्रदेश सरकार 1984-85 के प्रस्तर 9.2 (iii) में किया गया था ।

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि 5 नलकूप खण्डों में 1982-83 से 1984-85 के दौरान 140 राज्य नलकूपों से आपूर्तित 1437.71 लाख गैलन जल कम अंकित किया गया जिसके परिणामस्वरूप 0.31 लाख रुपयों का अवनिर्धारण एवं कम मांग निकाली गई ।

खण्डों ने बताया (जुलाई 1985 और मार्च 1986 के बीच) कि मामलों की छानबीन के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

(iv) **राज्य नलकूपों से आपूर्तित जल हेतु राजस्व की मांग एवं संग्रह**

सिंचाई हेतु की गई जल की आपूर्ति के लिए प्रत्येक खण्ड द्वारा प्रत्येक फसल के लिए एक मांग-पत्र (जमाबन्दी) किसानों से राजस्व की वसूली हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । कलेक्टर से अपेक्षित है कि वह भेजी गई जमाबन्दी की पावती स्वीकार करे और वसूली व शेष की स्थिति प्रत्येक माह तउजी स्टेटमेन्ट द्वारा सूचित करे । राजस्व प्राधिकारियों द्वारा वसूल एवं जमा की गई धनराशि कोषागार के अभिलेखों से सत्यापित की जानी होती है ।

28 खण्डों के अभिलेखों से यह पता नहीं चलता था कि क्या अप्रैल 1983 से मार्च 1986 के दौरान राजस्व प्राधिकारियों द्वारा वसूले और जमा किये गये राजस्व की जांच कोषागार के अभिलेखों के साथ कर ली गई थी जैसा नीचे दिये गये मामलों से पता चलेगा । यह भी देखने में आया कि मांग-पत्रों की प्राप्ति तथा वसूलियों की सूचना देने के सम्बन्ध में नलकूप खण्डों एवं राजस्व प्राधिकारियों के बीच समन्वयन का अभाव था :

(1) सोलह नलकूप खण्डों ने 1981-82 से 1984-85 के दौरान कुल मिलाकर 876.93 लाख रुपयों की मांगें भेजी थीं जिसके लिए राजस्व प्राधिकारियों से मार्च 1986 तक तौजी विवरणियां नहीं प्राप्त हुई थीं । खण्डों को उनकी वसूली की प्रगति के बारे में जानकारी नहीं थीं ।

(2) आठ नलकूप खण्डों में 1977-78 से 1985-86 के दौरान भेजी गई 331.91 लाख रुपयों की मांगों के समक्ष तौजी विवरणियों में दर्शायी मांगें केवल 92.12 लाख रुपयों की थीं । 239.79 लाख रुपयों की मांगों की न्यून/कम पावती के विवरण या कारण उपलब्ध नहीं थे ।

(3) चार नलकूप खण्डों में राजस्व प्राधिकारियों द्वारा 1981-82 से 1985-86 के दौरान भेजी गई तौजी विवरणियों में आदि शेष और अन्त शेष के बीच 122.25 लाख रुपयों का अन्तर था, यह किस हेतु था पता नहीं था ।

तौजी विवरणियों के अभाव में तथा खण्डों द्वारा भेजी गई और कलेक्टर द्वारा प्राप्त की गई मांगों के बीच अन्तरों के कारणों के अभाव में मांग किये गये, वसूल किये गये एवं अवशेष राजस्व की स्थिति मालूम नहीं थी । खण्डों ने बताया (मार्च 1986) कि राजस्व प्राधिकारियों ने अनुस्मारकों के बावजूद अपेक्षित सूचना नहीं भेजी है ।

(v) 'पड़ताल' में कमी

राज्य नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र की पड़ताल (स्थल का सत्यापन) राजस्व अभिलेखों के तथा किसानों पर लगाये गये राजस्व की यथातथ्यता (करेक्टनेस) सुनिश्चित करने के लिए की जाती है । प्रत्येक स्तर के अधिकारी/कर्मचारी के लिए पड़ताल का क्षेत्र प्रत्येक वर्ष निश्चित किया जाता है । बारह नलकूप खण्डों में देखा गया कि 1981-82 से 1984-85 के दौरान निश्चित किये गये क्षेत्र की पड़ताल जिलेदारों तथा अवर अभियन्ताओं द्वारा नहीं की गई । जैसा नीचे की सारणी से देखने में आयेगा, 1981-82 से 1984-85 के दौरान जिलेदारों के संबंध में पड़ताल में कमी 0.13 लाख एकड़ से 0.31 लाख एकड़ के बीच थी जबकि अवर अभियन्ताओं के मामले में वह उसी अवधि के दौरान 0.02 लाख एकड़ से 0.08 लाख एकड़ थी ।

वर्ष	खण्डों की संख्या	जिलेदारों द्वारा की जाने वाली पड़ताल	वस्तुतः की गई पड़ताल	कमी	अवर अभियन्ताओं द्वारा की जाने वाली पड़ताल	वस्तुतः की गई पड़ताल	कमी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(एकड़ों में)		(एकड़ों में)		
1981-82	12	32,000	19,141	12,859	6,100	3,709	2,391
1982-83	12	48,787	29,351	19,436	7,350	3,850	3,500
1983-84	12	1,25,000	75,134	49,866	12,875	7,926	4,949
1984-85	12	82,118	50,688	31,430	17,300	8,949	8,351

पांच नलकूप खण्डों ने बताया (जुलाई 1985 और मार्च 1986 के बीच), कि पड़ताल में कमी अधिकारियों के बारम्बार स्थानान्तरण के कारण हुई थी; शेष खण्डों ने पड़ताल में कमी हेतु कोई कारण नहीं बताये । परन्तु खण्डों ने यह नहीं बताया कि अपेक्षित पड़ताल के अभाव में अभिलेखों और राजस्व की यथातथ्यता कैसे सुनिश्चित की जाती थी ।

विभाग तथा सरकार को उपरोक्त मामले अप्रैल 1985 और जून 1986 के बीच प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

ख-सार्वजनिक निर्माण विभाग

9·6· लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1985-86 के दौरान सार्वजनिक निर्माण प्रखण्डों के लेखे तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 44 मामलों में 19·36 लाख रुपयों की अनियमितताओं का पता चला जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1·	अनुबन्धों/कार्य आदेशों पर स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना	19	14·14
2·	पुनरीक्षण से पूर्व की दरों पर निविदा फार्मों की बिक्री	10	1·15
3	फील्ड हॉस्टल के किराये का वसूल न किया जाना	1	0·65
4·	पथकर का वसूल न किया जाना	1	0·10
5·	अन्य मामले	13	3·32
	योग	44	19·36

कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख उत्तरवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

9·7· किराये की बकाया मांगें

विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को आवंटित सरकारी आवासीय भवनों का किराया भवनों का रखरखाव करने वाले प्रखण्डों से प्राप्त मांगों के आधार पर वेतन बिल के माध्यम से वसूल किया जाता है । वसूली करने के पश्चात् आहरण एवं वितरण अधिकारी अनुरक्षण प्रखण्ड को वसूली की एक विवरणी भेजता है जो वसूली के विवरणों को एक खाते में दर्ज कर लेता है ।

अनुरक्षण प्रखण्ड-1, सा0 नि0 वि0, लखनऊ के अभिलेखों से पता चला कि फरवरी 1985 के अन्त में सरकारी आवासीय भवनों के दखलकर्त्ताओं (आक्युपेन्ट्स) से 25·83 लाख रुपयों का किराया (अधिकृत दखलकर्ताओं से : 17·97 लाख रुपये; अनधिकृत दखलकर्ताओं से : 7·86 लाख रुपये) वसूल नहीं हुआ था। सबसे पिछला वर्ष जिससे कि बकाये संबंधित थे 1967-68 था।

लेखापरीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर (फरवरी 1986) प्रखण्ड ने बताया (फरवरी 1986) कि जिन व्यक्तियों के पते ठिकाने प्रखण्ड में उपलब्ध थे उनके बकायों की सूचियां वसूली हेतु संबंधित विभागों को भेज दी गई थीं। उन दखलकर्ताओं के मामलों में जिनके पते प्रखण्ड के पास उपलब्ध नहीं थे, बकायों की सूचियां कानूनी कार्यवाही आदि के हेतु सरकार को भेज दी गई बतायी गयीं।

विभाग तथा सरकार को मामला क्रमशः जनवरी 1984 तथा जनवरी 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987)।

9·8. पथकर संग्रह हेतु उच्चतम बोली का स्वीकार न किया जाना

जनवरी 1980 तथा अप्रैल 1980 में जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार पक्के पुलों के अवरोधकों (बैरिअर) पर पथकर संग्रह हेतु ठेके सार्वजनिक नीलाम द्वारा एक से पांच वर्षों की अवधि के लिये दिये जाने होते हैं।

अस्थायी प्रखण्ड-1, सा0 नि0 वि0, इलाहाबाद के अधीन हाल ही में बने दो पुल, लपरी एवं कर्मा, यातायात के लिये मई 1982 में खोले गये थे (एक दो मई 1982 को तथा दूसरा 5 मई 1982 को)। प्रखण्ड ने इन पुलों पर पथकर संग्रह हेतु नीलाम की अग्रिम कार्यवाही नहीं की जिसके फलस्वरूप इन्हीं सरकारी आदेशों के विरुद्ध जिनमें संग्रह सार्वजनिक नीलाम द्वारा किया जाना अपेक्षित था, प्रारम्भ में पथकर संग्रह विभागीय स्तर से करना पड़ा। पथकर संग्रह के नीलाम 15 मई 1982 को किये गये जिसमें पांच वर्ष हेतु 48,000 रुपयों (लपरी पुल) और 1,11,000 रुपयों (कर्मा पुल) की उच्चतम बोलियां प्राप्त हुई परन्तु विभाग द्वारा स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि ये कम समझी गई थीं। 10 अक्टूबर 1982 को किये गये दूसरे नीलाम में पांच वर्ष हेतु क्रमशः 80,000 रुपयों और 4,01,000 रुपयों की उच्चतम बोलियां प्राप्त हुई परन्तु पुनः ये इस आधार पर स्वीकार नहीं की गई कि बोलियां प्रतियोगी (कम्पीटीटिव) नहीं थीं। 16 फरवरी 1983 को आयुक्त ने एक वर्ष हेतु एक नये नीलाम के लिये आदेश दिये जो 25 अप्रैल

1983 को किया गया परन्तु इस बार कोई बोली लगाने वाला इसमें शामिल नहीं हुआ । प्रखण्ड लपरी तथा कर्मा पुलों पर क्रमशः 17 अक्टूबर 1984 और 31 अगस्त 1984 तक विभागीय स्तर पर पथकर संग्रह करता रहा । अन्ततः विभाग द्वारा आयोजित नीलाम के आधार पर इन पुलों पर पथकर संग्रह का कार्य ठेकेदारों को 18 अक्टूबर 1984 और पहली सितम्बर 1984 से एक वर्ष की अवधि हेतु क्रमशः 4,000 रुपये और 75,300 रुपये के भुगतान पर दे दिया गया । इन दो पुलों के लिये 10 अक्टूबर 1982 को हुए दूसरे नीलाम में आई 96,200 रुपये प्रति वर्ष की बोली के समक्ष दो वर्ष (पहली अक्टूबर 1982 से पहली सितम्बर 1984) में विभाग द्वारा औसत वार्षिक संग्रह (38,939 रुपये) का मिलान करने पर सरकार को पथकर संग्रह के रूप में 1.15 लाख रुपयों के राजस्व की हानि उठानी पड़ी । सितम्बर/अक्टूबर 1984 से एक वर्ष हेतु स्वीकृत बोलियां भी अक्टूबर 1982 में प्राप्त बोलियों से (16,900 रुपये से) कम थीं ।

विभाग तथा सरकार को मामला जून 1984 में और पुनः अप्रैल 1985 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

9.9. पथकर का वसूल न किया जाना

पट्टा अनुबन्ध की शर्त के अनुसार पुलों पर पथकर संग्रह हेतु पट्टाधारी से अपेक्षित है कि वह पुल का प्रभार लेने के पूर्व वार्षिक पथकर पहली किस्त में अग्रिम जमा कर दें तथा बाद की किस्तें प्रत्येक माह की पहली को जमा करें ।

प्रान्तीय प्रखण्ड, सा० नि० वि०, खीरी में तीन बैरिअर के संबंध में पथकर संग्रह के पट्टे तीन ठेकेदारों को क्रमशः 22 दिसम्बर 1980, 15 फरवरी 1981 और 15 मार्च 1981 को दिये गये थे । यद्यपि ठेकेदारों ने मासिक किस्तें क्रमशः पहली जनवरी 1981, पहली मार्च 1981 तथा पहली अप्रैल 1981 से जमा करना प्रारम्भ कर दिया था, क्रमशः 22 दिसम्बर 1980 से 31 दिसम्बर 1980, 15 फरवरी से 28 फरवरी 1981 तथा 15 मार्च 1981 से 31 मार्च 1981 की अवधियों हेतु पुल-पथकर की पहली किस्तों के 40,808 रुपये उनसे वसूल नहीं किये गये ।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1983) में इस चूक के इंगित किये जाने पर प्रखण्ड ने बताया (अप्रैल 1985) कि दो ठेकेदारों से, उनकी जमा प्रतिभूतियों में से, 23,808 रुपयों की वसूली कर ली गई थी । 17,000 रुपयों की शेष धनराशि की वसूली फिर भी प्रतीक्षित है (मार्च 1987) ।

विभाग को मामला फरवरी 1983 में तथा सरकार को जून 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

ग-खाद्य और रसद विभाग

9.10. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1985-86 के दौरान जिला आपूर्ति कार्यालयों के लेखे तथा सम्बद्ध अभिलेखों के जांच परीक्षण से 32 मामलों में 12.45 लाख रुपयों की अनियमितताओं का पता चला जो मोटे तौर से निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	चीनी के लाइसेन्सों के प्रदान अथवा नवीनीकरण किये जाने हेतु सहकारी समितियों से फीस का वसूल न किया जाना	8	3.79
2.	लेवी चीनी के बढ़े हुए मूल्य का वसूल न किया जाना	4	0.37
3.	राशन कार्डों के मूल्य का वसूल न किया जाना	8	2.49
4.	लाइसेन्सों के नवीनीकरण में कपड़ा व्यापारियों द्वारा चूक	2	0.76
5.	प्रतिभूतियों पर स्टाम्प शुल्क का वसूल न किया जाना	5	0.39
6.	अन्य मामले	5	4.65
	योग	32	12.45

कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख उत्तरवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

9.11. सहकारी समितियों से चीनी लाइसेन्स फीस का वसूल न किया जाना

मई 1981 में यथासंशोधित उत्तर प्रदेश शुगर एण्ड गुड़ डीलर्स लाइसेंसिंग आर्डर्स, 1962 के अन्तर्गत किसी एक समय में दस कुन्तल से अधिक चीनी का व्यापार करने वाले चीनी व्यापारियों से अपेक्षित है कि वे संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेन्स प्राप्त कर लें । मई 1976 में जारी किये गये एक सरकारी आदेश के अनुसार लाइसेन्स, जिस वर्ष के लिये वह जारी किया जाता है उस वर्ष के 31 दिसम्बर तक वह वैध रहता है और एक बार में एक से तीन वर्षों की अवधि हेतु नवीकृत किया जा सकता है । पहली बार लाइसेन्स जारी करने की फीस 100 रुपये है तथा एक वर्ष हेतु नवीनीकरण हेतु 40 रुपये है ।

दस जिला पूर्ति कार्यालयों में 1981 से 1985 वर्षों के दौरान 4,407 सहकारी समितियों को चीनी के वितरण हेतु व्यापारियों के रूप में कार्य करने के लिये अनुमति प्रदान की गई। किन्तु न तो कोई लाइसेंस जारी किये गये और न ही उनसे कोई फीस वसूल की गई। लाइसेंस जारी न करने के फलस्वरूप फीस के रूप में 4.41 लाख रुपयों के राजस्व की हानि हुई।

विभाग तथा सरकार को मामले 1984-85 तथा 1985-86 वर्षों के दौरान प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987)।

9.12. लाइसेन्सों का नवीनीकरण न किया जाना

उत्तर प्रदेश नियंत्रित (कन्ट्रोल के) सूती वस्त्र तथा सूत व्यापारी लाइसेन्स आदेश, 1957 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी से अपेक्षित है कि वह उत्तर प्रदेश में कन्ट्रोल के सूती वस्त्र का थोक अथवा फुटकर व्यापार आरम्भ करने के पूर्व जिला आपूर्ति अधिकारी से एक लाइसेन्स प्राप्त कर ले। थोक व्यापार के लिये वार्षिक लाइसेन्स फीस 30 रुपये और फुटकर व्यापार के लिये 8 रुपये है। लाइसेंस, जारी होने की तिथि से बारह माह की अवधि के लिये वैध होता है। व्यापार बन्द किये जाने पर लाइसेन्सधारी को बन्दी के तीन माह के भीतर अपना लाइसेन्स लाइसेंसिंग अधिकारी को उसे निरस्त करने के लिये सौंपना पड़ता है। निर्धारित फीस का भुगतान कर के लाइसेंस का वार्षिक नवीनीकरण लाइसेंस की अवधि की समाप्ति के एक माह पूर्व करवा लिया जाना अपेक्षित है। उन मामलों में जहां नवीनीकरण विलम्ब से करवाया जाता है, निर्धारित दरों पर विलम्ब शुल्क भी प्रभार्य हो जाता है।

चार जिला आपूर्ति कार्यालयों (लखीमपुर खीरी, वाराणसी, बरेली तथा बदायूं) में यह देखा गया कि 2,075 कपड़े के व्यापारी (थोक तथा फुटकर) नियंत्रित सूती कपड़ों का व्यापार, 1971-72 तथा 1983-84 के बीच पड़ने वाली विभिन्न अवधियों के लिये अपने लाइसेंसों का नवीनीकरण कराये बिना, कर रहे थे। विभाग ने भी चूककर्ताओं के विरुद्ध "नियंत्रण आदेश" के अन्तर्गत कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की। इन मामलों में नवीनीकरण फीस और विलम्ब शुल्क 1.58 लाख रुपये बनता था।

विभाग तथा सरकार को मामला, मार्च 1984 और अप्रैल 1985 के बीच प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987)।

9.13. लेवी की चीनी के बढ़े हुए मूल्य की वसूली न किया जाना

सरकार ने अक्टूबर 1982 से दिसम्बर 1985 की अवधि के दौरान उचित मूल्य की दुकानों से फुटकर बिक्री हेतु लेवी चीनी की दरें 10 से 40 पैसे प्रति किलोग्राम तक बढ़ा दी थीं।

पुनरीक्षित निर्गम दर की घोषणा के समय सभी उचित मूल्य की दुकानों पर चीनी का अंतिम स्टाक विभाग द्वारा पता किया जाना था और उसके अनुरूप मूल्य का अन्तर व्यापारियों द्वारा सरकारी कोषागारों में जमा किया जाना था ।

तीन जिला आपूर्ति कार्यालयों में यह देखा गया (फरवरी 1986 तथा मार्च 1986) कि अक्टूबर 1982 से दिसम्बर 1985 की अवधि से संबंधित व्यापारियों से प्राप्य चीनी के मूल्य के अन्तर के रूप में 1.20 लाख रुपयों की धनराशि (फरुखाबाद : 0.08 लाख रुपये, मैनपुरी : 0.33 लाख रुपये और बांदा : 0.79 लाख रुपये) न तो व्यापारियों द्वारा कोषागारों में जमा की गई थीं न ही विभाग ने उसे वसूल करने की कोई कार्यवाही की ।

विभाग को मामला मार्च, अप्रैल तथा मई 1986 में और सरकार को सितम्बर 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

घ—कृषि विभाग

9.14. लेखापरीक्षा के परिणाम

1985-86 के दौरान कृषि विभाग के लेखे तथा अभिलेखों की जांच परीक्षण से 35 मामलों में 11.32 लाख रुपयों की अनियमितताओं का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	उर्वरक व्यापारियों से लाइसेंस फीस/नवीनीकरण फीस का वसूल न किया जाना	8	3.95
2.	फार्म-उपज के उत्पादन में कमी	3	3.54
3.	पुनरीक्षण से पूर्व की दरों पर उर्वरकों की बिक्री	7	0.64
4.	अप्रमाणित बीजों पर बिक्री-कर का वसूल न किया जाना	1	0.15
5.	अन्य मामले	16	3.04
	योग	35	11.32

कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख उत्तरवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

9.15. पुनरीक्षण के पूर्व की दरों पर उर्वरकों की बिक्री के कारण राजस्व की हानि

कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा 20 सितम्बर 1984 से जिंक सल्फेट का विक्रय मूल्य पुनरीक्षित करके 3,476 रुपये प्रति मेंट्रिक टन से 6,300 रुपये प्रति मेंट्रिक टन कर दिया गया।

सितम्बर 1984 और सितम्बर 1985 के बीच चार जिला कृषि कार्यालयों (बस्ती, सहारनपुर, बिजनौर तथा इटावा) में जिंक सल्फेट की बिक्रियां (22 मेंट्रिक टन) 6,300 रुपये प्रति मेंट्रिक टन के पुनरीक्षित विक्रय मूल्य के बजाय 3,476 रुपये प्रति मेंट्रिक टन के पुराने मूल्य पर की गई। कम वसूल की गई विक्रय प्राप्तियां 58,733 रुपये बनती थीं।

लेखापरीक्षा (1984-85 तथा 1985-86 के दौरान) में त्रुटि के इंगित किये जाने पर जिला कृषि अधिकारियों ने उर्वरकों (जिंक सल्फेट) का पुराने मूल्य पर विक्रय का कारण विक्रय मूल्य पुनरीक्षित करने वाले आदेशों की विलम्ब से प्राप्ति, बताया।

विभाग और सरकार को मामले मई 1985 तथा अप्रैल 1986 के बीच प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987)।

9.16. फार्म-उपज में कमी

कृषि निदेशक द्वारा जारी किये गये (मार्च 1977) के अनुदेशों के अनुसार सरकारी फार्मों में फसल काटने के पूर्व, क्षेत्रीय उप कृषि निदेशक द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा चुने गये क्षेत्रों में की गई वस्तुतः फसल की कटाई के आधार पर उत्पादन का एक अनुमान तैयार किया जाना अपेक्षित है। कृषि निदेशक द्वारा नियत किये गये प्रतिमानों के अनुसार फार्म की अनुमानित उपज और वास्तविक उपज में दस प्रतिशत से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिये तथा इससे अधिक हुई हानि फार्म अधीक्षक से वसूल की जानी होती है।

उरई तथा बहराइच स्थित दो जिला कृषि कार्यालयों में 1982-83 व 1983-84 की रबी फसलों में छः राज्य के फार्मों में अनुमानित और वास्तविक उपज में अन्तर 10 प्रतिशत की अनुमत सीमा से अधिक था जिसके फलस्वरूप 1.08 लाख रुपयों तक के राजस्व की कमी हो गई। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चलता कि फार्म अधीक्षक से इस हानि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही की गई थी।

विभाग तथा सरकार को मामला अक्टूबर 1985 तथा अप्रैल 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987)।

ङ—पंचायतीराज विभाग

9.17. राजस्व की हानि

जिला परिषद् नियमावली, 1978 तथा जुलाई 1979 के सरकारी आदेशों के अन्तर्गत जिला परिषदों से ऋण प्राप्त करने वाले कर्जदारों से अपेक्षित है कि वे स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध विलेख निष्पादित करें और निर्धारित स्टाम्प शुल्क व निबन्धन फीस का भुगतान करें । ऐसे ऋणों द्वारा जुटाई गई परिसम्पत्तियों को भी जिला परिषदों के पास बन्धक रखना भी अपेक्षित है ।

जिला परिषद् बस्ती के 1979-80 तथा 1980-81 वर्षों के ऋण लेखों की जांच परीक्षण से पता चला कि 49 मामलों में, जिनमें 15.32 लाख रुपयों के ऋण स्वीकृत किये गये थे, न तो कोई अनुबन्ध विलेख निष्पादित करवाये गये थे और न ही कर्जदारों द्वारा जुटाई गई परिसम्पत्तियां जिला परिषद् के पक्ष में बन्धक रखवाई गयीं थीं । अनुबन्ध विलेखों का निष्पादन न होने से स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस के रुप में 1.07 लाख रुपयों के राजस्व की हानि हुई । इसके अलावा जिला परिषद के पक्ष में परिसंपत्तियों के बन्धक न रखने से ऋण असुरक्षित रहे ।

लेखापरीक्षा (जनवरी 1986) में इंगित किये जाने पर जिला परिषद् ने बताया (जनवरी 1986) कि चूकों के कारणों की छानबीन की जायेगी । आगे की सूचना की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

सरकार को मामला जुलाई 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (मार्च 1987) ।

च—सहकारिता विभाग

9.18. लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 1985-86 के दौरान सहकारिता विभाग के लेखे तथा सम्बद्ध अभिलेखों की जांच परीक्षण से 27 मामलों में 4.71 लाख रुपयों की अनियमितताओं का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

		मामलों की संख्या	धनराशि (लाख रुपयों में)
1.	मध्यस्थता शुल्क का वसूल न किया जाना	5	1·33
2.	निष्पादन शुल्क का वसूल न किया जाना	3	0·56
3.	कोषागार में संग्रह-प्रभारों का जमा न किया जाना	16	2·31
4.	अन्य मामले	3	0·51
	योग	27	4·71

कुछ महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख उत्तरवर्ती प्रस्तरों में किया गया है ।

9·19. माध्यस्थ शुल्क वसूल न किये जाने के कारण राजस्व की हानि

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां नियमावली, 1968 के नियम 358 के अनुसार यदि किसी सम्पत्ति अथवा वित्तीय दावे का मूल्य 5,000 रुपये से अधिक है तो सम्पत्ति अथवा वित्तीय दावे से संबंधित विवाद की मध्यस्थता के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ शुल्क (सम्पत्ति अथवा निहित दावे की धनराशि के मूल्य के एक प्रतिशत की दर से) लगाया जाना अपेक्षित है । यह वित्तीय सीमा सरकार द्वारा 17 नवम्बर 1981 से घटाकर 2,500 रुपये कर दी गई ।

सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों के चार कार्यालयों (इलाहाबाद, बदायूं, उरई तथा खीरी) में 1981-82 (15 नवम्बर 1981 के पश्चात) तथा 1985-86 के बीच दाखिल किये गये सम्पत्ति/वित्तीय दावों से संबंधित विवादों के 2,088 मामलों में माध्यस्थ शुल्क वसूल नहीं किया गया था यद्यपि प्रत्येक मामले में निहित सम्पत्ति/दावे की धनराशि 2,500 रुपयों से अधिक थी । इसके फलस्वरूप 78,031 रुपयों के राजस्व की हानि हुई ।

विभाग/सरकार को मामले 1984-85 और 1985-86 में प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987) ।

9.20. निष्पादन शुल्क का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां नियमावली, 1968 के साथ पठित उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत निबन्धक, सहकारी समितियां, किसी समिति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर तथा निष्पादन कार्यवाही हेतु निर्धारित शुल्क की प्राप्ति हो जाने पर, समिति को देय धनराशि की वसूली हेतु प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों, के तीन कार्यालयों में (उरई, सहारनपुर तथा एटा) 1983-84 और 1985-86 के बीच समितियों से प्रार्थना-पत्रों की प्राप्ति पर 625.86 लाख रुपयों के देयों की वसूली हेतु 30,944 प्रमाण-पत्र, निष्पादन कार्यवाही हेतु निर्धारित शुल्क वसूल किये बिना, जारी किये गये थे। वसूल न किया गया निष्पादन शुल्क 0.87 लाख रुपये बनता था।

विभाग तथा सरकार को मामला अक्टूबर 1985 और अप्रैल 1986 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 1987)।

यू. एन. अनन्तन

लखनऊ

(यू0 एन0 अनन्तन)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II,
उत्तर प्रदेश,

दिनांक 17 नवम्बर 1987

प्रतिहस्ताक्षरित

त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी

(त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 23 नवम्बर NOV 1987